स्व अध्ययन सामग्री
Self -Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल – 1

महिला सशक्तिकरण
(Women Empowerment)

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

चित्रकूट सतना (म.प्र.) 485334

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्

(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन)

35, राजीव गांधी भवन, द्वितीय खण्ड, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002

मॉड्यूल – 1 महिला सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता विकास
Women Empowerment & Leadership Development)

संस्करण 2022

अवधारणा :

श्री बी.आर. नायडू, महानिदेषक
मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

मार्गदर्शन :

डॉ. जितेन्द्र जामदार, उपाध्यक्ष
मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल
श्री विभाष उपाध्याय, उपाध्यक्ष
मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल
डॉ. भरत मिश्रा, कुलपति
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट
डॉ, धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय,कार्यपालक निदेषक
मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

लेखक मण्डल :

डॉ. श्रीमती नीलम चौरे, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्व विद्यालय चित्रकूट
डॉ श्रीमती रीना शर्मा, मप्र जन अभियान परिषद,
डॉ. शिवप्रताप सिंह भदौरिया, मप्र जन अभियान परिषद,
श्रीमती राधा मिश्रा, सतना

सम्पादक मण्डल :

प्रो.अमरजीत सिंह, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट
डॉ. जय शंकर मिश्र, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट
डॉ. अजय आर चौरे, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

मुद्रक एवं प्रकाशक :

कुलसचिव,महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

सम्पर्क : हेल्पडेस्क चित्रकूट – 07670–265627, हेल्पडेस्क भोपाल – 0755–2660203

वेबसाईट : www.cmcldp.org, **ई–मेल** :cmcldpcourse@gmail.com

लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल :http://web700.128.202.new.ocpwebserver.com/

लर्निंग एप्प :

कॉपीराइट : महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्यप्रदेश

आभार : इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों तथा वेबसाईट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। सभी के प्रति कृतज्ञता और आभार।

माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है की मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (CMCLDP) के अंतर्गत महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एवं मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के साझा प्रयासों से अकादमिक सत्र 2022–23 से नई शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों के अनुसार समाज कार्य स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम (BSW/MSW) पुनः प्रारंभ किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 2015 से प्रारंभ किया गया एक अभिनव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से अब तक एक लाख पच्चीस हजार से ज्यादा युवा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर ऐसा प्रशिक्षित युवा नेतृत्व तैयार करना है, जो सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुंचाकर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने हेतु जन भागीदारी सुनिश्चित कर सके।

पाठ्यक्रम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का समावेश पाठ्य सामग्री के साथ जोड़ा जाये। जिससे विद्यार्थी कार्य करके सीखने की पद्धति से प्रशिक्षित हों। प्रायोगिक कार्य के लिये गांव को व्यावहारिक कार्य प्रशिक्षण की प्रयोगशाला मानकर विद्यार्थियों को निर्देशित किया जायेगा कि वे उस गाँव में संचालित शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। उसमें जन भागीदारी से कैसे और अधिक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस हेतु कार्य करें। सतत विकास लक्ष्यों को चिहिंत कर निर्धारित सूचकांक में जन समुदाय में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन लाकर वृद्धि करना पाठ्यक्रम के क्रियाकलापों का प्रमुख उद्देश्य होगा। इससे मध्यप्रदेश में विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने और इस प्रक्रिया से सतत विकास की व्यवहारिक जानकारी विद्यार्थियों को देने में आसानी होगी।

प्रायोगिक कार्य मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद से संबंधित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं तथा मध्यप्रदेश शासन के विभागों के स्थानीय कार्यालय में इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों के द्वारा करने की व्यवस्था इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत की गई है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अंतर्गत चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वह सभी सुविधाएं मुहैया कराने की प्रयास किया गया है कि जो नियमित छात्रो के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि विकास को एक जन आंदोलन बनाएं। मेरी आशा है कि इस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित युवाओं के द्वारा यह नारा एक वास्तविकता में बदले और वे आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के संकल्प में अपनी आहुति दें।

(शिवराज सिंह चौहान)
मुख्यमंत्री

प्रस्तावना

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम(सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास) मप्र शासन की अभिनव पहल है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो। क्षेत्र की समस्याओं की पहचान कर उनके निदान मे अपनी महत्ती भूमिका निभा सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओतप्रोत नौजवानो की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाधान न के लिये न केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर हो बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरूषार्थ से ग्राम की या अपने आस –पास की परिस्थितियों को बदलने में सकारात्मक पहल कर सकें। यह कार्य चुनौती भरा जरूर है किंतु असंभव नहीं है। सही मायने में क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मप्र का सपना साकार हो सकेगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर यह पाठ्यक्रम आपके हाथों में है। परिवर्तन और विकास के प्रेरक बनाने के लिये इस पाठयक्रम के जरिये आपको सैद्धांतिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। हमने यह भी प्रयास किया है कि आपके ग्राम विकासों के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दिया जा सके। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वो स्थायित्व लिये हो, सबके सहयोग से विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

किसी भी समाज के संपूर्ण विकास के लिए महिला और पुरूष की बराबर की भागीदारी होती है। यदि ऐसा नहीं है तो समाज पूर्ण विकास की ओर नहीं जा सकता। कहा जाता है कि जीवन के रथ के दो पहिये महिला और पुरूष ही हैं जो न केवल इस रथ को चलाते हैं बल्कि समाज को एक नई दिशा भी प्रदान करते हैं। अब यदि दोनों पहिये ही असमान हुए अथवा छोटे बड़े हुए अथवा अंसतुलित हुए तो जीवन का चलना दुर्गम हो जाता है और एक सशक्त समाज का निर्माण भी असंभव दिखता है।

महिला सशक्तिकरण के संबंध में यदि हम प्राचीन काल में या और थोड़ा सा पीछे जायें तो आदिम युग में महिला पुरूष के जीवन में भेदभाव के लिए कोई स्थान न था। वे मिलकर शिकार करते, साथ– साथ ही बाहर जाते जिम्मेदारी निभाते। लेकिन जैसे– जैसे पुरूषों के दायित्व बढ़े जिम्मेदारियां बढ़ी, महिलाओं की भूमिका नगण्य होती गई। कुछ परंपराओं और रीति रिवाजों का ऐसा ताना बाना भी बुना गया कि जनमानस में पुरूष केंद्र में आ गया और महिला असहाय और पुरूषों पर निर्भर होकर रह गई। फिर प्रथाओं का एक लंबा

संघर्ष का दौर आया बाल विवाह प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा ने स्त्री को कैद करके रख दिया।

लेकिन कहा जाता है कि हर बुराई के विरूद्ध आवाज भी उठती है यहां भी वही हुआ। एक नये काल का दौर आया जिसे पुर्नजागरण काल कहा गया। इसी काल में तीन महान विचारकों, संतों के नाम प्रसिद्ध हुये। इन्होंने न केवल स्त्री स्वतंत्रता की बात कही बल्कि पुरातन नीतियों पर भी करारा प्रहार किया। राजाराममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की जिसमें अज्ञानता, अंधविश्वास और पराधीनता जैसी कुरीतियों के विरूद्ध एक महाअभियान चला। इनके ही इस अभियान की डोर को मजबूत किया एनीबेसेंट, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले और गोविंद रानाडे।

इनके संयुक्त प्रयासों से समाज में जागरूकता आई और समान अधिकार की ध्वजा को शक्ति मिली। इन विकास पुरूषों के कार्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिलाओं को हक और अधिकार मिलें इस लिये कानून बनाये। इस माड्यूल के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण के साथ –साथ स्वयंसहायता समूहों के निर्माण, संचालन की अवधारणा को भी जानेंगे। विश्वास है यह जानकारी आपके लिये उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होगी।

माड्यूल : –1 महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)

इकाई – 1. महिला सशक्तिकरण, अवधारणा, अर्थ एवं आयाम

1.1 महिला सशक्तिकरणः परिचयात्मक अवधारणा

1.2 महिला सशक्तिकरण : अर्थ एवं परिभाषा

1.3 महिला सशक्तिकरण के विविधि आयाम

1.4 सतत विकास लक्ष्य और महिलायें

इकाई – 2. एतिहासिक पृष्ठभूमि में महिलायें अतीत से अब तक

2.1 प्रारंभिक काल में महिलाओं की स्थिति

2.2 मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति

2.3 अन्याय के विरूद्ध प्रथम स्वर तथा नारी मुक्ति आंदोलन

2.4 सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका

2.5 राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका

इकाई – 3. स्वयं सहायता समूह एक परिचय

3.1 स्वयं सहायता समूह की परिभाषा

3.2 स्वयं सहायता समूह के गठन का उद्देश्य

3.3 स्वयं सहायता समूह के गठन से लाभ

3.4 स्वयं सहायता समूह गठन की प्रक्रिया

3.5 स्वयं सहायता समूह के संचालन की चुनौतियां

इकाई – 4.कुप्रथायें एवं महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

4.1 कुप्रथायें तथा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

4.2 महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अन्य रूप

4.4 तकदीर इनकी मुठ्ठी में : महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्यप्रदेश की सफल कथायें

इकाई – 5. महिला सुरक्षा अधिनियम

5.1 महिला सुरक्षा हेतु विविध निकाय

5.2 भारतीय प्रशासन में महिला पुलिस तथा महिला थाना

5.3 महिलाओं के हित में निर्मित प्रमुख विधिक प्रावधान

5.4 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005

5.5 यौन हिंसा : बलात्कार, छेड़छाड़

इस मॉड्यूल के अध्ययन से निम्नवत क्षमतायें/कौशल विकसित होंगे –

- महिला सशक्तिकरण की समझ विकसित होगी, महिलाओं के जीवन विविध आयामों को समझा जा सकेगा जिससे महिलाओं की स्थिति का आंकलन किया जा सकेगा।
- उन महिलाओं के बारे में भी जान सकेंगे जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को सिद्ध करते हुये शिखर पर पहुंची और अपनी पहचान बनाई। जिनसे आप भी प्रेरणा ले सकेंगे।
- स्वयं सहायता समूहों की समस्त जानकारी मिल सकेगी और उसको प्राप्त कर ग्राम, समाज और स्वयं भी जागरूक होंगे।
- स्वयं सहायता के गठन से स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी मिल सकेगी और समस्त शासकीय प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे साथ ही बैंकिंग प्रणाली की समझ विकसित होगी।
- महिला सशक्तिकरण का एक आयाम आर्थिक सशक्तिकरण भी है। एतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के अतिरिक्त स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से लघु उद्योग आदि के संचालन की विधि आदि से आर्थिक सशक्तिकरण की विस्तृत जानकारी को समझ सकेंगे।

मॉड्यूल की सतत विकास लक्ष्यों से सबंद्धता

- समाज कार्य के इस पाठ्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण और बुनियादी मॉड्यूल है इसकी आवश्यकता अनेक स्थानों पर होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किये गये है। इन सत्रह लक्ष्यों में लक्ष्य क्रमांक 01 (शून्य गरीबी) लक्ष्य क्रमांक 03 (उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली) लक्ष्य क्रमांक 08 (उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि) लक्ष्य क्रमांक 09 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधायें) लक्ष्य क्रमांक 10 (असमानताओं में कमी) इस प्रकार कुल 17 लक्ष्यों में से 05 लक्ष्यों की पूर्ति इस माड्यूल (महिला सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता विकास) के माध्यम से होती है।

शासकीय विभागों एवं योजनाओं से संबद्धता

योजना का नाम	विभाग का नाम
लाड़ली लक्ष्मी योजना	महिला बाल विकास विभाग
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	महिला बाल विकास विभाग
वन स्टॉप सेंटर	महिला बाल विकास विभाग
स्वयं सहायता निर्माण एवं अनुदान	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम मप्र शासन
स्वयं सहायता समूहों का निर्माण	ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग, मप्र शासन
स्वयं सहायता समूहों को अनुदान आदि	जिला उद्योग केंद्र
इसके अतिरिक्त अन्य शासकीय ईकाईयों, विभागों और योजनाओं से भी ये माड्यूल आपको अर्थपूर्ण रूप से जोड़ता है।	

इंटर्नशिप/व्यावहारिक कार्य अभ्यास

- महिला बाल विकास विभाग, ग्रामीण पंचायत विकास विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और ईकाईयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये आपको स्थानीय स्तर के शासकीय विभाग या उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों में इंटर्नशिप के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान हो सकेगा। जिससे आप व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

विषय प्रवश :महिला सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता विकास – एक संवाद

महिला ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है। इतिहास भी इसी बात का साक्षी है कि प्रारंभिक काल में महिला और पुरूष के अधिकार समान थे। जिम्मेदारियों का निर्वहन साझा रूप में किया जाता था। बदलते समय में यह बराबरी और समानता का भाव कम कैसे हुआ और समाज में विकृति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ यह जानने की जरूरत है। आज समाज में जब महिलाओं की बराबर की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं तो हम सबके लिए यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार और समाज किस प्रकार की योजनाओं को चलाकर इस अभियान को गतिशील बनाये हुए हैं। हम महिलाओं के प्रति सरकार, कानून और समाज के विभिन्न उपक्रमों को बारीकी से जानेंगे और उन्हें सीखकर समाज में व्याप्त कुरीतियों भ्रांतियों को दूर करेंगे।

महिला सशक्तिकरण के बारे में यह भी कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की तभी हो सकती है. जब उस देश की महिलाओं का विकास सही से किया जाए। इस वक्त महिलाओं के विकास के लिए पूरी दुनिया में कई तरह के कार्य भी किए जा रहे हैं, ताकि नारी शक्ति को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके. वहीं इस सदी में भी महिला सशक्तिकरण करने के मुद्दे का जिक्र करना, इस बात को साबित करता है कि अभी भी महिलाओं का विकास पूरी तरह से नहीं किया जा सका है।

हमारे देश में महिलाओं स्थिति सुधारने के लिये नित नये प्रयास किये जा रहे हैं बावजूद ये प्रयास नाकाफी हैं। क्योंकि जब तक सरकार के साथ समाज का सामंजस्य नहीं बैठेगा तब तक महिला सशक्तिकरण की को गति नहीं मिलेगी। आज भी हमारे देश में काम (नौकरी) करने वाली महिलाओं की संख्या भी अन्य देशों के मुकाबले कम हैं। यह विसंगति है। इस स्थिति में महिलाओं को जागरूक होना होगा। सरकारी प्रयासों की बात करें तो महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण बिल भी पास किया गया। जिसमें महिलाओं को अनिवार्य शक्ति प्रदान की गई।

पुराने समय में महिलाओं के हक लिये कुछ समाजसेवियों ने अपनी सक्रियता से भूमिका का निर्वहन किया। जिसमें राजाराममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं को हक दिलाने के लिये महत्वपूर्ण अभियानों का संचालन किया। इन्होंने अज्ञानता, अंधविश्वास और पराधीनता जैसी कुरीतियों के विरूद्ध एक महाअभियान चलाया। इसी क्रम में महिला अधिकारों के लिये एनीबेसेंट, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले और गोविंद रानाडे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सही मायने में इन महापुरूषों के कारण ही जागरूकता आई और इनके प्रयासों से ही सरकारों ने भी महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिये कई अभिनव प्रयास किये। इस माड्यूल के माध्यम से हम यह जानने समझने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं के स्तर को बेहतर बनाने के लिये वे कौन से आयाम हैं जिनसे महिला पुरूष के बीच अंतर को कम किया जा सकता है। इसी माड्यूल के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि महिलाओं को उद्यमी कैसे बनाया जाये, उन्हें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस प्रकार सशक्तता प्रदान कर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में गति दी जा सके।

इकाई–1.1 महिला सशक्तिकरण : अवधारणा, अर्थ एवं आयाम

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि

1.1 महिला सशक्तिकरणः परिचयात्मक अवधारणा

1.2 महिला सशक्तिकरण : अर्थ एवं परिभाषा

1.3 महिला सशक्तिकरण के विविधि आयाम

1.4 भारत में महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

1.5 सतत् विकास लक्ष्य और महिलायें

महिला सशक्तिकरण : परिचयात्मक अवधारणा

महिला विकास एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ–साथ विकास की सहभागी माना जाए। विकास से आशय है कि ऐसा विकास जो स्थायी के साथ निरंतरता लिये हुये हो। नारी के विकास के कई माध्यम हो सकते हैं। यदि सरल शब्दों में कहूं तो इन माध्यम से नारी विकास को समझने का प्रयास किया गया है। यदि कानून की दृष्टि से देखें तो भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को सामान अधिकार (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15 (1)), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 15(3)), महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने (अनुच्छेद 51(ए)(ई)) और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है। (अनुच्छेद 42)।

1970 के दशक में नारीवादी आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। अब तक अनेक महिला संगठनों का निर्माण किया जा चुका था तथापि उनमें लामबंदी का अभाव था। 70 के दशक में महिलाओं के संगठनों को एक साथ लाने वाले पहले राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में से एक मथुरा बलात्कार का मामला था। 1979–1980 में एक थाने (पुलिस स्टेशन) में मथुरा नामक युवती के साथ बलात्कार के आरोपी पुलिसकर्मियों के बरी होने की घटना

बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का कारण बनी। परिणाम स्वरूप सरकार को साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को संशोधित करने और हिरासत में बलात्कार की श्रेणी को शामिल करने के लिए बाध्य होना पड़ा। महिला कार्यकर्ताएं कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद, महिला स्वास्थ्य और महिला साक्षरता जैसे मुद्दों पर एकजुट हुईं।

1975 में भारतीय महिलाओं के बड़े जत्थे ने बर्लिन में आयोजित प्रथम विश्वस्तरीय महिला कांफ्रेंस में हिस्सा लिया। चूंकि शराब की लत को भारत में अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जोड़ा जाता है,इसलिए महिला संगठनों द्वारा आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में शराब–विरोधी अभियानों की शुरुआत की। कई भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने शरीयत कानून के तहत महिला अधिकारों के बारे में रूढ़िवादी नेताओं की व्याख्या पर सवाल खड़े किये और तीन तलाक की व्यवस्था की आलोचना की।

1990 के दशक में विदेशी दाता एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों ने नई महिला–उन्मुख गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) के गठन को संभव बनाया। स्वयं–सहायता समूहों एवं सेल्फ इम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन (सेवा) जैसे एनजीओ ने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कई महिलाएं स्थानीय आंदोलनों की नेताओं के रूप में उभरी हैं। उदाहरण के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर।

महिला संगठनों के प्रयास से सरकार भी महिला विषयक विधेयकों में समय–समय पर संशोधन किया जाता रहा। वर्ष 2001 को महिलाओं के सशक्तीकरण (स्वशक्ति) वर्ष के रूप में घोषित किया गया और महिलाओं के सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गयी थी। सरकार द्वारा 2001 में लागू की गई महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना है कि वे जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में खुलकर भागीदारी करें। इस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई। लैंगिक समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। योजना प्रक्रिया एक विशुद्ध कल्याण उपाय से आगे बढ़कर उन्हें विकास योजना के केंद्र में लाने के प्रयास तक आ पहुंची है। इस नीति के अनुसार महिलाओं का भविष्य एक सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वस्थ सरक्षित माहौल में सांस लेने वाले समाज का है।

2006 में बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला इमराना की कहानी प्रकाश में आई। इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने किया था। कुछ मुस्लिम मौलवियों की उन घोषणाओं का जिसमें इमराना को अपने ससुर से शादी कर लेने की बात कही गयी थी, व्यापक रूप से विरोध किया गया और अंततः इमराना के ससुर को 10 साल की कैद की सजा दी गयी। कई महिला संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद, 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया जिसमें संसद और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33ः आरक्षण की व्यवस्था है। यह विधेयक आज दिनांक तक लोक सभा में लंबित है।

लंबी लड़ाई के पश्चात आज भारत की महिलाएं कानूनी स्तर पर पुरूषों के समकक्ष खड़ीं है। भारतीय संविधान में वर्णित समस्त मौलिक अधिकारों में स्त्री–पुरूष को समान रूप से विचारा गया है। इस दौरान कई उपलब्धियां भी हासिल हुईं।

उदाहरण के लिए मताधिकार तथा महत्वपूर्ण राजनैतिक पदों पर नियुक्त होने के अधिकार के साथ–साथ विवाह, तथा सम्पत्ति में समानाधिकार उल्लेखनीय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बालिग होने की आयु तथा गर्भपात विशेष परिस्थितियों में गर्भपात का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं कार्यरत नहीं है। यद्यपि सामाजिक स्तर पर यह संघर्ष आज भी जारी है और अगले कई वर्षों तक चलने की संभावना है।

सारांश (Summary)

- मानव विकास के प्रारम्भिक क्रम में महिला और पुरुषों की स्थिति समान थीं। जीवन से जुडे सभी कार्यों में दोनों समान रूप से सहभागी बनते थे।
- कालांतर में बच्चों के जन्म और उनके लालन–पालन संबंधी दायित्वों का पालन करने से महिलाओं की स्थिति घर की हदों में सीमित होती चली गई।
- प्रारम्भिक काल में महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों, शिक्षा क्षेत्र में और निर्णय प्रक्रिया में उन्हें महत्व दिया गया।
- बाद के कालखण्डों में स्त्रियों की दशा कुछ अतार्किक परंपराओं, रूढ़ियों और कुप्रथाओं के कारण दयनीय होती गयी। सामाजिक जीवन में उनका बराबरी का

दर्जा भी नही रहा। कुछ कालखण्ड में तो शोषण और अत्याचार सहना नारी की नियति मान ली गई।

- इस अवस्था में प्रतिरोध के स्वर भी मुखरित हुये। अन्याय के विरूद्ध नारी मुक्ति आन्दोलन में थेरी गाथा, सीमान्तनीय उपदेश, दक्षिण में वक्षस्थल ढंकने के लिये आन्दोलन आदि मील के पत्थर कहे जा सकते हैं।
- नारी मुक्ति आन्दोलन के प्रमुख पड़ाव के रूप में भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण काल कह सकते हैं। जहाँ सती प्रथा को दूर करने, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने संगठित प्रयास हुये। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, सावित्री बाई फुले, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, ऐनीबीसेन्ट, स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों का योगदान स्मरणीय है।
- भारतीय स्वतान्त्रता आन्दोलन महिलाओं की सक्रिय, सक्षम और प्रभावी भागीदारी से ही स्वतंत्र भारत के सपने को यथार्थ का धरातल मिल सका।
- आज महिलायें विकास की दौड़ में पुरुषों से कन्धा से कन्धा मिलाकर योगदान कर रही हैं। आधुनिक जगत का कोई क्षेत्र नही है जहाँ महिलाओं ने अपने परिश्रम और योग्यता से अपनी विशिष्ठ पहचान न बनायी हो।
- विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आधी आबादी का योगदान जरूरी है। भेद–भाव और पक्षपात से रहित, पूर्वाग्रह और शोषण से मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना जिसमें सहअस्तित्व और सौहार्द का भाव विकास की ओर बढ़ते समाज की आवश्यकता है।

अवधारणात्मक शब्दों के अर्थ (Meaning of Conceptual Terms)

- **मानवीय सभ्यता** –: प्रारंभिक दौर में महिला और पुरुषों के आपसी संबंध कैसे थे, इस वाक्य को मानवीय सभ्यता के रूप में प्रदर्शित किया है।
- **कालखंड** –: इतिहास के विभिन्न समय होने वाली घटनाओं को कालखण्ड के रूप में प्रदर्शित किया गया है।
- **स्वर** –: शोषण और अन्याय के विरोध में स्त्री आजादी के लिये उठने वाली आवाज को स्वर के रूप में प्रदर्शित किया है।
- **विविध** –: नारी मुक्ति आंदोलन के प्रकारों को प्रदर्शित किया गया है।

स्व–मूल्यांकन (Self-assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer type Questions)** –

1. आपकी दृष्टि में स्त्री विकास क्या है? पांच सौ शब्दों में लिखें?
2. इतिहास की किस महिला पात्र से आप सर्वाधिक प्रभावित हैं? उनके विषय में 500 शब्द में विवरण तैयार करें
3. महिला विकास की दृष्टि से कौन सा स्वर्णिम काल है, विवेचना करें?
4. मनुस्मृति में स्त्री से संबंधित किन्ही दो विधानों की व्याख्या करें?
5. मध्ययुगीन स्त्रियों की अवस्था पर एक लेख लिखें अथवा ऐतिहासिक तथा वर्तमान युग की पांच स्वयंसिद्धाओं का संक्षिप्त विवरण दें।

- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer type Questions)** –

1. महिला विकास क्या है और उसके कौन से आयाम हैं?
2. किस कालखंड में स़्त्री पुरूष में कोई अंतर नहीं था?
3. किस कालखंड में जातिवाद और लिंगभेद जैसी स्थिति नहीं थी?
4. ऋंगवेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं जिसमें कितनी महिलाओं के नाम हैं?
5. वह कौन सा काल है जहां स्त्रियों के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया गया?

- **अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Very shortAnswer /Objective type Questions)**

1. महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय नीति किस वर्ष पारित की गई?
2. बर्लिन में आयोजित प्रथम विश्वस्तरीय महिला कांफ्रेंस में किस वर्ष भारत ने भाग लिया था?
3. प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा अनुमति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है?
4. नारीवादी आंदोलन का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ?
5. राजा राममोहन राय ने महिलाओं की दशा सुधारने हेतु कब आंदोलन चलाया?

प्रदत्त कार्य (Assignments)

- ग्राम/वार्ड में महिला/ बालिकाओं की स्वास्थ्य/ सामाजिक/ आर्थिक स्थिति का सर्वे करना व सूचीबद्ध करना।
- चिन्हांकित परिवारों में महिलाओं व बालिकाओं की स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु जागरूकता बैठक करना।
- चिन्हांकित वार्ड/ परिवारों में महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी देना।
- हितग्राही महिला व किषोरियों को संबंधित योजनाओं का लाभ दिलवाना संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करना।
- विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत तथा सफल महिलाओं सूची तथा संक्षिप्त विवरण तैयार करें।
- वर्तमान युग की महिलाओं को कैसा होना चाहिए? कक्षा में वाद–विवाद आयोजित करें।
- महिलाओं से संबंधित कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए 10 सुझावों का विवरण तैयार करें।
- संविधान सभा में सम्मिलित महिलाओं के जीवन वृतांत पर एक रिपोर्ट तैयार करें।

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ – 1. महिला विकास एवं सशक्तिकरण : महिला बाल विकास विभाग, मप्र शासन।

https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/MMC-101.pdf

https://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/bmc/bmc-101-h%20.pd

इकाई– 1.2 महिला सशक्तिकरण अर्थ एवं परिभाषा

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि

- महिला सशक्तिकरण की परिभाषा क्या है?
- वर्तमान संदर्भों में महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है?

परिभाषा

हम सब जानते हैं कि सशक्तिकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कारण ही हम जागरूक, अच्छे कार्यकर्ता, और निर्णय लेने में समर्थ हो पाते हैं। एक राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर उन्हें बराबरी का हक, स्थान व पद दिया जाये। पुरूषों के साथ–साथ बराबरी से विकास में सहभागी किया जाये। सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिये है कि इससे महिलायें स्वावलंबन की ओर बढेंगी और समाज के हर क्षेत्र में उन्हें बराबर का अधिकार मिलेगा। सशक्तिकरण का सरल सा अर्थ है कि स्वयं की शक्ति को जाग्रत करना। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज में निर्बल को सबल बनाने की प्रक्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं। अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हों, सामाजिक जीवन में भी विवाह, संतानोत्पति तथा व्यवसाय आदि में किसी भी प्रकार का दबाव न हो यही सशक्तिकरण है। आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से बराबरी की भागीदारी भी सशक्तिकरण है। वैश्विक रूप से महिला समानता और अधिकारों के लिए कई संस्थाओं के साथ यूएनडीपी और यूनीफेम निरंतर इस दिशा में कार्य करते रहते हैं।

महिला अधिकारो के प्रति सबसे अधिक आवाज मुखर की राजाराममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की जिसमें अज्ञानता, अंधविश्वास और पराधीनता जैसी कुरीतियों के विरूद्ध एक महाअभियान चलाया। अभियान की डोर को मजबूत किया एनीबेसेंट, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले और गोविंद रानाडे। इनके संयुक्त प्रयासों से समाज में जागरूकता आई और समान अधिकार की ध्वजा को शक्ति मिली। इन विकास पुरूषों के प्रयासों से ही महिलाओं को हक और अधिकार मिलने आरंभ हुए। निरंतर जागरूकता के चलते वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। वे सशक्त हो रही हैं।

महिलाओं का सशक्तिकरण का यही क्रम है। स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता, लोकतांत्रिक तरीकों से विचारों को बदलने की क्षमता, विकास और परिवर्तन में भागीदारी, सामूहिक निर्णय में सामाजिक सहयोग आदि महिला सशक्तिकरण है।

सशक्तिकरण शब्द का विच्छेद है स + शक्ति + करण। जिसमें 'स' उपसर्ग है। शक्ति संज्ञा है। विशेषण तथा करण प्रत्यय से मिलकर शब्द बना है सशक्तिकरण। यदि इसका ध्वनि अर्थ वह है शक्ति सहित गत्यात्मकता (गति)। सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। निरन्तर चलने वाली। निर्बल के सबल बनने की प्रक्रिया को सशक्तिकरण कहा जाता है। एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो, जिस पर विवाह, संतानोत्पत्ति तथा व्यवसाय आदि से संबंधित विषयों पर घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का दवाब न हो। इस प्रकार स्त्रियों के संदर्भ में सशक्तिकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज नारी विकास की ओर अग्रसर है। वह हर क्षेत्र में अपनी एक अनोखी पहचान बना रही है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यह आधुनिक युग की नारी का स्वरूप है। नारी समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। समाज का पूर्ण विकास तभी संभव है, जब दोनों का समान विकास हो। दोनों को व्यावहारिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हों। मात्र एक वर्ग के विकास से समाज में असंतुलन ही पैदा होगा और यही हो रहा है।

आज की आवश्यकता है, महिलाओं में साक्षरता, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढ़ाने की। आज भी अधिकांश महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों एवं विधिक व्यवस्था की जानकारी नही है।

परिभाषा

अर्थशास्त्री **बीना अग्रवाल** कहती हैं कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। समाज में समानता प्रदान करना है। दुर्बल और उपेक्षित महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना ही सशक्तिकरण है।

डॉ अरूण कुमार कहते हैं कि महिला को शक्ति संपन्न बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें।

लीना मेंहदेले के अनुसार निर्भयता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, निर्णय का अधिकार, सत्ता और संपति में बराबर की भागीदारी और संसाधनों पर बराबर का अधिकार ही सशक्तिकरण है।

ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी की डिक्शनरी के अनुसार सशक्तिकरण का अर्थ सशक्त होने से है। सक्षम करना और शक्ति देना ही सशक्तिकरण है।

यूनीफेम के अनुसार स्वयं की क्षमता पर विश्वास कर निर्णय लेने में सक्षम हो सकें यही सशक्तिकरण है। महिला पुरूष के संबंधों में बराबर की भूमिका भी सशक्तिकरण है।

महात्मा गांधी के अनुसार महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना ही सशक्तिकरण है। लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय में पारदर्शिता भी सशक्तिकरण है।

डॉ. सिंह दिग्विजय महिला सशक्तीकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तीकरण का एक बड़ा मानक है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण का अर्थ है। उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर–तरीकों को चुनौती में समान अवसर, राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि।

नारी डॉ. अरूण कुमार सिंह महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपना जीवन–यापन की व्यवस्था कर सकें। अपनी शारीरिक सुरक्षा कर सके, समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर–तरीकों की चुनौती में समान अवसर, भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि।

गुप्ता रमणिका, ''स्वावलंबन स्त्री में स्वाभिमान पैदा करता है और स्वाभिमान उन्हें चेतना से सम्पन्न करता है और चेतना उनकी सामर्थ्य का निर्माण करती है इसलिए सशक्तिकरण के लिए जरूरी है स्वावलंबन। रमाणिका जी अपने ''लेख महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है स्वावलंबन'' में बताती हैं कि शिक्षा के अभाव के कारण जिन महिलाओं को सशक्त होना है अभी वे स्वयं भी सशक्त होने को तैयार नहीं, सशक्तीकरण की सबसे बड़ी शर्त चेतना, स्वाबलम्बन और निज की पहचान है इसके बिना महिला सशक्तीकरण संभव नहीं है। गुप्ता जी मानती है कि औरत अगर स्वावलंबी हो तो उस पर जुल्म नहीं होंगे यदि होंगे तो कम होंगे। स्वावलंबी होने से औरत का स्वाभिमान भी बढ़ता है और उसका आत्मसम्मान भी, साथ ही वो प्रतिकूल निषेधों और प्रतिबंधों को नकारने की क्षमता हासिल कर लेती है। वह समाज की संकीर्ण परंपराओं से मुक्ति की राह पर चल सकती है। स्वावलंबन से उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और उन्हें शोषण से भी बचाया जा सकेगा।

विश्व स्तर पर यह माना गया है कि यदि महिलाओं की स्थिति को सुधारना है तो उनके प्रति भेदभाव कम करना है तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी। स्त्रियों को यह सच समझ में आ गया है कि जब तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती तब तक उनका विकास नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया के अट्ठानवें प्रतिशत संसाधनों पर पुरुषों का अधिकार है। इसलिए स्त्रियाँ वित्तीय बाज़ार में होने वाले परिवर्तनों में दिलचस्पी लेने लगी हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्त्रियों में इस बात पर भी आम सहमति बनने लगी है कि उनके विकास के लिए सिर्फ ऋण देना ही काफी नहीं है। बल्कि उन्हें व्यापारिक प्रशिक्षण और बाज़ार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सही सलाह चाहिए।

महिलाओं की आवाज़ बढ़ रही है। उनकी आवाज़ को मजबूती प्रदान करने में महिला संगठनों, शिक्षा संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, बुद्धिजीवियों तथा मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया ने स्त्री के साहस और नई वाणी प्रदान की है इसलिए आज पीड़ित नारी अपने पर होने वाले अत्याचारों को छुपाने की कोशिश नहीं करती। न वह समाज और लांछनों से डरती है। अब तक चाहे अपराध किसी का हो नारी ही डरती और लांछित होती रही है।

सशक्तीकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर मौके मिल जाते हैं। इसका मतलब केवल संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण नहीं है बल्कि इसका आत्मविश्वास में वृद्धि और पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर निर्णय करने की क्षमता से भी है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है कि पुरुष समाज स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक बने।

डॉ. मुंजाजी, रामचन्द्र, ''महिला सशक्तीकरण महिलाओं की अपनी वर्तमान सोच में परिवर्तन करना अति आवश्यक है। उनको अपने आत्मसम्मान व आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए उन्हें अपनी ताकत और सामर्थ्य को पहचानना व समझना चाहिए। उनकी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए ताकि वे स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। उन्हें स्वयं को महत्व देने का और अपने ज्ञान एवं कौशलों को पहचानना और महत्व देना चाहिए।'' सशक्तीकरण की प्रक्रिया में सतत् सहायता प्रदान करनी चाहिए और सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे आंदोलन को इसके बदले में उन तत्वों के परिवर्तन के लिए समर्थन और मताग्रह बनाना चाहिए जो माहौल बनाने का काम करते हैं। महिला सशक्तीकरण एवं

वैश्विक विषय है जो कि सामाजिक न्याय, समानता एवं समेकित सामाजिक विकास के दर्शन पर आधारित है।

डॉ. विप्लव ''महिला सशक्तीकरण से अभिप्राय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्तर पर आत्मनिर्भर कर सशक्त करना है। नारी सशक्तीकरण का अर्थ है नारी को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर कर सशक्त बनाना। उसे स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूक करना साथ ही राजनीति में भी अपनी भागीदारी को बढ़ाना जिससे संसद में महिलाओं की भागीदारी से महिलाओं के हित में कानून बन सकें। सशक्तिकरण के कुछ और प्रकार भी हो सकते हैं।

विधिक सशक्तिकरण –: भारतीय संविधान में महिला पुरूष को बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस पर अमल करने के लिए समाज, सरकार और परिवार को एक प्लेटफार्म पे आना होगा। घरेलू हिंसा आदि कानून बने हैं इनका व्यापक प्रचार प्रसार हो जिससे महिला की उन्नति के समस्त रास्तों को खोला जा सके और उसे समस्त बराबरी के अधिकार मिल सकें। कानूनों की मदद से नारी क्षमता और संवर्धन के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जिससे महिलाओं को शोषण से मुक्ति मिले और उपलब्ध अवसरों का यथा संभव लाभ मिल सके।

राजनैतिक सशक्तिकरण –: राजनैतिक क्षेत्र में बराबर की भागीदारी हेतु आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था का लाभ महिलाओं अनिवार्यतः मिलना चाहिये। पंचायतीराज व्यवस्था में 50 फीसदी आरक्षण को पारदर्शिता और समर्पण के साथ लागू किया जा सके। राजनैतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाओं को जागरूक करने के प्रयास जारी हैं जिससे समाज में महिला भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

भावनात्मक सशक्तिकरण –: महिलाओं को शिक्षित और आर्थिक रूप मजबूत करना आवश्यक है। जिससे भावनात्मक रूप महिलाओं को सशक्त बनाया जाये। परिवार के साथ रहते हुए कई बार महिलाओं पर अत्याचार होता रहता है और वे भावनात्मक होने के कारण घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं। इस क्षेत्र में उनको मजबूत करना होगा उन्हें अधिकारों के प्रति सजग हो सकें। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भावनात्मक रूप से भी सशक्त होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब समाज और परिवार इतना जागरूक हो कि वे उनके अधिकारों को स्वतः ही प्रदान कराने में सहयोग करें।

भारत में महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय एवं समन्वित प्रयास स्वतंत्रता के उपरांत ही किए गए है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु का कहना

था ''लैंगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए उसे दूर करना आवश्यक है। नेहरू जी का मानना था कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

नि□ांत मीनाक्षी ने अपने लेख विकास बनाम सशक्तीकरण ''महिला सशक्तीकरण अर्थात् महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को वे सारे उपकरण उपलब्ध करवाना जिनकी सहायता से आधी दुनिया उन्नति कर सकती है, आगे बढ़ सकती है।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा, महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता की कमी ही है। यदि महिलाओं की शिक्षित बना दिया जाए तो वे अपने सामाजिक व राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएँगी और फिर ऐसी जागरूक महिलाओं को दबाना, किसी के लिए संभव नहीं है।

सशक्तीकरण से अभिप्राय है आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति को व्यक्तिगत या समुदाय में बढ़ाने से है। यह अक्सर अपने में क्षमताओं, सशक्त, विकासशील और आत्मविश्वास शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महिला लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र का संगठन है। महिलाओं और लड़कियों के लिए एक वैश्विक चैंपिययन, संयुक्त राष्ट्र महिला को दुनिया भर में उनकी ज़रूरतों को पूरा करने पर प्रगति में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया था।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या बहुमुखी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन समस्याओं से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है जिसमें महिलाओं में कानूनी जागरूकता जिससे उन्हे कानूनी अधिकार की जानकारी के साथ–साथ उनके उपयोग की क्षमता की जानकारी प्रदान की जा सके। देश के विभिन्न भागों में पारिवारिक महिला लोक अदालत का आयोजन करके महिलाओं के लिए त्वरित न्याय की सुविधा उपलब्ध कराकर।शिकायतों के निवारण के क्षेत्र में महिलाओं की सहायता करना। महिलाओं के अधिकारों के अभाव संविधान की और अन्य कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए।

महिला सशक्तीकरण के पाँच घटक हैं – महिलाएँ स्वयं की क्षमता को पहचाने, निर्णय लेने का अधिकार, अवसरो और संसाधनों के उपयोग का अधिकार, घर में और बाहर दोनों जगह स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता।

नारी सशक्तीकरण से तात्पर्य है नारी को अपने क्षमताओं को समझकर उन का पूर्ण रूप से विकास करना उनका निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को बढ़ाकर, अवसरों और संसाधनों के उपयोग का अधिकार महिलाओं को प्रदान करके, घर और बाहर स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को नियंत्रित कर सकें। साथ ही सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान निभा सकें। महिला सशक्तीकरण के अंतर्गत नारी से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। नारी आज शक्तिशाली, प्रतिष्ठित एवं सम्मान्ति स्थिति में है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि नारी शक्ति का स्वरूप है और वह अपनों के लिए पूरे जीवन को समर्पित कर देती है। वास्तव में नारी सशक्तीकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। नारी सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ, आर्थिक, विधिक व राजनीति में समानता का दर्जा एवं जागरुकता से है। इसमें अक्सर सशक्तीकृत महिलाओं द्वारा अपनी क्षमता के दायरे में विश्वास का निर्माण शामिल होता है। सशक्तीकरण सम्भवतः निम्नलिखित या इसी प्रकार की क्षमताओं को मिलाकर होता है।

सारांश (Summary)

- प्राचीन काल से में नारी को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। वे अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र थीं और उनके निर्णय को सर्वमान्यता भी प्राप्त थी।
- सशक्तिकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कारण ही हम जागरूक, अच्छे कार्यकर्ता, और निर्णय लेने में समर्थ हो पाते हैं।
- एक राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर उन्हें बराबरी का हक, स्थान व पद दिया जाये। पुरूषों के साथ–साथ बराबरी से विकास में सहभागी किया जाये।
- सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिये है कि इससे महिलायें स्वावलंबन की ओर बढेंगी और समाज के हर क्षेत्र में उन्हें बराबर का अधिकार मिलेगा।

- सशक्तिकरण का सरल सा अर्थ है कि स्वयं की शक्ति को जाग्रत करना। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज में निर्बल को सबल बनाने की प्रक्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं।

- अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हों, सामाजिक जीवन में भी विवाह, संतानोत्पति तथा व्यवसाय आदि में किसी भी प्रकार का दबाव न हो यही सशक्तिकरण है।

- अर्थशास्त्री **बीना अग्रवाल** कहती हैं कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। समाज में समानता प्रदान करना है। दुर्बल और उपेक्षित महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना ही सशक्तिकरण है।

- **डॉ अरूण कुमार** कहते हैं कि महिला को शक्ति संपन्न बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें।

- **लीना मेंहदेले** के अनुसार निर्भयता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, निर्णय का अधिकार, सत्ता और संपति में बराबर की भागीदारी और संसाधनों पर बराबर का अधिकार ही सशक्तिकरण है।

- **ऑक्सफोर्ड** अंग्रेजी की डिक्शनरी के अनुसार सशक्तिकरण का अर्थ सशक्त होने से है। सक्षम करना और शक्ति देना ही सशक्तिकरण है।

- **यूनीफेम** के अनुसार स्वयं की क्षमता पर विश्वास कर निर्णय लेने में सक्षम हो सकें यही सशक्तिकरण है। महिला पुरूष के संबंधों में बराबर की भूमिका भी सशक्तिकरण है।

- **महात्मा गांधी** के अनुसार महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना ही सशक्तिकरण है। लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय में पारदर्शिता भी सशक्तिकरण है।

- आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से बराबरी की भागीदारी भी सशक्तिकरण है।

- वैश्विक रूप से महिला समानता और अधिकारों के लिए कई संस्थाओं के साथ यूएनडीपी और यूनीफेम निरंतर इस दिशा में कार्य करते रहते हैं।

- स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता, लोकतांत्रिक तरीकों से विचारों को बदलने की क्षमता, विकास और परिवर्तन में भागीदारी, सामूहिक निर्णय में सामाजिक सहयोग आदि महिला सशक्तिकरण के मुख्य लक्ष्य हैं।

अवधारणात्मक शब्दों के अर्थ (Meaning of Conceptual Terms)

- **सशक्तिकरण** –: शब्द का आशय यहां महिला समानता के रूप में प्रदर्शित है।
- **वैश्विक** –: विश्व भर के आंकलन के रूप में प्रदर्शित किया गया है।
- **स्वावलंबन** –: स्त्री का समाज में बराबरी दर्जा रूप में प्रदर्शित किया है।
- **जागरण** –: नारी के प्रति समाज के जागरूक होन की अवस्था को प्रदर्शित किया गया है।

स्व–मूल्यांकन (Self-assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer type Questions)** –

1. महात्मा गांधी की दृष्टि में सशक्तिकरण क्या है?
2. शिक्षा से सशक्तिकरण को क्या लाभ होगा?
3. सशक्तिकरण के मुख्य लक्ष्य क्या है?
4. महिला सशक्तिकरण विषय पर 500 शब्दों में लिखिये?
5. बड़े संगठन सशक्तिकरण को किस प्रकार परिभाषित करते हैं?

- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer type Questions)** –

1. महिला सशक्तिकरण से क्या आशय है?
2. सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है?
3. सशक्तिकरण का सरल शब्दों में अर्थ क्या है?
4. निर्णय लेने की स्वतंत्रता में सशक्तिकरण किस प्रकार सहायक है?
5. विद्वानों ने सशक्तिकरण को किस तरह परिभाषित किया है?

- **अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Very shortAnswer /Objective type Questions)**

1. महिला को शक्ति संपन्न बनाना ही महिला सशक्तिकरण है किसने कहा है?
2. किसके अनुसार महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना ही सशक्तिकरण है?
3. सक्षम करना और शक्ति देना ही सशक्तिकरण है, किसका वाक्य है?

4. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही सशक्तिकरण है किसने कहा है?

5. स्वावलंबन स्त्री में स्वाभिमान पैदा करता है ये किसने कहा है?

प्रदत्त कार्य (Assignments)

- अपने क्षेत्र में कार्यरत तथा सफल महिलाओं सूची तथा संक्षिप्त विवरण तैयार करें।
- महिला सशक्तिकरण विषय पर कक्षा में वाद–विवाद आयोजित करें।
- महिला सशक्तिकरण विषय पर 10 सुझावों का विवरण तैयार करें।
- महिला सशक्तिकरण पर विद्वानों की परिभाषाओं का विश्लेषण करें।

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ – 1. महिला विकास एवं सशक्तिकरण : महिला बाल विकास विभाग, मप्र शासन।

https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/MMC-101.pdf

https://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/bmc/bmc-101-h%20.pd

इकाई–1.3 महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि

- महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम क्या है?
- आज के संदर्भ में इन आयामों की भूमिका क्या है?
- महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले आयाम कौन से हैं?
- इन आयामों को महिला सशक्तिकरण से किस प्रकार जोड़ा गया है?
- महिला सशक्तिकरण के आयाम से महिला विकास किस प्रकार होगा?

विविध आयाम

शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, विधिक, राजनैतिक और भावनात्मक दृष्टिकोण यह सब महिला सशक्तिकरण के आयाम हैं। नारी को सशक्त बनाने के कई आयाम और माध्यम हो सकते हैं। शोध–विषय में अपनी सुविधा अनुसार स्वेच्छा से इन पाँच आयामों में नारी सशक्तीकरण को देखने का प्रयास किया गया है। इन आयामों के अलावा भी कई अन्य आयाम हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण हो।

शिक्षा

सामाजिक विसंगतियों से मुक्ति का एक मात्र हथियार शिक्षा ही है। इससे महिलायें परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकती हैं। शिक्षित महिला परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है। महिलाओं को यदि शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास के साथ समाज में भी महिला जागरूकता को एक नई दिशा मिलेगी। इसलिए शिक्षा अति आवश्यक आयाम है। नारी सशक्तीकरण में नारी शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज शिक्षा के कारण ही महिलाएँ नासा जैसे अत्याधुनिक संस्थान में अपना स्थान बना सकीं। कल्पना चावला और उनकी जैसी तमाम खगोल विद् इस क्षेत्र में शिक्षा के बल पर कामयाबी प्राप्त कर रही हैं।

वर्तमान शिक्षा नीति खासतौर पर यू0जी0सी0 जैसी संस्थाएँ नारी के लिए विशेषतौर पर प्रयासरत हैं। शैक्षिक संस्थाएँ बधाई की पात्र है कि वे पूरे तरीके से न सिर्फ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है बल्कि कॉलेजों में ऐसे विशेष पाठ्यक्रम भी संचालित कर रही हैं

जिससे महिलाएँ पढ़ सकें। इसके परिणाम स्वरूप लड़कियाँ लड़कों से ज्यादा अंक प्राप्त कर रही है। इस बात की पुष्टि अक्सर परीक्षा के समय प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार ''बेटियों ने फिर मारी बाजी'' शीर्षक से होता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं या 12वीं के नतीजों में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षा में करीब 88 फीसदी लड़कियाँ पास हुई जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 78 ही रहा। इससे यह साबित होता है कि अगर लड़कियों को शिक्षा दिलाई जाए तो वह बहुत अच्छा कर सकती हैं। व्यवसायिक शिक्षा ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें आज ज्यादा महिलाएँ शिक्षित होकर अपनी कल्पनाओं को साकार कर रही हैं। महिलाएँ शिक्षित होकर न सिर्फ व्यवसाय कर रही हैं। बल्कि विमान चला रही हैं, दूसरें ग्रहों पर जाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल रही हैं। पूरी दुनिया को अपनी योग्यता से चकाचौंध कर रही हैं।

जहाँ महिलायें अपने उत्कर्ष पर हैं वहीं देश तमाम पिछड़े इलाकों में आज भी अशिक्षा, अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई भी हैं। आज भी जब उनके घरों में वे स्वयं और उनके जानवर बीमार होते हैं तो उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि आज भी पिछड़े इलाकों में स्त्रियों की स्थिति बदतर है। वे कुपोषण की शिकार हैं। सरकार इन क्षेत्रों के लिए योजनाएँ तो बनाती है लेकिन योजनाओं को कार्यरूप में परिणित करने का दायित्व समाज का है। हमें स्त्री–शिक्षा की क्रान्ति से अप्रभावित इन क्षेत्रों में कार्य करना होगा।

स्वास्थ्य

आज के परिदृश्य में महिला को सबसे बाद में खाने की एक परंपरा सी बन गई है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस परंपरा को खत्म करना चाहिए जिससे महिलायें भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सकें। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा तो उससे समस्त जीवनशैली पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक दुर्बलता के चलते संतान भी दुर्बल होगी जिससे कि उसके विकास में भी बाधा आएगी। इससे महिलाओं को पूर्ण आहार आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण का आयाम स्वास्थ्य भी बेहद आवश्यक है यदि खान पान पर ध्यान नहीं दिया गया तो सशक्तिकरण की अवधारणा सिद्ध नहीं हो सकेगी।

आर्थिक

यदि महिलायें आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी तो परिवार में भी समृद्धि रहेगी, इसलिए आर्थिक रूप से महिलाओं की समृद्धि आवश्यक है। आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए परिवार का सहयोग आवश्यक है। यदि परिवार का सहयोग मिलेगा तभी तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। स्वयं की उपयोगिता सिद्ध हो सके और महिला सशक्तिकरण को बल मिल सके इसलिए आर्थिक रूप से महिलाओं की भागीदारी प्रत्येक परिवार को सुनिश्चित करनी होगी।

सामाजिक

समाज में सशक्तिकरण की शुरूआत ही परिवार से होती है। सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध परिवार का साथ होना आवश्यक है। परिवार की परंपराओं में महिला भागीदारी सुनिश्चित करना परिवार की जिम्मेदारी है। जैसे कि शादी समारोह में विधवा महिलाओं को दूर रखना आदि। इन कुरीतियों पर परिवार को दखल देकर इन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में भी महिलाओं की भागीदारी को सामाजिक स्वीकृति मिलना चाहिये।

विधिक

हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में महिला पुरूष को बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस पर अमल करने के लिए समाज, सरकार और परिवार को एक प्लेटफार्म पे आना होगा। घरेलू हिंसा आदि कानून बने हैं इनका व्यापक प्रचार प्रसार हो जिससे महिला की उन्नति के समस्त रास्तों को खोला जा सके और उसे समस्त बराबरी के अधिकार मिल सकें।

राजनैतिक

राजनीति का क्षेत्र भी अब महिलाओं के लिये अछूता नहीं रहा है। राजनैतिक क्षेत्र में बराबर की भागीदारी हेतु आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था का लाभ महिलाओं अनिवार्यतः मिलना चाहिये। पंचायतीराज व्यवस्था में 50 फीसदी आरक्षण को पारदर्शिता और समपर्ण के साथ लागू किया जा सके। जिससे समाज में महिला भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

भावनात्मक

महिलाओं का भावनात्मक पक्ष सदैव से कमजोर रहा है। अतएव इनको शिक्षित और आर्थिक रूप मजबूत करना आवश्यक है। जिससे भावनात्मक रूप महिलाओं को सशक्त बनाया जाये। परिवार के साथ रहते हुए कई बार महिलाओं पर अत्याचार होता रहता है और वे भावनात्मक होने के कारण घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं।

सारांश (Summary)

- शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, विधिक, राजनैतिक और भावनात्मक दृष्टिकोण यह सब महिला सशक्तिकरण के आयाम हैं।
- सामाजिक विसंगतियों से मुक्ति का एक मात्र हथियार शिक्षा ही है। इससे महिलायें परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकती हैं।
- शिक्षित महिला परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है।
- महिलाओं को यदि शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास के साथ समाज में भी महिला जागरूकता को एक नई दिशा मिलेगी। इसलिए शिक्षा अति आवश्यक आयाम है।
- आज के परिदृश्य में महिला को सबसे बाद में खाने की एक परंपरा सी बन गई है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस परंपरा को खत्म करना चाहिए जिससे महिलायें भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सकें।
- स्वास्थ्य कमजोर रहेगा तो उससे समस्त जीवनशैली पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक दुर्बलता के चलते संतान भी दुर्बल होगी जिससे कि उसके विकास में भी बाधा आएगी। इससे महिलाओं को पूर्ण आहार आवश्यक है।
- महिला सशक्तिकरण का आयाम स्वास्थ्य भी बेहद आवश्यक है यदि खान पान पर ध्यान नहीं दिया गया तो सशक्तिकरण की अवधारणा सिद्ध नहीं हो सकेगी।
- यदि महिलायें आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी तो परिवार में भी समृद्धि रहेगी, इसलिए आर्थिक रूप से महिलाओं की समृद्धि आवश्यक है।
- आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए परिवार का सहयोग आवश्यक है। यदि परिवार का सहयोग मिलेगा तभी तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।

- स्वयं की उपयोगिता सिद्ध हो सके और महिला सशक्तिकरण को बल मिल सके इसलिए आर्थिक रूप से महिलाओं की भागीदारी प्रत्येक परिवार को सुनिश्चित करनी होगी।
- समाज में सशक्तिकरण की शुरूआत ही परिवार से होती है। सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध परिवार का साथ होना आवश्यक है।
- परिवार की परंपराओं में महिला भागीदारी सुनिश्चित करना परिवार की जिम्मेदारी है। जैसे कि शादी समारोह में विधवा महिलाओं को दूर रखना आदि। इन कुरीतियों पर परिवार को दखल देकर इन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है।
- महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में भी महिलाओं की भागीदारी को सामाजिक स्वीकृति मिलना चाहिये।
- भारतीय संविधान में महिला पुरूष को बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस पर अमल करने के लिए समाज, सरकार और परिवार को एक प्लेटफार्म पे आना होगा।
- घरेलू हिंसा आदि कानून बने हैं इनका व्यापक प्रचार प्रसार हो जिससे महिला की उन्नति के समस्त रास्तों को खोला जा सके और उसे समस्त बराबरी के अधिकार मिल सकें।
- कानूनों की मदद से नारी क्षमता और संवर्धन के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जिससे महिलाओं को शोषण से मुक्ति मिले और उपलब्ध अवसरों का यथा संभव लाभ मिल सके।
- राजनैतिक क्षेत्र में बराबर की भागीदारी हेतु आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था का लाभ महिलाओं अनिवार्यतः मिलना चाहिये।
- पंचायतीराज व्यवस्था में 50 फीसदी आरक्षण को पारदर्शिता और समपर्ण के साथ लागू किया जा सके।
- राजनैतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाओं को जागरूक करने के प्रयास जारी हैं जिससे समाज में महिला भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।
- महिलाओं को शिक्षित और आर्थिक रूप मजबूत करना आवश्यक है। जिससे भावनात्मक रूप महिलाओं को सशक्त बनाया जाये।

- परिवार के साथ रहते हुए कई बार महिलाओं पर अत्याचार होता रहता है और वे भावनात्मक होने के कारण घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं। इस क्षेत्र में उनको मजबूत करना होगा उन्हें अधिकारों के प्रति सजग हो सकें।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भावनात्मक रूप से भी सशक्त होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब समाज और परिवार इतना जागरूक हो कि वे उनके अधिकारों को स्वतः ही प्रदान कराने में सहयेाग करें।

स्व–मूल्यांकन (Self-assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer type Questions)** –

1. महिला सशक्तिकरण से मुख्य आयाम कौन से हैं?
2. आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण आयाम कौन सा है और क्यो?
3. महिला सशक्तिकरण के आयामों पर समग्र लेख लिखिये?
4. बड़े संगठन इन आयामों को किस प्रकार परिभाषित करते हैं?

- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer type Questions)** –

1. शिक्षा से सशक्तिकरण कौन सा लाभ होगा?
2. स्वास्थ्य की दृष्टि से सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3. आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण से क्या आशय है?
4. सामाजिक, राजनीतिक व कानून की दृष्टि से सशक्तिकरण क्या है?
5. भावनात्मक दृष्टि से सशक्तिकरण से क्या आशय है?

- **अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Very shortAnswer /Objective type Questions)**

1. महिला सशक्तिकरण के कुल कितने आयाम हैं?
2. महिलाओं के विकास में कौन सा आयाम सबसे अधिक सहायक है?
3. सामाजिक विसंगतियों से मुक्ति का एक मात्र हथियार क्या है?
4. समाज में सशक्तिकरण की शुरूआत ही किससे होती है?

प्रदत्त कार्य (Assignments)

- अपने ग्राम/वार्ड में ऐसी महिलाओं सूची तैयार करें जिन्होंने पढ़ाई हेतु अभिनव पहल की हो।
- महिला सशक्तिकरण के आयामों पर कक्षा में वाद–विवाद आयोजित करें।
- महिला सशक्तिकरण के आयामों पर 10 सुझावों का विवरण तैयार करें।
- महिला सशक्तिकरण के आयामों पर पोस्टर निर्माण करें।

संदर्भ (References)

- **मुद्रित संदर्भ** – 1. महिला विकास एवं सशक्तिकरण : महिला बाल विकास विभाग, मप्र शासन।
- **https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/MMC-101.pdf**
- **https://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/bmc/bmc-101-h%20.pd**

इकाई–1.4 सतत विकास लक्ष्य और महिलायें

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि

- हमारे सतत विकास लक्ष्य क्या है?
- इन लक्ष्यों में महिलाओं के कौन से विषयों को शामिल किया गया है??
- सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार की योजना?
- भारतीय आयामों को महिला सशक्तिकरण से किस प्रकार जोड़ा गया है?
- भारत में महिला सशक्तिकरण के आयाम से विकास किस प्रकार होगा?

सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए, प्रयास के द्वारा महिलाएँ अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होती है। नारी का सशक्तीकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ विकास की सहभागी माना जाए। सशक्तीकरण के अंतर्गत महिलाएँ अपने आर्थिक स्वावलम्बन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुँच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारी को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसे अपने जीवन की गरिमा को सुरक्षित रखने और सम्मानित जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। यहाँ तक कि शिक्षा और ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में भी नारी को अपनी प्रतिभा दिखाने और मुखरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गयी। महाभारत काल के पश्चात् नारी की स्थिति में गिरावट आयी है। उससे शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। धीरे–धीरे नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय एवं चिंताजनक हो गयी। मुस्लिम काल में हिन्दू समाज के कई संप्रदाओं ने महिलाओं को पर्दे में रखना आरम्भ कर दिया। यह मुस्लिम समाज के आतंक से बचने के लिए जारी की गयी थी। जो आज भी एक रूढ़ि बनकर समाज में व्याप्त है। अंग्रेजों के काल में भी यह प्रथा यथावत बनी रही। समय के साथ नारी की स्थिति में

परिवर्तन तो हुए लेकिन सिर्फ शोषण के रूप में। वर्तमान में भी नारी की स्थिति सोचनीय बनी हुई है।

समय करवट ले रहा है। दमन, दलन और उत्पीड़न से मुक्त होकर नारी जागरूक हो रही हैं। आज नारी विकास की ओर अग्रसर है। वह हर क्षेत्र में अपनी एक अनोखी पहचान बना रही है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यह आधुनिक युग की नारी का ही स्वरूप है। जो अपनी पहचान बना रही है। सतत विकास लक्ष्य और महिलायें जानने से पहले हम जान लें कि हमारे सतत् विकास लक्ष्य कौन से हैं इनको जानना जरूरी है। सतत विकास लक्ष्य इस प्रकार हैं।

- शून्य गरीबी,
- शून्य भुखमरी,
- उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली,
- गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा,
- लैंगिक समानता,
- स्वच्छ जल एवं स्वच्छता,
- सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा,
- आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य,
- बुनियादी सुविधाएं उद्योग एवं नवाचार,
- असमानताओं में कमी,
- संवहनीय शहर और समुदाय,
- संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन,
- जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवों की सुरक्षा,
- थलीय जीवों की सुरक्षा,
- शांति एवं न्याय और सुदृढ़ संस्थान,
- लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भागीदारी।

यह सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में तय किये गए 17 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक, सभी सदस्य देशों द्वारा प्राप्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की तुलना में अधिक व्यापक हैं और इनसे सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाना संभव होगा।

महिलाओं से संबंधित सतत् विकास लक्ष्य

लक्ष्य 2 –: भूख से समाप्ति

- किशोरियों गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना।

लक्ष्य 3 –: अच्छा स्वास्थ्य और स्वस्थ्य जीवन

- वैश्विक मातृत्व मृत्यु दर की प्रति 100,000 जीवित जन्म पर 70 से कम करना। परिवार नियोजन, जागरूकता और शिक्षा के साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच।राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य को शामिल करना।

लक्ष्य 4 –: शिक्षा की गुणवत्ता

- महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सस्ती और गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा सुनिश्चित करना। ऐसी शिक्षा सुविधाओं का विकास और अवनयन करना जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो और सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्रदान करे।

लक्ष्य 5 –: लैंगिक समानता

- महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध सभी जगह सभी प्रकार के भेदभाव का अंत। मानव तस्करी, यौन शोषण और अन्य प्रकार के सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना। बाल विवाह, बलात विवाह और महिला जननांग कर्तन जैसी सभी कुप्रथाओं को समाप्त करना। राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने और जीवन के सभी स्तरों पर नेतृत्व के लिए महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार के साथ ही जमीन और अन्य संपत्ति, वित्तीय सेवाओं, पैतृक और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण पर समान अधिकार देना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सूचना और

संचार प्रौद्योगिकी के साथ अन्य तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ नीतियों और प्रवर्तनीय कानून को मजबूत बनाना।

लक्ष्य 6 –: स्वच्छ जल और साफ –सफाई

- महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को खत्म करना।

लक्ष्य 7 –: संतोषजनक काम और आर्थिक विकास

- सभी महिलाओं और पुरुषों को पूर्ण और उत्पादक रोजगार प्रदान करना। समान कार्य के लिए समान वेतन। श्रम अधिकारों की रक्षा करना और सभी श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान कराना।

लक्ष्य 10 –: असमानताओं को कम करना

- आयु, लिंग, विकलांगता, जाति, धर्म, या अधिक या अन्य स्थिति को मद्देनजर रखे बिना सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशी विकास को बढ़ावा देना। संधारणीय परिवहन व्यवस्था के निर्माण में महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान रखना। सुरक्षित, समावेशी और सुलभ सार्वजिनक स्थलों तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना।

लक्ष्य 13 –: जलवायु परिवर्तन

- महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजना और प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करना।

लक्ष्य 16 –: शांतिपूर्ण और समावेशी संस्थान

- सभी प्रकार की हिंसा और संबंधित मृत्यु दर को कम करना। यातना, दुरुपयोग, शोषण, तस्करी और बच्चों के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा का अंत

सारांश

- नारी का सशक्तीकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है।

- सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा महिलाएँ अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होती हैं।
- मानव विकास के क्रम में कुछ कारणो से महिला–पुरूष की स्थिति समान नही रह सकी और अतीत के अनेक कालखण्डों में महिलाओं की दशा दयनीय और चिंतनीय हो गयी।
- महिला सशक्तिकरण के बिना महिलाओं की सक्रिय और सार्थक भागीदारी विकास कार्यों में सुनिश्चित न होने से विकास लक्ष्यों की प्राप्ति नही हो सकती।
- महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, विधिक, स्वास्थ्य संबंधी अनेक पहलुओं का समावेश है।
- महिला सशक्तिकरण आवश्यकता नही अनिवार्यता है। आधी आबादी को सम्मान और प्रतिष्ठा से जीने की आजादी और बराबरी की हकदारी दिये बिना समाज में बड़ा गुणात्मक बदलाव लाना संभव नही होगा।
- पूर्व के अनुभव इस तथ्य को बताते हैं कि महिला सशक्तिकरण के समान्य से प्रयास से दूरगामी और प्रभावित करने वाले परिणामों की प्राप्ति संभव है। अतः महिला सशक्तिकरण में हमारे प्रयासों का निवेश बेहतर भविष्य की गारन्टी है।

अवधारणात्मक शब्दों के अर्थ (Meaning of Conceptual Terms)

- **सार्वभौमिक** –: शब्द का आशय यहां सबके रूप में समदृष्टि प्रदर्शित करता है।
- बहुआयामी –: शब्द का आशय अनेक प्रकार से है।
- दृष्टिकोण –: शब्द का आशय नजर, विजन को प्रदर्शित करता है।

स्व–मूल्यांकन (Self-assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer type Questions)** –

1. आपकी दृष्टि में स्त्री क्या है? 500 शब्दों में अपने विचार लिखें
2. इतिहास की किस महिला पात्र से आप सर्वाधिक प्रभावित हैं? उनके विषय में 500 शब्द में विवरण तैयार करें

3. स्त्रियों के लिए कौन सा युग स्वर्णिम काल कहा गया है, कारण की विवेचना करें?
4. मनुस्मृति में स्त्री से संबंधित किन्ही 3 विधानों की व्याख्या करें।
5. मध्ययुगीन स्त्रियों की अवस्था पर एक लेख लिखें।

- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer type Questions)** –

1. ऐतिहासिक व वर्तमानयुग की पांच स्वयंसिद्धाओं का संक्षिप्त विवरण दें।
2. सतत् विकास लक्ष्यों में महिलाओं की स्थिति का आंकलन कीजिये?
3. भारतीय महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुये सतत् विकास लक्ष्यों की परिपूर्णता को किस प्रकार करेंगे, समझाइये?
4. सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार आपके क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित किस कार्य को सर्वाधिक करने की आवश्यकता है और क्यो?
5. समस्त सतत् विकास लक्ष्यों को परिवेश के अनुसार प्राप्त करने की विधियों को समाहित करते हुये एक चार्ट तैयार कीजिये?

- **अति लघुउत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Very shortAnswer /Objective type Questions)**

1. सतत् विकास लक्ष्य कितने हैं?
2. इन लक्ष्यों को कब तक पाना है?
3. यह लक्ष्य कब कहां निर्धारित किये गये?

प्रदत्त कार्य (Assignments)

1. विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत तथा सफल महिलाओं सूची तथा संक्षिप्त विवरण तैयार करें।
2. वर्तमान युग की महिलाओं को कैसा होना चाहिए? कक्षा में वाद–विवाद आयोजित करें।
3. महिलाओं से संबंधित कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए 10 सुझावों का विवरण तैयार करें।

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ – 1. महिला विकास एवं सशक्तिकरण : महिला बाल विकास विभाग, मप्र शासन।

https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/MMC-101.pdf

https://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/bmc/bmc-101-h%20.pd

इकाई 2 : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महिलाएँ : अतीत से अब तक

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि –

- मानव विकास के प्रारम्भिक दौर में महिला और पुरुषों के सम्बन्ध किस प्रकार थे?
- इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में महिलाओं की दशा किस प्रकार रही?
- शोषण और अन्याय के विरोध में स्त्री स्वातन्त्र्य के स्वर किन रूपों में मुखरित हुये?
- नारी मुक्ति आंदोलन के विविध रूपों को जान सकेंगे।

2.1 प्रारम्भिक काल में महिलाओं की स्थिति

नारी सशक्तिकरण को इन कालखंडों में इस प्रकार समझा जा सकता है। कालखंड हैं –:

1. आदिकाल
2. बौद्धकाल
3. वैदिककाल
4. धर्मशास्त्र काल
5. स्मृति काल
6. मौर्य काल (गुप्तकाल)
7. रामायण काल
8. महाभारत काल

1. आदिकाल

यह काल वह काल या समय था जब स्त्री और पुरूष में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं था। दोनों ही स्वच्छंद थे। इस काल में चूंकि वनवासी ही जीवन शैली थी। तो समाज आदिमानवों के रूप में समूह में रहता था। इस समूह में स्त्री पुरूष तथा बच्चे होते थे। वे इन जंगलों से फल–फूल तथा शिकार कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस समय घर जैसी कोई व्यवस्था इनके पास न थी तो बारिश तथा धूप से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। समय बदला तो धीरे–धीरे जरूरत के हिसाब से एक व्यवस्था ने आकार लेना शुरू कर दिया। थोड़ी समझ विकसित हुई तो गर्भवती तथा प्रसूता स्त्रियां पहले की तरह शिकार तथा भोजन एकत्र करने

के साथ अन्य गतिविधियो में उनकी हिस्सेदारी घटी। बच्चे के होने पर उसके प्रति एक स्वाभाविक लगाव बढ़ा तो देख– रेख आदि के लिए स्त्रियां घर पर रहने लगीं। जब वे घर रहने लगीं तो बाहर जाकर कंद मूल तथा शिकार की व्यवस्था करना पुरूषों का काम बन गया। इन सबके बाद भी समूह भावना बनी रही। इन व्यवस्थाओं के बाद भी सभी कार्य सामूहिक रूप से सम्पन्न होते थे। समूह की सभी स्त्रियां मिलकर सभी के बच्चों की देखरेख करती थीं। समूह का कोई भी पुरूष शिकार लाये वह समान रूप से सभी में बराबर बटता था। सही मायने में यह परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था।

समय बदला तो अगले चरण में ज्ञान का प्रार्दुभाव हुआ। मनुष्य ने रहन– सहन विकसित किया, गुफा से घर तक बनाना सीखा। पहले यह था कि वह घुमंतू था लेकिन अब समय के बदलते परिवेश में यह परिवर्तन आया कि वे एक जगह स्थिर होकर रहने लगे। एक साथ रहने से बस्तियां बसने लगीं। शुरूआती दौर में वे सूर्य, चंद्रमा, तारे, वर्षा धूप आदि को विस्मय की दृष्टि से देखते थे परंतु ईश्वर जैसी अवधारणा नहीं थी। जब ईश्वर जैसी कोई शक्ति का ज्ञान ही नहीं था इसलिए उस समय तक पुरूषों को भी ईश्वर जैसा कोई दर्जा नहीं था। एक तरफ जहां गृह प्रबंधन पूरी तरह स्त्रियों के हाथ में था वहीं दूसरी तरफ पुरूष सैनिक की भांति अपने घर की रक्षा करते थे।

यह सत्य है कि आदिमाता, सप्तमातृका, वनदेवी, प्रकृतिदेवी आदि जैसे शब्द या उद्‌बोधन प्रारंभिक मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की ही देन है। इस सामाजिक व्यवस्था ने स्त्री–पुरूष दोनों के लिए जीवन पहले से अधिक सरल बना दिया। पुरूष ने अपनी बुद्धि का विकास किया तो शिकार के लिए नए–नए हथियार गढने में रूचि लेने लगा जबकि स्त्रियां गृह प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने में व्यस्त और पारंगत हो गईं। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकी। जैसे–जैसे मनुष्य के सभ्य होने के गुण बढ़े तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा के साथ–साथ प्रतिस्पर्धा की भावना का भी अंकुर प्रस्फुटित होने लगा। परिणामतः मानव ने नये प्रयोगों और खेती आदि के माध्यम से स्त्री और पुरूष दोनो के जीवन को स्थिरता दी।

वनवासी जीवन शैली तथा खानाबदोश के रूप में कार्य करने व जीवन जीने की क्रिया का समापन हुआ। जब समझदार होने लगे तो कृषि, वन, संपत्ति को वह अपना समझना लगा और उस पर अधिकार की भावना विकसित हुई। इस तरह से एक संस्था जन्मी और फिर इसी व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के लिये संस्था ने जन्म लिया। यह व्यवस्था ने धीरे –धीरे अपना विस्तार किया जिसके परिणाम स्वरूप उपार्जन एवं संपत्ति के आधार पर पितृ सत्तात्मक परिवाार व्यवस्था का जन्म हुआ। इस व्यवस्था से मनुष्य के जीवन के उद्‌देश्यों में भी परिवर्तन

हुआ। अब उसका लक्ष्य केवल मात्र भोजन एकत्र कर जीवनयापन करना ही न रहकर संपत्ति और अधिकार स्थापित करने की भावना का जन्म भी हुआ। यह भावना प्रबल होती चली गई।

इसके कारण यह हुआ कि जो परिवार में बट कर कबीले के रूप में जीवन यापन करने लगे थे वे अब एक दूसरे पर हमला करने लगे। इससे यह भी हुआ कि जो कबीला हार जाता उसकी संपत्ति के साथ–साथ स्त्रियों पर भी अधिकार करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी सही मायने में यही वो समय था जब स्त्रियों के हाथ से सत्ता फिसलन दृष्टव्य होने लगा।

सामूहिता ने एक और प्रथा को जन्म दिया था कि स्त्री भेद नहीं था, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री से संबंध बना सकता था। ऐसे में गर्भवती स्त्री की सुरक्षा, उसकी देखभाल एक बार प्रश्नचिन्ह लगता। इस कुरीति को स्वतः ही एक नये नियम ने समाप्त कर दिया जिसके आधार पर तय किया गया कि कोई स्त्री एक ही व्यक्ति से सम्बंध बनायेगी ताकि गर्भस्थ शिशु के पितृत्व का निर्धारण हो सके। इसके साथ यह भी तय हुआ कि वही व्यक्ति उस स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु की देखभाल के लिए जिम्मेदार होगा तथा वही शिशु आगे चलकर उस व्यक्ति के सम्पत्ति का उत्तराधिकारी भी होगा। उक्त नियम के बनने के बाद इसे पालन करवाने के लिए अनेक उपनियम का भी निर्माण किया गया।

गर्भस्थ शिशु के पितृत्व निर्धारण के पश्चात स्त्रियों पर प्रतिबंध से लगने आरंभ हुये उनकी दुनियां चारदीवारी में कैद होती चली गई। वे निष्प्राण सी हो गईं। सामाजिक गतिविधियों में उनकी भूमिका नगण्य हो गई। यही वो समय था जब उपार्जन के साधनों पर पूरी तरह पुरूषों का अधिकार हो गया। इसी नियम से एक संस्था ने और जन्म लिया जिसे विवाह कहा गया। सकारात्मक पहलू इस काल यह है है कि इतना सब होने के बाद भी घरेलू स्तर पर महिला उत्पीड़न जैसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई ऐसा कोई उदाहरण संज्ञान में नहीं आया।

2. बौद्धकाल

यह समय ऐसा समय था जब स्त्री–पुरूष को देखने का नजरिया लगभग सभी दृष्टि से बदल चुका था। पुरूष प्रधान समाज की धमक स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। तभी भगवान बुद्ध का स्वरूप विस्तार हुआ और फिर एक नई नीव पड़ी। उन्होने एक अपने काल में अनुयायियों को संकेत दिया कि हमारे समय में जातिवाद या लिंगभेद को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। उनकी दृष्टि में सभी लोग समान थे। महात्मा बुद्ध द्वारा संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया जाना एक युगांतकारी घटना थी। महाप्रजापति गौतकी स्वयं पांच सौ स्त्रियों को लेकर बुद्ध के शरण में गई और तीन बार संघ में सम्मिलित कर लेने का निवेदन किया जिसे भगवान बुद्ध ने

विनम्रतापूर्वक नकार दिया। थेरी गाथाओं में 73 भिक्षुणियों की 522 गाथाओं के संग्रह को थेरी गाथायें कहा जाता है इन थेरियों (गाथाओं में) में अप्रतिम सुंदर नगरवधु आम्रपाली की कविताएं भी हैं। प्रव्रज्या प्राप्त स्त्रियां थेरी कही जाती थीं। जिन स्त्रियों ने भिक्षुणी की दीक्षा ली, उनमें से अधिकांश उँची आध्यात्मिक पहुँच के लिए और नैतिक जीवन के लिए प्रसिद्ध हुईं। कुछ स्त्रियाँ पुरुषों की शिक्षिका तक बन गईं। जबकि कुछ ने कठिन साधना के बल पर चिरन्तन स्थिति को भी प्राप्त कर लिया था, यह स्थिति उत्कृष्ट स्थिति कहलाती है। इस अवस्था में समस्त भेदभाव मिटकर समस्त संसार एक ही परिवार एक ही सदस्य सा नजर आने लगता है।

3. वैदिककाल

यह वह काल है जिसमें वेद ग्रंथों का विस्तार तेजी से हुआ। ऐसा प्रमाणित है कि ऋंगवेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं जिसमें 30 महिलाओं के नाम हैं। हमारे वेदों में स्त्रियों का उल्लेख सम्मानजनक ढंग से किया गया है। यह कह सकते हैं कि उस वक्त स्त्रियां वेद शिक्षित तथा युद्ध कला में भी निपुण हुआ करती थीं। वैदिक काल में स्त्रियों में गार्गी, सूर्या, अपाला, लोपामुद्रा, रोमशा वे प्रमुख नाम हैं जिन्हें वेदों में सम्मानजक स्थान व समाज में विशिष्ट पद प्राप्त है। यह सत्य है कि वैदिक युग में समाज पितृ सत्तात्मक था लेकिन इसके बाद भी परिवार नामक संस्था पूर्ण विकसित थी। जब भी कोई स्त्री पति गृह में प्रवेश करती तो उसे स्वतः ही प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो जाता था। अथर्ववेद (14/14) में कहा गया है कि''नव वधु तू जिस घर में जा रही है वहां की साम्राज्ञी है, तेरे सास, ससुर, देवर व अन्य व्यक्ति तुझे साम्राज्ञी समझते हुए आनंदित होंगे।'' वहीं शातपथ ब्राम्हण में उल्लेख है कि वैदिक युग में पत्नी को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। आर्य पत्नी को ही घर मानते थे। उनके गृहस्थ धर्म का आशय था नारी के साथ रहकर धर्म अनुष्ठान और यज्ञ संपादन करना। पति–पत्नी दोनो मिलकर यज्ञ करते थे। इतना ही नहीं कई बार पत्नी स्वतंत्र रूप से भी यज्ञ करती थी। शातपथ ब्राम्हण के अनुसार पत्नी के बिना पति स्वर्ग नहीं जा सकता।

4. धर्मशास्त्र काल

वैदिक काल में विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जात है कि 788 ईसवी में जन्में शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के ज्ञानी के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। उन दिनों एक परंपरा थी वह थी शास्त्रार्थ की परंपरा थी। जो शास्त्रार्थ में विजयी होता वही विद्धान की श्रेणी में रहता था। मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया और यह क्रम निरंतर 41 दिन तक चला। अंततः 42वें दिन दिन मंडनमिश्र शंकाराचार्य से पराजित हो गए। तब मंडन मिश्र की

पत्नी उभय भारती ने कहा आपने अभी आधे अंग को ही पराजित किया है। मैं इनकी वामांगी हूं, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकें तभी विजेता कहला सकेंगे। इसके बाद भारती कुछ प्रश्न शंकराचार्य से पूछे जिसका उत्तर वह नहीं दे सके। इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैदिक काल के उत्तरार्ध में भी विदुषी स्त्रियों का अस्तित्व रहा है। उस दौरान भी उनका प्रभुत्व था और उनकी बात को सर्व स्वीकार कर समाज में सम्मान का पद दिया जाता था।

5. स्मृतिकाल

स्मृतिकाल वह काल है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वेदों के बाद सर्वाधिक मान्यता किसी को प्राप्त है तो वह मनु स्मृति को प्राप्त है। इस ग्रंथ में मानव आचार, विचार, जीवन पद्धति आदि की विस्तारित रूप से व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ में स्त्री के सम्मान को और प्रगाढ़ किया गया है। जैसे कहा गया है कि **'यत्र नार्यस्तु पुज्यंते, रमंते तत्र देवता'** 'जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। उक्त वाक्य मनु स्मृति में दर्ज है। इस से यह स्पष्ट है कि उस समय सभ्य समाज की पहचान का केंद्र बिंदु स्त्री ही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो नारी को पूजना ही सभ्यता की चरम सीमा को प्राप्त करना है। उसी से सभ्य समाज की पहचान का निर्धारण होता था।

6. मौर्यकाल (गुप्तकाल)

यह वह काल है जहां स्त्रियों के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया गया हो। इस युग में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षित थीं तथा सामाजिक समारोहो में हिस्सा लेती थीं। अंगरक्षक तथा गुप्तचर के रूप में नियुक्त होती थीं। मौर्यकाल में राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 'विषकन्या' के उपयोग का उदाहरण मिलता है। इस काल में वेश्यावृति भी प्रचलित थी। तथापि बौद्ध धर्म की महिलाओं की स्थिति अन्य की अपेक्षा बेहतर थी। गुप्तकाल में भी कमोवेश यही स्थिति रही। इस युग में देवदासी, नगरवधु, बिना विवाह किए स्त्री को रक्षिता बनाकर रखने का प्रचलन बढ़ने लगा। समाज में स्त्री को भोग की वस्तु की संज्ञा भी इसी काल में सर्वाधिक मिली।

7. रामायणकाल

महाकवि बाल्मिकी ने इस काव्य की रचना की। बाद में सरल अवधी में गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना की। इन पुस्तकों के अध्ययन और सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि स्त्री और पुरूष को बराबर का अधिकार प्राप्त था। स्त्री को स्वयं वर चुनने का

अधिकार एक ओर जहां था वहीं वह युद्ध क्षेत्र में भी बराबर की भागीदारी करती थीं। यहीं राज काज का सारा वित्तीय कार्य भी स्त्रियों ने ही संभाला है ऐसा उल्लेख भी इन ग्रंथों में मिलता है। कैकयी का जहां युद्ध सौष्ठव दिखता है वहीं सुमित्रा का राजदरबार में वित्त संचालन भी मजबूती के साथ नजर आता है। यह स्त्री की सशक्तता के प्रमाण हैं। वहीं कुछ स्थानों पर पुरूष प्रधानता का वर्णन भी है। नारी की शुचिता के लिए अग्निपरीक्षा का जिक्र या दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ। उक्त गतिविधियों से यह भी पता चलता है अधिकार तो स्त्री को थे लेकिन अंतिम निर्णय में पुरूष की भागीदारी अधिक थी।

8. महाभारत काल

इस काल को द्वापुर युग भी कहा जाता है। इस काल में श्रीकृष्ण जैसे महानायक हुये, जिन्होंने स्त्री अस्मिता की एक नई परिभाषा दी। स्वंतंत्रता दी। उन्होंने जहां एक तरफ द्रौपदी की इज्जत को तार –तार होने से बचाया वहीं अपनी बहन को स्वयं अनुरूप विवाह करने का निर्णय लेने की आजादी भी दी। ऐसा करके समाज के समक्ष एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इतना सब के बाद भी इस युग में स्त्री का चरित्र संदेहास्पद बना रहा।

महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है कि उन्हें बाल्यावस्था में पिता के सरंक्षण में युवावस्था में पति के संरक्षण में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में बिताना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वतंत्रता चाहती ही नहीं हैं। कुंती का कुंवारा मां बनना और द्रौपदी का पांच भाईयों में बंटना आदि ऐसी घटनायें स्त्री अस्मिता और उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह खड़े करती रही हैं।

पिता रक्षति कौमार्य कर्ता रक्षतियाँ बने पुत्र रक्षति वार्धक्ये न स्त्रि स्वातन्त्र अर्हति

2.2 मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति

मुस्लिम शासनकाल में महिलाओं की दुर्गति हुई है। इस काल में महिलाओं को कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया। महिला भोग की वस्तु समझी जाती रही। इसी काल में मुहम्मद बिन कासिम ने जब 7वीं शताब्दी के अंत मे सिंध पर आक्रमण किया तो उसके बाद से ही हिंदुस्तान में मुसलमान शासकों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यह वही समय था जब इन विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए स्त्रियां जौहर की अग्नि में भस्म होने लगीं। इस युग में अनेक कुप्रथाओं का जन्म हुआ। इनमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, टोनही, बांझ, जैसी अवधारणाओं ने समाज को चारो ओर से जकड़ लिया। मुगलों के आगमन के पश्चात सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कुलीन वर्ग के लोगों ने इस प्रथा को अपने अंतःपुर में लागू किया जिसका अनुसरण करते हुए समाज के अन्य वर्गों ने भी इसे अपना लिया। 15वीं 16वीं शताब्दी तक

यह भारतीय स्त्रियों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया। प्रारंभ में यह स्त्री की कुलीनता का परिचायक था जो बाद में दुर्भाग्य सिद्ध हुआ।

बाल विवाह : यद्यपि इस कुरीति का प्रारंभ बहुत पहले हो चुका था तथापि मध्यकाल में यह बर्बरता की स्थिति थी। बाल्यावस्था में विवाह के कारण अधिकांश लड़कियों की प्रथम प्रसव काल में ही मृत्यु हो जाती थी स्त्रियों की अकाल मृत्यु का बहुत बड़ा कारण था बाल्यावस्था में स्त्रियों का विधवा हो जाना उनकी संपूर्ण जीवन के लिये अभिशाप बन गया था।

विधवाओं की स्थिति : कम आयु की बच्चियों का विवाह अधेड़ तथा वृद्ध से होना आम बात थी जिनके कारण समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। समाज में विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त नहीं था। बल्कि विधवा होने के पश्चात उन्हें धर्मसम्मत ढंग से जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया जाता था। इन निर्देशों में बाल काट दिये जाते थे, सफेद धोती पहन कर रहना होता था, तामसिक भोजन न करना, जीवन के आमोद प्रमोद से दूर रहना आदि शामिल था। कई बार विधवाएं अपने ही परिवार के पुरूष की कुदृष्टि का भी शिकार बन जाती थीं। अपनी इस स्थिति की कल्पना करते हुए कई बार स्त्रियां स्वयं पति की चिता में कूदकर प्राण त्याग देती थीं।

सती प्रथाः इस युग में यह प्रथा अपने वीभत्स रूप में पायी जाती थी। उन्हें यह दीक्षित किया जाता था कि उनकी सद्गति पति के चरणों में ही है, भले ही पति कामी, शराबी जुआरी ही क्यों न हो। पति की चिता के साथ जल मरने वाली स्त्रियों का महिमामंडन किया जाता था। परिस्थितियों ऐसी निर्मित हो चुकी थी कि पति की मृत्यु के बाद जो पत्नी उसके साथ सती नही होना चाहती उसे निंदनीय माना जाता था। अर्थात स्वयं को पतिव्रता सिद्ध करने के लिए उनका सती होना आवश्यक था।

2.3 अन्याय के विरूद्ध प्रथम आवाज तथा नारी मुक्ति आंदोलन काल

वैदिक युग में अपनी विद्वता सिद्ध कर चुकी स्त्रियों को मध्ययुग में इस सत्य का भान हुआ कि जिस नियम उपबंधों को वह अपने तथा अपने परिवार के हित में समझ रही थीं वह दरअसल उनके पांव में बांधी जाने वाली बेड़ियां थीं। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अधिकांश स्त्रियां नियति मानकर अन्याय को चुपचाप सहन कर रही थीं। मध्ययुग के उत्तरार्ध में कुछ ऐसी वीरांगनाएं भी सामने आई जिन्होंने परिणाम की परवाह न करते हुए अन्याय के विरूद्ध न केवल आवाज उठाई बल्कि तत्कालीन समाज को पुर्नविचार के लिए विवश कर

दिया। सन 1882 में एक अज्ञात महिला ने *'सीमांतनी उपदेश'* नामक पुस्तक लिखी और उसकी तीन सौ प्रतियां गुप्त रूप से बंटवा दी। इस पुस्तक में लेखिका का नाम दर्ज नहीं है। डा धर्मवीर ने इस लेखिका पर शोध किया और पाया कि इसका पहला लेख एक भाषण है जो इस महिला ने बंबई के प्रार्थना समाज द्वारा आयोजित एक स्त्री सभा में दिया था। (16, सीमंतनी उपदेश) अर्थात पुस्तक में अज्ञात यह लेखिका अपने व्यक्तिगत जीवन में बढ़–चढ़कर स्त्री आंदोलन में हिस्सा ले रही थी।

सीमांतनी उपदेश नामक पुस्तक में **"ऑनर किलिंग"** रिश्तेदारों द्वारा होने वाले यौन शोषण, पति से मार खाती औरत की कहानी है। इस पुस्तक में उन बाल विधवाओं की भी कथा है जो मानसिक और यौनिक शोषण सहती हुई अंत में वैश्या बन जाती हैं। इन कहानियों में औरतों के लिए शिक्षाएँ भी दी हुई हैं। जैसे औरतें खुद पसंद करके शादी करें, घर वाले अनुमति न दे ंतो कानून का सहारा लें, स्वयं के लिए शिक्षा का मार्ग तलाशें।

18वीं सदी के उत्तरार्ध से भारत में स्त्रियों द्वारा अन्याय के खिलाफ स्वर उठना प्रारंभ हो गया था परंतु नारी मुक्ति आंदोलन यूरोपीय समाज की देन कही जा सकती है। स्त्रियों के प्रति भेद–भाव की भावना दुनिया भर में फैली थी। पश्चिमी देशों में नारीवाद की शुरूआत फ्रांसीसी क्रांति(1789–1799) से मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति में स्त्रियों ने भी बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था। इससे पूर्व स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व पुरूषों के लिए आरक्षित था। पुरूषों के अधिकार के लिए विंडिकेशन आफ राइट्स आफ मैन' जैसी किताबें भी लिखी गईं थी। इस पुस्तक के जवाब में मेरी वुल्सटनक्राफ्ट ने 'विंडिकेशन आफ राइट्स आफ वीमेन' लिखा।

कहा जाता है हैरियट टैलर नाम की महिला ने 'औरतों की गुलामी' नाम से पुस्तक लिखी जो उनके पति जॉन स्टुअर्ट मिल के नाम से प्रकाशित हुई। इसी प्रकार हरवर्ट स्पेंसर द्वारा नारी मुक्ति पर रचित पुस्तक की असल लेखिका जार्ज इलियट बतायी जाती हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की स्त्रियाँ शिक्षा, नौकरी, सम्पत्ति के अधिकार मताधिकार सहित सभी नागरिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहीं और उन्हें काफी हद तक अर्जित भी किया, लेकिन उनकी नागरिकता दोयम दर्जे की ही थी और पूंजीवादी उत्पादन तन्त्र में वे निम्नस्तरीय गुलामों में तब्दील कर दी गयी । फिर भी कुछ समकालीन क्रांतियां ऐतिहासिक तौर पर नारी मुक्ति संघर्ष को एक कदम आगे ले आई, उन्हें सामंती समाज के निरंकुश दमन से एक हद तक छुटकारा दिलाया, सामाजिक उत्पादन में उनकी भागीदारी की स्थितियां पैदा की और उनके भीतर अपने जनवादी अधिकारों, स्वतंत्र अस्मिता और स्वतंत्र

पहचान के लिए लड़ने की, सामाजिक–राजनीतिक क्रियाकलापों और संघर्षों में हिस्सा लेने की और एक नई जमीन पर खड़े होकर यौन–असमानता एवं यौन–उत्पीडन का विरोध करने की चेतना पैदा की।

इसी समयावधि में 28 फरवरी 1909 को अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर, महिला दिवस सबसे पहलेमनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था।

1911 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। 1917 में रूस की महिलाओं ने, महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिये हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल ऐतिहासिक महत्व की मानी जाती है। 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत में नारी मुक्ति तथा देश की गुलामी से मुक्ति की लड़ाई समांनांतर रूप से लड़ी गई। राष्ट्रीय आंदोलन में एक बार फिर समाज को स्त्री शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। यह वही स्त्रियां थीं जो सदियों पूर्व अज्ञानता के अंधकार में धकेली जा चुकीं थीं। नेतृत्वकर्ता समाज से अज्ञान व कुरीतियों से मुक्त होकर स्वंतत्रता संग्राम में सम्मिलित होने की अपील कर रहे थे। इस अर्थ में भारतीय स्त्रियों का मुक्ति आंदोलन पश्चिमी वुमेन लिबरेशन से थोड़ा सा भिन्न है।

1828 में राजा राम मोहन राय ने महिलाओं की दशा सुधारने हेतु गहन आंदोलन चलाया। परिणामस्वरूप 1829 में सती प्रथा विरोध अधिनियम पारित किया गया। इसी समय बाल विवाह की समाप्ति, स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रयत्न किए गए। प्रसिद्ध समाज सुधारक दयानंद सरस्वती ने ब्रम्ह समाज की स्थापना कर कुरीतियों के विरूद्ध आंदोलन चलाया। स्त्री शिक्षा, बाल विवाह निषेध और विधवा विवाद हेतु अनेक समाज सुधार कार्य किये तथा कुछ समाज के कड़े विरोध व व समाज वर्तमान में यह आय क्रमशः 18 वर्ष तथा 21 वर्ष ये उदारवादियों तथा समाज सुधारकों का यह प्रयास निष्फल नहीं गया।

राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने हर कदम पर पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलीं। आगे चलकर महात्मा गांधी के आह्वाहन पर हजारो की संख्या में अमीर–गरीब, शिक्षित–अशिक्षित स्त्रियां दहलीज से बाहर निकल पड़ीं। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी ही नहीं नेतृत्व क्षमता भी सिद्ध हुई।

राष्ट्रीय आंदोलन में क्रमिक रूप से भीकाजी कामा, ऐनी बेसेंट,सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा बाद की नेत्रियों में अरूणा आसफअली, सुचेता म0प्र0 की कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसी अनेक नेत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं। दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय समस्त उदारवादी नेतागण यह समझ चुके थे कि स्त्री की दशा सुधारकर ही स्वतंत्रता की लड़ाई जीती जा सकती है तथा एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है। गांधी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली अधिकांश स्त्रियां वही थीं जिनके पति आंदोलन में सक्रिय थे।

राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली अधिकांश महिलाएं पति की अनुमति के पश्चात ही आंदोलन में प्रवेश कर सकीं। इसलिए यह महज एक शुरूआत थी। बाद में स्वतंत्र भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार होना चाहिये अथवा नहीं यह गंभीर प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ।

सन् 1924 में श्रीमती चमेली देवी चौरसिया अपने लेख में स्त्रियों को राजनैतिक अधिकार दिये जाने के विरोध में दिए गए तर्को के विरोध मे लिखतीं हैं मैं कि यहां देश की भविष्य पार्लियामेंट, भारतीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि वे एक प्रस्ताव के द्वारा यह घोषणा कर दें कि स्वतंत्र भारत में पुरूषों के समान स्त्रियों को भी अधिकार प्राप्त होंगे। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण हेतु गठित संविधान सभा में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। अम्मू स्वामीनाथन, एन्नी मास्करेनी, बेगम एजाज रसूल, दक्षयिनी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। भारतीय स्त्रियों के जीवन में स्वतंत्र भारत का संविधान मानो नव जीवन संदेश लेकर इन प्रबुद्ध महिलाओं ने भारत के संविधान के निर्माण में अपने समृद्ध विचारों को व्यक्त कर अमूल्य योगवाद दिया है।

सारांश

- मानव विकास के प्रारम्भिक क्रम में महिला और पुरुषों की स्थिति समान थीं। जीवन से जुड़े सभी कार्यों में दोनों समान रूप से सहभागी बनते साथ–साथ शिकार करते और मिलकर खाते थे।
- कालांतर में बच्चों के जन्म और उनके लालन–पालन संबंधी दायित्वों का पालन करने से महिलाओं की स्थिति घर की हदों में सीमित होती चली गयी।

- प्रारम्भिक काल में महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी सहभागिता, शिक्षा क्षेत्र में उनकी भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उन्हें महत्व दिया गया।
- बाद के कालखण्डों में स्त्रियों की दशा कुछ अतार्किक परम्पराओं, रूढ़ियों और कुप्रथाओं के कारण दयनीय होती चली गयी। सामाजिक जीवन में उनका बराबरी का दर्जा भी नहीं रहा। कुछ कालखण्ड ऐसे भी रहे जब शोषण और अत्याचार सहना नारी की नियति मान ली गई।
- इस अवस्था में प्रतिरोध के स्वर भी मुखरित हुये। अन्याय के विरूद्ध नारी मुक्ति आन्दोलन में थेरी गाथा, सीमांतनीय उपदेश, दक्षिण में वक्षस्थल ढंकने के लिये आन्दोलन आदि मील के पत्थर कहे जा सकते हैं।
- नारी मुक्ति आन्दोलन के एक प्रमुख पड़ाव के रूप में भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण काल को माना जा सकता है। जहाँ सती प्रथा को दूर करने, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने संगठित प्रयास हुए। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, सावित्री बाई फूले, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, ऐनीबीसेन्ट और स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों का योगदान स्मरणीय है।
- भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन महिलाओं की सक्रिय, सक्षम और प्रभावी भागीदारी का जीवन्त प्रमाण है। महिलाओं के सहयोग से ही स्वतंत्र भारत के सपने को यथार्थ का धरातल मिल सका।
- आज महिलायें विकास की दौड़ में पुरुषों से कन्धा से कन्धा मिलाकर योगदान कर रही हैं। आधुनिक जगत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं ने अपने परिश्रम और योग्यता से अपनी विशिष्ठ पहचान न बनायी हो।
- विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आधी आबादी का पूरा योगदान जरूरी है। अतीत की भूलें, पुरुषवादी मानसिकता, कुप्रथाएं और रूढियों के काले बादल विकास के आकाश को ढंक लेते हैं। इन्हें बेहतर और सह–अस्तित्व वाली सोच से हठाया जा सकता है।
- विकास की ओर आगे बढ़ते समाज की आवश्यकता है– भेदभाव और पक्षपात से रहित, पूर्वाग्रह और शोषण से मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना जिसमें सह–अस्तित्व और सौहार्द का भाव हो।

अवधारणात्मक शब्दों के अर्थ (Meaning of Conceptual Terms)

- आदिमानव : सभ्यता के प्रारम्भिक काल में प्राकृतिक स्वरूप में रहने वाला मानव–समुदाय।
- पितृसत्तात्मक व्यवस्था : ऐसी व्यवस्था जिसमें परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय पिता द्वारा लिये जायें और पिता की सम्पत्ति पुत्रों को उत्तराधिकार में प्राप्त हो।
- मनुस्मृतिः स्मृतिकाल में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसे पारिवारिक सामाजिक जीवन की आचार–संहिता के रूप में मान्यता प्राप्त थी।
- पुर्नजागरण कालः मध्यकाल के पष्चात् सामाजिक सुधारों का वह काल जहाँ अनेक विभूतियों के प्रयास से बहुत सी कुरीतियों का अंत हुआ।
- स्वाधीनता आन्दोलन : भारत में अंग्रेजी दासता से मुक्ति का संघर्ष।

स्व–मूल्यांकन (Self-assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer type Questions)** –
  - प्रारम्भिक कालीन मानव जीवन में स्त्री–पुरुष के दायित्व और भूमिकाओं की चर्चा कीजिए।
  - वैदिक काल में महिलाओं स्थिति वर्णन कीजिए।
  - सामाजिक जीवन की नैतिक आचार–संहिता के रूप में मनुस्मृति के प्रावधानों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
  - मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति पर समीक्षात्मक आलेख लिखिए।
  - भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में महिलाओं के योगदान का वर्णन कीजिए।
  - स्वतन्त्रता के बाद भारतीय नारी की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में आये बदलावों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Long Answer type Questions)** –
  - पुर्नजागरण काल और मध्यकाल के महिलाओं की स्थिति में सुधारों के बारें में बताईये?
  - किन्ही तीन महिला सुधारकों के नाम व संक्षिप्त में कार्य लिखिये?
  - सतीप्रथा विरोंध अधिनियम कब पारित किया गया?

- अंतरर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की प्रथा कब से आरंभ हुई?

प्रदत्त कार्य (Assignments)

विभिन्न कालखंडों में महिलाओं की स्थिति के बारे में एक परिचर्चा आयोजित करें। परिचर्चा में व्यक्त महत्वपूर्ण विचारों को अपनी कॉपी में लिखें।

संदर्भ (References)

- **मुद्रित संदर्भ** – 1. महिला विकास एवं सशक्तिकरण : महिला बाल विकास विभाग, मप्र शासन।
- **https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/MMC-101.pdf**
- **https://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/bmc/bmc-101-h%20.pd**

इकाई–3 स्वयं सहायता समूह एक परिचय (Self Helf Group an Introduction)

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि

3.1 स्वयं सहायता समूह की परिभाषा

3.2 स्वयं सहायता समूह के गठन का उद्देश्य

3.3 स्वयं सहायता समूह के गठन से लाभ

3.4 स्वयं सहायता समूह गठन की प्रक्रिया

3.5 स्वयं सहायता समूह के संचालन की चुनौतियां

स्वयं सहायता समूह की परिभाशा

जैसा कि नाम से ही विदित है कि ऐसा समूह जो अपनापन रखने वाले एक समान अति सूक्ष्म व्यवसाय एवं उद्यम चलाने वाले सामान्य लोगों का संगठन स्वंय सहायता समूह कहलाता है। सरल से शब्दों में कहें तो ऐसा समूह जो स्वंय की सहायता से समाज को सशक्त करे। आम परिभाषा यह है कि स्वयं सहायता समूह ऐसे व्यक्तियों का अनौपचारिक संघठन है जो अपने जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार के तरीके खोजने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। ऐसे सदस्यों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि आम तौर पर समान होती है। वे निर्धनों, विशेष रूप से महिलाओं के मध्य सामाजिक पूंजी निर्मित करने में सहायता करते हैं। ऐसे समूह उन सदस्यों के लिए सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं जो संगठित स्रोतों से ऋण लेने का विचार करते हैं। परिणामस्वरूप, स्वयं सहायता समूह निर्धनों को सूक्ष्म वित्त सेवाएं प्रदान करने हेतु सर्वाधिक प्रभावी तंत्र के रूप में उभरे हैं।

स्वयं सहायता समूह के गठन के उद्देश्य

ऐसी महिलायें जिनका जीवन स्तर मध्यम वर्ग से भी कम है, उनको सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार की मंशानुरूप स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है। जिससे उन महिलाओं में न केवल स्वावलंबन की भावना का जन्म हो बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो सके। इसे इन बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है।

1. ऐसे गरीब लोग जिनकी जीवन शैली बेहद सामान्य और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है उनको मुख्य धारा से जोड़ने और जीवनशैली सुधारने के लिये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है।
2. महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के साथ –साथ उनमें सामाजिक एकता की भावना जागृत हो, जिससे विकास में सहभागी हो सकें। वे एक मजबूत संगठन के रूप विकसित हो सकें।
3. उनमें उनकी वास्तविक क्षमता को जागृत किया जा सके इसलिये इन समूहों का निर्माण किया जाता है।
4. महिला सशक्तिकरण करना, महिलाओं में जागरूकता का प्रसार करना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी क्षमता, दक्षता का विकास करना भी स्वयं सहायता समूह निर्माण का उद्देश्य है।
5. ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को ग्राम में ही रोजगार मिले, जिससे उनकी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति हो सके इस उद्देश्य के लिये भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है।

स्वयं सहायता समूह के गठन से लाभ

स्वयं सहायता समूह का निर्माण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनको समाज की मूल धारा से जोड़े के लिये किया जाता है। इसमें तीन तरह के लाभ हो सकते हैं। समूह सदस्यों को लाभ/ गठन से संस्थान को लाभ।/ समूह गठन से बैकों को लाभ।

समूह सदस्यों को लाभ :– समूह गठन करने से महिला सदस्यों को निम्म लाभ हो सकते हैं।

1. महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का निराकरण
2. आय सर्जक गतिविधियों, छोटे–छोटे व्यवसाय एवं उद्योगों का विकास
3. महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार
4. प्रति महिला सदस्य आय में वृद्धि
5. गरीब महिलाओं की साहूकारों पर निर्भरता में कमी
6. सामुदायिक परसम्पत्तियों का सृजन

7. महिला सशक्तिकरण
8. महिला एकता एवं सहभागिता की भावना का विकास एवं लाभ
9. महिलाओं के लिये संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लाभ
10. बैंकों से आपसी सामंजस्य एवं ऋण में आसानी।
11. एक महिला के समूह गठन से सम्पूर्ण गांव अर्थात एकता में अनेकता व अनेकता में एकता का विकास को भी प्रतिपादित किया जाता है।

समूह गठन से संस्थान को लाभ :–

1. महिलाओं द्वारा की जा रही विकासात्मक प्रयासों को प्रोत्साहन
2. समायोजक तथा आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सामंजस्य
3. क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण द्वारा निर्धन महिलाओं तक पहुंच बढ़ना

समूह गठन स बैंकों को लाभ :–

1. महिलाओं की प्राथमिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति
2. महिला संगठन और महिलाओं की लेनदेन लागत में कमी।
3. महिलाओं के क्षेत्र में कार्य का फेलाव में वृद्धि

महिला स्वयं सहायता समूह गठन की प्रक्रिया

सभी तरह के स्वयं सहायता गठन की प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही होती है। महिला स्वयं सहायता गठन में सबसे पहले ग्राम का चयन किया जाता है, साथ ही यह ध्यान रखा जाता है कि वह राजस्व ग्राम होना चाहिये। राजस्व ग्राम के चयन के बाद उस ग्राम की ऐसी महिलाओं की सूची बनाई जाती है जो कि स्वयं सहायता समूह के संचालन को तैयार हों। ऐसी कम से कम 11 महिलाओं की एक टीम का निर्माण किया जाता है। आईये हम जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह के प्रमुख बिंदु क्या है?

1. राजस्व ग्राम का चयन होने के बाद समूह गठन का कार्य किया जाता है। इस हेतु एक बैठक का आयोजन ग्राम में किया जाता है। जिसमें सभी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के खोलने के उद्देश्यों को विस्तार से समझाया जाता है। उसके बाद 10 से 15 महिलाओं का चयन कर उनके पदों का चयनित किया जाता है। यह इच्छुक महिलाओं की एक टीम बनाकर किया जाता है। उसके बाद ग्रामीण

पंचायत विकास विभाग में उक्त प्रपत्र को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्यालय में जमा कर प्रतिमाह बैठक में उक्त अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है। नियमित रूप से उपस्थिति महिलाओं को इस समूह के संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है।

2. किसी भी समूह के गठन में पांच बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है इन्हें पंच सूत्र कहा जाता है। ये हैं नियमित बचत, नियमित बैठक, नियमित लेखाकर्म, नियमित पूर्व भुगतान, और समिति के नियमों तथा शर्तों का पालन करना।
3. अति गरीब परिवार की महिला सदस्य अथवा उनके पहचान पत्र द्वारा चिन्हित परिवार की महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठन किया जाता है। प्रत्येक चयनित पदाधिकारी के तीन फोटो भी आवश्यक रूप से लिये जाते हैं।
4. इस समूह में गठन हेतु आयु सीमा 18 से 65 वर्ष होती है,साथ ही उनकी बचत करने की क्षमता हो। ऐसे सदस्यों को प्राथमिकता से समूह गठन में शामिल किया जाता है।
5. समूह में काम करने वाली महिलायें और बैठक हेतु नियमित समूह देने वाली महिलाओं के समूह का गठन करना प्राथमिकता होती है।
6. जब समूह गठन हो जाता है तो चिन्हित महिलाओं के साथ बैठक रखकर समस्त अवधारणा बतानी होती है।
7. समूह गठन के बाद कुछ निर्णयों को लेना होता है। जैसे कि प्रत्येक सप्ताह में सदस्यों की राशि तय करना। स्वयं सहायता समूह के नियमों का निर्माण करना। साप्ताहिक बैठक का निर्णय करना। बैठक हेतु दिन व समय तय करना। समूह का नामकरण करना। इसके साथ ही समस्त सदस्यों की भूमिका बताना।
8. साप्ताहिक बैठक में सदस्य नियमित रूप से शामिल रहें। सामूहिक निर्णयों में भागीदारी करना, तथा सभी की सहमति से निर्णय पर अमल करना। समस्त सामूहिक कार्यों में पहल करना।
9. सभी बैठकों में सभी प्रकार के खाता बही और लेन देन की प्रक्रिया से अवगत होना। इसके बाद सभी तथ्यों और पहचान पत्रों के साथ बैंक में खाता खुलवाना और उसका नियमित संचालन करना इस प्रकार की विधियों को अपना स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाता है।

महिला स्वयं सहायता समूह गठन की चुनौतियां

स्वयंसहायता समूह का गठन महिलाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने और उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिये किया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि ग्रामीण अंचल में समूह का गठन करते हैं तो बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं। एक समूह के गठन की निम्न चुनोतियों का सामना हमें करना पड़ता है।

1. ग्रामीण परिवेश में महिलाओं का कम पढ़ा लिखा होना।
2. ग्रामीण परिवेश में सामाजिक बाध्यता जो कि बाहर निकलने के लिये रोकती है।
3. पुरूषवादी मानसिकता जिसमें घर की महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती।
4. समूह के रूप में महिलाओं का इकठ्ठा होना।
5. अधिकांश महिलाओं के दस्तावेज पूर्ण न होना, जिस वजह से समूह गठन/संचालन आदि की प्रक्रिया में देरी होना।
6. समूह संचालन हेतु प्रत्येक बैठक में आने में परेशानी होना, अक्सर यह होता है कि समूह गठन तो हो जाता है, लेकिन प्रतिमाह और कभी कभी आवश्यकता पढ़ने पर प्रति सप्ताह भी बैठक का संचालन करना पड़ता है जिसमें अधिकांश महिलायें अनुपस्थित रहती हैं। इस वजह से समूह के संचालन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
7. बैंको की जटिल प्रक्रिया की वजह से भी समूह संचालन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी –कभी बैंक खाते खोलने के लिये जो मापदंड अपनाता है वह ग्राम स्तर पर महिलाओं की पूर्ति नहीं होती, उन दस्तावेजों को तैयार करने में समय लगता है ऐसे में बैंक खाते को खोलने में भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
8. खाते खोलने में खाता धारकों की सहमति में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर गरीब वर्ग की महिलाओं के निर्णयों परिवार के लोग लेते हैं इसलिये जब तक वे पूर्णतः विश्वास नहीं कर लेते तब तक खाते में स्वीकृति नहीं मिलती इसलिये समूह के संचालन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
9. बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती पूर्ण कार्य है। सभी दस्तावेजों की पूर्ति के बाद भी बैंक कई बार राशि जारी नहीं करते हैं।

10. उद्योग विभाग आदि सरकारी ईकाईयों से भी प्रोजेक्ट स्वीकृति में समय लगता है जिससे समूह संचालन करना एक मुश्किल भरा कार्य हो जाता है।

सारांश (Summary)

1. स्व सहायता समूह, समरूप ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है जिसमें समूह के सदस्य अपने आप से जितनी भी बचत आसानी से कर सकते हैं।
2. उसका अंशदान उत्पादक, उपभोग अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिए परस्पर सहायक होते है।
3. स्व सहायता समूह, एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले सशक्तिशील ग्रामीण गरीबों का एक छोटा समूह होता है जिसमें समूह के लोग स्वेच्छा से नियमित रूप से थोड़ी–थोड़ी राशि बचाते हैं और सामूहिक निधि से योगदान के लिये पारस्परिक रूप से सहायक रहते है। सामूहिक निर्णय लेते हैं। समूह, प्रबंधन करता है। एक सदस्य एक ही समूह का सदस्य हो सकता है। समूह निर्माण हेतु प्रमुख लक्ष्य समूह हैं 1. भूमिहीन, कृषि श्रमिक 2. सीमांत कृषक 3. ग्रामीण शिल्पी 4. छोटे व्यवसायी 5. असंगठित क्षेत्र में निर्धन महिलाएं।

4- स्व सहायता समूह निर्माण में ध्यान रखना चाहिये कि गरीब महिला (विवाहित एवं अविवाहित) हो, वहीं की निवासी हो। समूह में 10–20 सदस्य हों, एक परिवार का एक ही सदस्य हो, समूह, लिंग, जाति के आधार पर गठित हो। एक क्षेत्र, एक मोहल्ला, एक समुदाय, एक साथ में रहते हों, समूह की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समान हो। नियमित रूप से साप्ताहिक/पाक्षिक बैंठकें हों, बैठक में अनुपस्थिति पर दण्ड का प्रावधान हो, सर्व सम्मति से निर्णय लिये जाते हों, नियमित रूप से बचत हो, सदस्यों में आपसी विश्वास एवं सहयोग हो।

स्व–मूल्यांकन (Self-assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer type Questions)** –

1. स्वयं सहायता समूह की परिभाषा लिखिये
2. स्वयं सहायता समूह के गठन का उद्देश्य क्या है?
3. स्वयं सहायता समूह के गठन से लाभ कौन –कौन से हैं,
4. स्वयं सहायता समूह गठन की प्रक्रिया को लिखिये?

5. स्वयं सहायता समूह के संचालन की चुनौतियां कौन –कौन सी हैं?

- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer type Questions)** –

6. स्वयं सहायता समूह निर्माण के लक्ष्य और लक्ष्यगत समूह कौंन से होते हैं?
7. स्वयं सहायता समूह के पांच सूत्र क्या है?
8. स्वयं सहायता समूह की मुख्य शर्तें क्या हैं?
9. स्वयं सहायता समूह के संचालन में बैंक क्या भूमिका है?
10. क्या एक ही सदस्य दो समूहों में सदस्य हो सकता है?

प्रदत्त कार्य (Assignments)

1. छात्र द्वारा ग्राम में कार्यरत स्वसहायता समूहों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, तथा किसी एक नवीन समूह का गठन।
2. निष्क्रिय समूहों की बैठक कर सक्रिय करना और उनकी प्रबंधन की समस्या को दूर करना करवाना। समूह की महिलाओं की क्षमता का आर्थिक स्थिति का विश्लेषण प्रतिवेदन तैयार करना।
3. समूह सदस्यों को आरसेटी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) तथा (KVKA) के माध्यम से कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिलवाना।
4. समूह को रोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थान नाबार्ड, एनआरएलएम के सहयोग से वित्तीय मदद उपलब्ध कराना।

संदर्भ (References)

- **मुद्रित संदर्भ** – 1. महिला विकास एवं सशक्तिकरण : महिला बाल विकास विभाग, मप्र शासन।
- **https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/MMC-101.pdf**

  https://www.ddegjust.ac.in/studymaterial/bmc/bmc-101-h%20.pd

ईकाई 4 : कुप्रथाएं एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा किन–किन रूपों में हो रही है?
- समाज में प्रचलित कुप्रथाओं के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं?
- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अपेक्षाकृत नये–नये रूप कौन से हैं?
- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से विकास का मार्ग कैसे अवरूद्ध है और इसमें बदलाव के लिये किन उपायों को प्राथमिकता से किये जाने की आवश्यकता है?

4.1 : कुप्रथाएं तथा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के अनेक प्रयासों के बाद भी देष के अनेक हिस्सों में आज भी कई कुप्रथाएं जीवित हैं। इन कुप्रथाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए उनके मूल में छिपी सामाजिक मानसिकता को समझना आवष्यक है। आज मुख्यतः स्त्रियों के जीवन में जिन कुप्रथाओं और हिंसा के स्वरूपों को सर्वाधिक देखा जा रहा है उन्हें दो भागों में बाँटकर देखा जा सकता है–

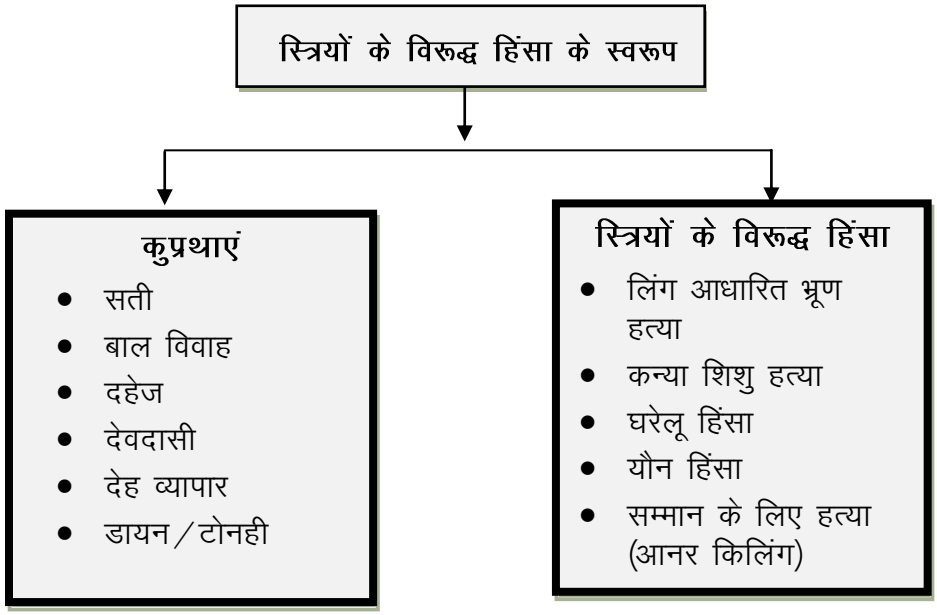

- **सती प्रथा** : मध्ययुग से ही इस क्रूर प्रथा को रोकने की अनेक चेष्टाएं हुई। यद्यपि इतिहास में यह भी दर्ज है कि सती होने से रोककर स्त्रियों को हरम में डाल दिया

जाता था। 5वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकन्दर ने इस प्रथा को बन्द करवा दिया था। मुगल सम्राट अकबर व पेशवाओं के अलावा ईस्ट इंडिया कम्पनी के कुछ गवर्नर जनरलों जैसे लार्ड कार्नवालिस एवं लार्ड हैस्टिंग्स ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये। इस क्रूर प्रथा को कानूनी रूप से बन्द करने का श्रेय लार्ड विलियम बैंटिक को जाता है। राजा राममोहन राय ने बैंटिक के इस कार्य में सहयोग किया। राजा राममोहन राय ने अपने पत्र 'संवाद कौमुदी' के माध्यम से इस प्रथा का व्यापक विरोध किया। 1829 ई. में विधवाओं को जीवित जिन्दा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया। पहले यह नियम बंगाल प्रेसीडेंसी में लागू हुआ, परन्तु बाद में 1830 ई. के लगभग इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। 19वीं शताब्दी में यह प्रथा नियंत्रित हो गई। फिर भी, घटना अक्टूबर 2008 की है। छत्तीसगढ़ के छेछर गांव में लंबी बिमारी के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। पति की मौत से दुखी उसकी पत्नी लालमती पति की जलती चिता में कूद गयी। वहाँ उपस्थित लोगों में किसी ने उसे रोकने की चेष्टा नहीं की बल्कि आजादी के 60 साल बाद हुई इस घटना के बाद लोगों ने लालमती को सती मइया के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इससे पहले सन् 1987 में राजस्थान में रूपकुंवर इसी प्रकार सती हुई थी। अतिशय भावुकता अथवा अवसाद में उठाये गए इस कदम का परिजनों तथा अन्य लोगों द्वारा नहीं रोका जाना इस बात का प्रमाण है कि इस मामले में आज भी मानसिकता वही है। सती आयोग (निवारण) अधिनियम 1987 (1988 में संशोधन) जैसे अधिनियमों के बाद भी इस तरह की घटनाएं समाज के दूषित मानसिकता को प्रतिबिंबित करती हैं। रूपकुंवर के सती बनने के बाद सरला माहेष्वरी ने एक कविता लिखी जिसमें वह रूपकुंवर से पूछती हैं कि क्या तुम्हें इस बात का डर था कि यदि देवी न बनी तो डायन बना दी जाओगी? उनकी यह कविता पठनीय है

चित्र : 11.4.2 सती प्रथा

सच बतलाना रूपकंवर। किसने किसने किसने।। तुम्हारे इस सुंदर तन–मन को आग के सुपुर्द कर दिया/क्या तुम्हें डर था कि देवी न बनी तो डायन बना दी जाओगी/ क्या तुम्हें डर था/अपने उस समाज का/जहाँ विधवा की जिंदगी काले पानी की सजा से कम कठोर नहीं होती/लेकिन फिर भी/यकीन नहीं होता रूपकंवर/कि हिरणी की तरह चमकती तुम्हारी

आंखों ने/यौवन से हुलसते तुम्हारे बदन ने/ आग की लपटों में झुलसने से इंकार नहीं किया होगा।

- **बाल विवाह** : मध्ययुगीन समाज विवाह नामक संस्था पर कठोर नियंत्रण रखना चाहती थी। ताकि वयस्क होने पर इच्छा–अनिच्छा, पसंद–नापसंद, विद्रोह आदि की स्थिति से बचा जा सके। इसलिए लड़का तथा लड़की दोनों का विवाह कम उम्र में ही तय कर दिया जाता था। लड़कों को विषेषाधिकार के तहत बहुविवाह की अनुमति थी। इसके अलावा, बड़े बूढ़ों में पोते का मुंह देखने की कामना एवं विदेषी आक्रांताओं द्वारा लड़की को अपहरण तथा बलात्कार से बचाने के लिए
- कम उम्र में लड़कियों की षादी कर दी जाती थी। अतः कई बार 75 वर्ष के वृद्ध के साथ 5 वर्ष की कन्या ब्याह दी जाती थी। यह समस्या समय के साथ बढ़ती चली गई तथा आज भी कई समुदायों में प्रचलित है।

चित्र : 11.4.3 बाल विवाह

चित्र : 11.4.4 सामूहिक बाल विवाह

बाल विवाह क्या है: भारतीय कानून के अनुसार बाल विवाह है– जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होती है।

बाल विवाह खतरनाक है क्योंकि–

- वैवाहिक संबंध के लिए षारीरिक तथा मानसिक रूप परिपक्वता आवष्यक है। अल्प आयु में बने यौन संबंध से लड़कियाँ कई षारीरिक व्याधियों से पीड़ित हो जाती हैं। वैवाहिक संबंध के लिए भारतीय कानून में लड़कियों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की आयु 21 वर्ष होना जरूरी है।
- अल्पायु में लड़कियां गर्भधारण के योग्य नहीं होती हैं। यूनिसेफ चाइल्ड मैरिज इन्फॉर्मेशन शीट के मुताबिक अगर लड़की 20 साल से कम उम्र में मां बनती है तो 5 साल की उम्र

तक बच्चे की मृत्यु का अंदेशा डेढ़ गुना बढ़ जाता है। कम उम्र में गर्भधारण तथा बार–बार गर्भपात लड़कियो ंके जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसके अलावा एक सहज सा प्रष्न उठता है कि जो स्वयं बच्ची है वह भला अपने बच्चों की देख–भाल कैसे कर सकती है?

- गृहस्थी का भार उठाने के लिए पति–पत्नी दोनों का मानसिक रूप से परिपक्व होना भी आवष्यक है, ताकि वे साथ मिलकर जीवन के लिए जरूरी कामों में अपनी सहभागिता निभा सकें। गृहस्थी का दायित्व नन्हें कंधों पर डाल देना एक प्रकार की अमानवीयता है। छोटी उम्र में विवाह के बाद एक लड़की अपने कई अधिकारों से वंचित कर दी जाती है। जैसे–खेल–कूद, पढ़ाई–लिखाई, इच्छानुकूल आजीविका तथा व्यवसाय का चयन आदि।

भारत में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति : यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 प्रतिषत बाल विवाह भारत में होते हैं। 49 प्रतिषत लड़कियों की षादी 18 वर्ष से कम की आयु में हो जाती है। इस मामले में बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेष, उत्तर प्रदेष तथा पष्चिम बंगाल में सबसे बुरी स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

मार्च 2015 में जारी भारत की जनगणना–2011 के कुछ खास आंकड़े बताते हैं कि इस समय देश में 1.21 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनका बाल विवाह हुआ है। यह संख्या देश के कुल आयकर दाताओं की एक तिहाई है।

कहां रह गई कमी :

- राजा राममोहन राय से शुरू हुए संघर्ष के पौने दो सौ साल बीतने के बाद भी बाल–विवाह की बीमारी हमारे सामने खड़ी है। सन् 2012 में 14 वर्षीय भानु के दादा ने उसके माता–पिता को बताए बगैर 2 लाख रुपये में उसकी शादी 55 साल के आदमी के साथ करा दी। नवम्बर 2013 में परिवार ने शादी निरस्त करने के लिए मुकदमा लगाया। लेकिन अदालती प्रक्रिया जटिल साबित हुई। परिणाम स्वरूप दिसम्बर 2014 में लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र लिखने के बाद इस मामले में रोजाना सुनवाई होने लगी। कानून के जानकारों के अनुसार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू होने के बावजूद कई राज्यों में कानून को लागू कराने वाले नियम अब तक नहीं बने हैं। राजस्थान भी ऐसे राज्यों में शामिल है। फलतः अदालतें इसे सामान्य तलाक के मामले की तरह ले लेती है। जो लड़की के लिए बहुत भारी हो जाता है।

- पिछली जनगणना में बाल–विवाह के 1.21 करोड़ मामले दिखते हैं। जबकि पुलिस के पास मुश्किल से साल में कुछ सौ मामले ही दर्ज होते हैं अर्थात आज भी 99 प्रतिषत से अधिक बाल–विवाह गुप–चुप तरीके से हो रहे हैं। यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ **दोरा गिउस्ती** का कहना है, इस रफ्तार से बाल विवाह खत्म करने में 50 साल और लग जाएंगे।

- बाल विवाह का समर्थन करने वाले पहले से अधिक चतुर एवं चालाक हो गए हैं। अक्षय तृतीया (आखा तीज) के अवसर पर प्रायः पुलिस व्यवस्था चौकन्नी कर दी जाती है। इसलिए इस तरह का विवाह अक्षय तृतीया (आखातीज) की आस–पास वाली तिथियों में होती है। जब प्रषासन की सख्ती थोड़ी कम रहती है। इसके अलावा प्रषासन को गुमराह करने के लिए विवाह स्थल दर्षाया कहीं जाता है और होता कहीं है। ऐसे में षिकायत के बावजूद ऐसे लोग पकड़ में नहीं आते।

2005 में **नेशनल प्लान फॉर चिल्ड्रन** के तहत 2010 तक बाल विवाह पूरी तरफ समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया तथापि सामाजिक सहयोग न मिलने कारण 2016 में भी यह लक्ष्य दूर ही प्रतीत हो रहा है। आप अपने आस–पास बाल विवाह को रोककर और इस बारे में जागरूकता बढ़ाकर अपने गाँव को बाल विवाह मुक्त गाँव बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर सकते हैं।

शाबाश बटियां!

लक्ष्मी : देश में पहला बाल विवाह अदालत से निरस्त कराने वाली जोधपुर की लक्ष्मी की कहानी प्रेरक है। वह बचपन में अपने ननिहाल में थी। उसी बीच नाना की मौत हो गई। नानी ने घर की सुख–शांति के लिए उसका बाल विवाह करवा दिया। जब उसके ससुराल वाले उसे लेने आए तो उसने बगावत कर दी और अदालत से शादी निरस्त कराई। बाद में लक्ष्मी ने अपनी पसंद के लड़के से विवाह किया। राजस्थान के कुछ समुदायों में ऐसी मान्यता है कि किसी की मौत के 14 दिन के अंदर घर में विवाह करवाने से सुख–शांति आती है।

आरती : प्रदेश के दमोह जिले में रहने वाली नाबालिग आरती की शादी 30 अप्रैल, 2013 को होने वाली थी। आरती के पिता नहीं हैं। उसने अपने रिश्तेदारों को खूब समझाया पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। बहादुर आरती ने प्रशासन को अपने जन्मतिथि का प्रमाण भेजा तथा खत लिखकर शादी रुकवाने की मांग की। सरकारी टीम पुलिस बल के साथ गांव पहुंची। पहले परिवारवालों को समझाया गया। जब वे नहीं माने तो कानूनी ढंग से शादी रुकवा दी गई। लेकिन यह जज्बा आरती के लिए चुनौती साबित हुआ। विरोध तथा दबाव में मां–बेटी को गांव छोड़कर जाना पड़ा। बालिग होने के बाद आरती के मामा ने उसकी शादी उसी लड़के से कराई, जिसकी बारात तब आरती के संघर्ष के बाद लौटा दी गई थी।

- **दहेज प्रथा** : प्रारंभिक काल में जब नव वधुओं को गृहस्थी आरंभ करने हेतु उपहार स्वरूप दहेज दिए जाने की षुरूआत हुई होगी तब संभवतः उन्हे इस बात का आभास नहीं रहा होगा कि यही उपहार भविष्य में नव वधुओं को जिन्दा जला दिये जाने का कारण बन जाएगा। इस प्रथा के कारण आज असंख्य नव वधुयें या तो मार डाली जाती हैं अथवा नर्क समान जीवन व्यतीत करने पर विवश होती हैं। यह ऐसी प्रथा है जिससे शिक्षित वर्ग भी मुक्त नहीं है। बड़े–बड़े घरानों में भी दहेज के लिए वधुओं को प्रताड़ित किया जाता है। इस समस्या का ही विस्तृत कुपरिणाम कन्या भ्रूण हत्या के रूप में हमारे सामने आया। लड़कियां बोझ समझी जाने लगीं। विवाह में होने वाले भारी भरकम खर्चों के कारण उन्हें षिक्षा से भी वंचित कर दिया गया। सरकार द्वारा 1961 में ही दहेज विरोधी कानून पारित कर दिया गया, परंतु इसका सार्थक प्रभाव नहीं दिखा। इस कानून का सहारा लोग तभी लेते हैं जब दहेज के लिए किसी नव वधू की हत्या हो जाती है। अन्यथा दहेज मांग के विरूद्ध वधु पक्ष से भी आवाज नहीं उठायी जाती है। इसका एक कुपरिणाम यह हुआ कि अमीर वर्ग इस प्रथा के जरिये अपने षान और षौकत का प्रदर्शन करने लगा। जबकि गरीब तबका बिटिया के बड़ी होते ही एड़ियां घिसने को मजबूर हो गया। यह अलग बात है कि कई बार अमीर घराने की बेटियां भी दहेज लोभियों की षिकार हो जाती हैं।

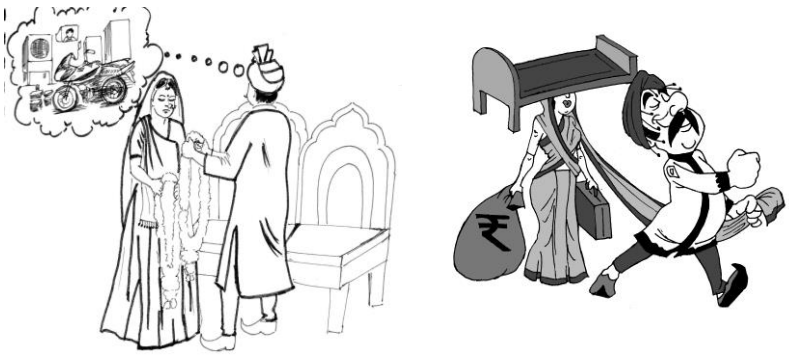

चित्र : 11.4.5 दहेज प्रथा

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों से साल 2014 में दहेज हत्या के 8,455 मामले सामने आए। केन्द्र सरकार की ओर से जुलाई 2015 में जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते तीन सालों में देश में दहेज संबंधी कारणों से मौत का आंकड़ा 23,771 था, जिनमें से 7,048 मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश से थे। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश में क्रमशः 3,830 और 2,252 मौतों का आंकड़ा सामने आया।

- **देवदासी प्रथा** : भारत में यौन शोषण को सर्वप्रथम संस्थागत रूप देने का प्रयास है– देवदासी प्रथा। यह प्रथा मुख्य रूप से दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक, तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में पुष्पित–पल्लवित हुई। इतिहासकारों के अनुसार इसकी शुरूआत संभवतः 6वीं शताब्दी में हुई थी। इसी काल में सर्वाधिक पुराणों की रचना हुई। विद्वानों का यह भी मानना है कि देवदासी शब्द का प्रथम प्रयोग चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया था। देवदासी ऐसी स्त्रियाँ होती हैं जो आजन्म अविवाहित रहकर मंदिर में सेवा कार्य करती हैं। इस प्रथा में माता–पिता स्वेच्छा से अपनी पुत्री को बाल्यावस्था में ही देवी एलम्या को समर्पित कर देते हैं। मंदिर में ही इन्हें नृत्य संगीत की दीक्षा दी जाती थी। ईश्वर की सेवा को समर्पित देवदासियां समाज के आभिजात्य वर्ग के हाथों शोषित होने के लिए विवश होती थीं। इन्हें अतीत मान लेना भूल होगी क्योंकि दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी किसी न किसी रूप में देवदासियों का अस्तित्व है। कर्नाटक सरकार ने 1982 में तथा आंध्र प्रदेश की सरकार ने 1988 में इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। परंतु इससे पूर्व ही अनेक कारणों से मंदिरों में देवदासियों के लिए जीवन–यापन करना मुश्किल हो चुका था। 1990 में हुए एक सर्वेक्षण में 45.9 प्रतिशत देवदासियां वेश्यावृत्ति में संलग्न पायी गईं। शेष ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूर अथवा दिहाड़ी मजदूर बन गईं। परंतु यह प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। 2012 में प्रकाशित बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद में जनसुनवाई में 500 देवदासियां शामिल हुईं जिसमें उन्होंने अपनी दीन–हीन अवस्था के बारे में खुलकर बताया। इस जन सुनवाई में यह बात भी निकलकर समाने आई कि यौन शोषण के परिणाम स्वरूप बच्चों की संख्या हजारो में है। देवदासी लक्ष्म्मा इस जन सुनवाई में मांग रखती हैं कि सभी बच्चों का डी.एन.ए. टेस्ट करवाया जाए ताकि उनके पिता का पता लग सके और बच्चों को उनका हक मिल सके। **कट्टी पोसनी** नामक देवदासी कहती है कि– 'मैं चाहूं तब भी इसे नहीं निकल सकती क्योंकि अब मुझसे विवाह कौन करेगा और फिर मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता।' इसलिए इस समस्या को समाप्त मानकर आंखे मूंद लेना उचित नहीं है। यह आवश्यक है कि स्वयंसेवी संस्थाएं सरकारी तंत्र के साथ मिलकर इन्हें इस घृणित दुनियां से बाहर निकालकर इनके पुनर्वास की व्यवस्था करें।

चित्र : 11.4.6
देवदासी प्रथा

- **देह व्यापार** : देह व्यापार आदिकाल से अलग–अलग स्वरूपों में विद्यमान रहा है। संस्कृत ष्लोकों में इन्हें रूपजीवा, पण्यैक्रोता स्त्री अर्थात जिसे रूपया देकर क्रय किया गया हो, कहा गया है। कई ग्रंथों में नगरवधु का उल्लेख मिलता है।

  वर्तमान युग में देह व्यापार स्थल को हम चकला अथवा रेड लाईट ऐरिया के नाम से जानते हैं। आज देष में कुल 1170 ज्ञात चकला घर हैं। देष के विभिन्न कोनों से लड़कियां अपह्त कर जबरन इस धंधे में धकेली जा रही हैं। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के सभी प्रयास अभी तक असफल ही साबित हुए हैं। एक अध्ययन के अनुसार देष में यौन कर्मियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1997 में इनकी संख्या 20 लाख थी जो 2003–2004 में बढ़कर 30 लाख हो गई।

  दो वयस्कों के यौन संबंध को, यदि वह जन शिष्टाचार के विपरीत न हो, कानून व्यक्तिगत मानता है, जो दंडनीय नहीं है। भारतीय दण्डविधान 1860 से वेश्यावृत्ति उन्मूलन विधेयक 1956 तक सभी कानून सामान्यतया वेश्यालयों के कार्य व्यापार को संयत एवं नियंत्रित रखने तक ही प्रभावी रहे हैं। वेश्यावृत्ति का उन्मूलन सरल नहीं है, पर ऐसे सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए जिससे इस व्यवसाय को प्रोत्साहन न मिले क्योंकि यह व्यवसाय एक मनुष्य के लिये या स्वयं स्त्री के लिए किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है।

  परम्परागत देह व्यापार : भारत में कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जहां देह व्यापार को न केवल सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है बल्कि यह सदियों से चली आ रही परंपरा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकात्ता से सटा दक्षिण परगना जिले के मधुसूदन गांव में तो वेश्यावृत्ति को जिन्दगी का हिस्सा माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां के लोग इसे कोई बदनामी नहीं मानते। उनके अनुसार यह सब उनकी जीवन शैली का हिस्सा है और उन्हें इस पर कोई शर्मिन्दगी नहीं है, इस पूरे गांव की अर्थव्यवस्था इसी धंधे पर टिकी है।

  मध्य प्रदेश के बांछड़ा समुदाय में देह व्यापार सदियों से चली आ रही परम्परा है। बांछड़ा समुदाय के परिवार मुख्य रूप से मध्यप्रदेश के रतलाम, मंदसौर व नीमच जिलों में रहते हैं। इन तीनों जिलों में कुल 98 गांवों में बांछड़ा समुदाय के डेरे बसे हुए हैं। मंदसौर शहर क्षेत्र सीमा में भी इस समुदाय का डेरा है। तीनों जिले राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं।

  रतलाम जिले में रतलाम, जावरा, आलोट, सैलाना, पिपलौदा व बाजना तहसील हैं। **मंदसौर जिले** में मंदसौर, मल्हारगढ़, गरोठ, सीतामऊ, पलपुरा, सुवासरा तथा नीमच में

नीमच, मनासा व जावद तहसील हैं। मंदसौर व नीमच जिला अफीम उत्पादन के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है; वहीं इस काले सोने की तस्करी के कारण बदनाम भी है। इन तीनों जिलों की पहचान संयुक्त रूप से बांछड़ा समुदाय के परंपरागत देह व्यापार के कारण भी होती है। बांछड़ा और उनकी तरह ही देह व्यापार करने वाली प्रदेश के 16 जिलों में फैली बेडिया, कंजर तथा सांसी जाति की महिलाओं को वेश्यावृत्ति से दूर करने के लिए शासन ने 1992 में जाबालि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत समुदाय के छोटे बच्चों को दूषित माहौल से दूर रखने के लिए छात्रावास का प्रस्ताव था। इस समुदाय को जिस्म फरोशी के धंधे से बाहर निकालने के कई बड़े एनजीओ भी लगातार सक्रिय हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे स्थिति सुधरेगी।

- **डायन अथवा टोनही प्रथा** : 8 अगस्त, 2015 **सुबह** की अखबार में एक खबर छपी कि झारखण्ड में रांची से 37 किलोमीटर दूर मांडर थाने के कजिया गांव में कुछ लोगों ने घर का दरवाजा तोड़कर महिलाओं को निकाला और उन्हें डायन बताकर मार डाला। पांचो औरतें अलग–अलग परिवार से थीं। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि झारखण्ड राज्य बनने से लेकर 2015 तक 1200 महिलाओं को डायन बताकर राज्य में मार डाला गया। जबकि देश में पिछले दो दशक में 1385 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। इससे पहले भी देश के अन्य हिस्सों में इस तरह की खबर छपी थीं और इस घटना के बाद भी कई औरतें डायन बताकर मार डाली गयीं। सवाल यह उठता है कि क्यों कोई औरत डायन बताकर मार डाली जाती है। विकास अध्ययन संस्थान की **प्रोफेसर कंचन माथुर** गांव–गांव गई और लगभग 60 डायन करार दी गई महिलाओं से मिलीं। उन्होंने पाया कि ऐसी ज्यादातर महिलाएं गरीब पिछड़े, समाज से होती हैं। डायन करार दिये जाने का कारण बहुत ही छोटा है **जैसे–गाय ने दूध देना बंद कर दिया**, किसी बच्चे की मौत हो जाना, कूंए का पानी सूख जाना आदि। जबकि कई मामलों में सम्पत्ति हड़प लेने की नीयत भी सामने आती है। डायन करार दी गई औरतों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है जैसे– बाल मूड़ देना, यौन उत्पीड़न, गांव से निकाल देना और अंत में

चित्र : 11.4.7 डायन या टोनही मानकर महिला के साथ हिंसा

हत्या कर देना। देश में अभी भी इस से संबंधित केंद्रीय कानून का अभाव है। परंतु उल्लेखनीय है कि यह कानून से अधिक स्त्रियों के प्रति सामाजिक असहिष्णुता का मामला है। स्त्री हिंसा तथा अन्य हिंसाओं के लिए अनेक कानून पहले से ही निर्मित हैं। यदि इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर गम्भीरता से लिया जाता तो संभवतः स्थिति इतनी भयावह नहीं होती।

11.4.2 : महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अन्य रूप

देश की स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं को कई कानूनी अधिकार प्राप्त हुए, तथापि सामाजिक स्तर पर अभी भी षोचनीय स्थिति बनी हुई है। गर्भस्थ कन्या भ्रूण से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक परिवार तथा समाज द्वारा स्त्रियाँ आज भी प्रताड़ित हो रहीं है। इस प्रताड़ना की शुरूआत गर्भ से ही हो जाती है तथा जीवन भर अपने विभिन्न स्वरूपों में स्त्री जीवन को प्रभावित करती है।

- **कन्या शिशु हत्या** : यह प्रवृत्ति मध्ययुग की देन है। लड़कियों की सुरक्षा उस समय बहुत बड़ा प्रश्न माना जाता था। विवाह में दहेज का प्रचलन बढ़ने लगा। पुत्रवती स्त्रियाँ सम्मान की पात्र होती थीं। परिणाम स्वरूप विभिन्न समुदायों में असुरक्षा की भावना उभरी तथा दहेज जुटाने में असमर्थ माता–पिता जन्म लेते ही कन्या शिशु की हत्या कर देते थे। यह कुप्रवृत्ति अनेक समुदायों समाजों में आज भी देखी जा सकती है। हत्या के लिए, जमीन में जिंदा गाड़ देना, ढेर सारा नमक अथवा तम्बाकू मुंह में भर देना, माता के दूध से वंचित कर कई दिनों तक भूखा रखना आदि उपाय किये जाते थे। **चंबल क्षेत्र** के सुदूर गांवों में आज भी एक रिवाज है जिसमे लड़की पैदा होने पर उसके मुंह में तम्बाकू भरकर झूले में झूलाते हुए एक गीत गाया जाता है जिसका सार है– **लाली जा लाला को ले आ।** इसी प्रकार बिटिया को मौत की नींद सुलाते समय पंजाब में यह लोरी गायी जाती है– गुड़ खावीं, खा के जावीं, वीर नूं घल्लीं, आप ना आवीं।

चित्र : 11.4.8 भ्रूण परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या

कारणः कन्या भ्रूण हत्या तथा कन्या षिषु हत्या के पीछे भारतीय समाज में व्याप्त पुत्र–पुत्री में भेद करने वाली अनेक प्रचिलित धारणाएं उत्तरदायी हैं। जैसे –

- **पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाता है। पुत्र बुढ़ापे की लाठी है। पुत्र नहीं होने पर सद्गति प्राप्त नहीं होती। पुत्री पराया धन है।**

    - **लिंग आधारित भ्रूण हत्या : बात** कुछ ही दिन पहले की है। एक महिला चिकित्सक के सामने एक युवती गिड़गिड़ा रही थी– मैडम, बता दीजिए लड़का है या लड़की, मेरी पहले से ही तीन लड़कियां हैं, अगर इस बार भी लड़की हुई तो ससुराल वाले मार डालेंगे। महिला चिकित्सिक ने उसके परिवार वालों को बुलाकर समझाना चाहा पर वे टस से मस नहीं हुए। तब चिकित्सक ने अंतिम हथियार के रूप में उन्हें उस कानून के बारे में बताया जिसमें लिंग परीक्षण गैरकानूनी बताया गया है। उस लड़की के ससुराल वाले उस वक्त तो लौट गए मगर पता चला उस लड़की को यह कहकर मायके भेज दिया गया, कि अगर लड़का हुआ तभी वापस आना। अब लड़की के मायके वाले गैर कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण का ठिकाना ढूंढने में व्यस्त हो गए।

भ्रूण नष्ट कर देने की यह प्रवृत्ति कन्या भ्रूण हत्या के नाम से जानी जाती है। प्रष्न उठता है क्या कन्या भ्रूण को नष्ट करना हत्या है? यह एक सामाजिक धारणा है कि वंश पुत्र से चलता है। पुत्र ही परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है। पुत्र के द्वारा किये गये संस्कारों से वह सीधे स्वर्ग पहुंचता है। कन्या कमजोर और पराया धन होती है। पुत्री के विवाह की रकम जमा करते–करते पिता कमजोर होकर कर्ज में डूब जाता है। पुत्र के जन्म से ऐसी परेशानियाँ नहीं आतीं हैं। अतः लैंगिक दुर्भावना से प्रेरित होकर यह जानकारी होते ही कि गर्भस्थ शिशु कन्या है–गर्भपात करा दिया जाता है। कन्या भ्रूण की पहचान हो जाने के बाद करवाया जाने वाला यह कृत्य भले ही बोलचाल की भाषा में गर्भपात कहा जाए पर वास्तव में यह लिंग आधारित भ्रूण हत्या है।

चिकित्सा विज्ञान में अल्ट्रासाउंड टेस्ट एक चमत्कार माना जा सकता है। इस टेस्ट से गर्भस्थ शिशु में होने वाली समस्याओं तथा प्रसवकालीन समस्याओं के निदान में चिकित्सा जगत को अपार सफलता मिली। इस टेस्ट से गर्भस्थ षिषु का लिंग भी उजागर होने लगा। परिणामस्वरूप लिंग आधारित भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति सामने आई जो समय के साथ बढ़ती चली गई। लिंगानुपात के आंकड़ों में हैरतअंगेज असमानता दिखने के बाद अल्ट्रासाउंड टेस्ट के द्वारा लिंग परीक्षण सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) एक्ट के तहत अवैध घोषित कर दिया गया है। **इस एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी आगे की इकाई/परिशिष्ट में दी जाएगी।**

दुष्परिणाम : भ्रूण हत्या तथा कन्या षिषु हत्या का सीधा असर देष में स्त्री–पुरूष अनुपात में देखा गया। पुरूषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या में हो रही गिरावट होष उड़ाने वाली है। निम्नलिखित चार्ट में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में स्त्रियों की संख्या तथा 0–6 वर्ष तक आयु के षिषु लिंगानुपर पर दृष्टि डाली जा सकती है–

2011 की जनगणना में लैंगिक अनुपात

क्रम	राज्य	स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरूष	शिशु लिंगानुपात
1	केरल	1084	964
2	पुडुचेरी	1037	967
3	तमिलनाडु	996	943
4	आंध्र प्रदेष	993	939
5	छत्तीसगढ़	991	969
6	मेघालय	989	970
7	मणिपुर	985	930
8	उड़ीसा	979	941
9	मिजोरम	976	970
10	गोआ	973	942
11	कर्नाटक	973	948
12	हिमांचल प्रदेष	972	909
13	उत्तराखण्ड	963	890
14	त्रिपुरा	960	957
15	आसाम	958	962
16	पष्चिम बंगाल	950	956
17	झारखण्ड	948	948

18	लक्ष्यद्वीप	946	911
19	अरूणाचल प्रदेष	938	972
20	नागालैंड	931	943
21	मध्य प्रदेष	931	918
22	महाराष्ट्र	929	894
23	राजस्थान	928	888
24	गुजरात	919	890
25	बिहार	918	935
26	उत्तर प्रदेष	912	902
27	पंजाब	895	846
28	सिक्किम	890	957
29	जम्मू तथा कष्मीर	889	862
30	हरियाणा	879	834
31	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	876	968
32	दिल्ली	868	871
33	चंडीगढ़	818	880
34	दादर नगर हवेली	774	926
35	दमन दीप	618	904

आजादी के समय भारत में स्त्री–पुरूष का आंकड़ा समान था। मध्ययुगीन सभ्यता से प्रभावित होने तथा कई आक्रमणकारी षासकों को झेलने के बाद भी पुत्रियों की हत्या जैसी प्रवृत्ति संभवतः उस समय कम रही होगी। इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि स्वतंत्रता के बाद हुई समस्त जनगणनाओं में स्त्री–पुरुष अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। 2001 तथा 2011 की जनगणना के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि केरल तथा पुडुचेरी जैसे राज्यों में स्त्रियों का अनुपात बेहतर है जबकि राजधानी दिल्ली, दमन दीप जैसे स्थानों पर चिंताजनक है।

लैंगिक अनुपात को संतुलित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य अथवा केन्द्र षासन की नहीं है। यह जिम्मेदारी समाज के कंधों पर भी आ गई है। स्वस्थ समाज की संरचना के लिए स्त्री तथा पुरूष की संख्या में संतुलन आवश्यक है। असंतुलित अनुपात से भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे–

- बहुपति विवाह की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कई लड़के कुंवारे रह जाएंगे। लड़कियों की तस्करी बढ़ेगी। पत्नी क्रय करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्रय करने में असमर्थ व्यक्ति उन पर हमले करेगा तथा अवसादग्रस्त हो जाएगा।
- लड़कियों की संख्या कम होने पर हम एक ऐसे समाज में जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे जहां दिन–रात औरतों के लिए छीना–झपटी मची होगी। इस स्थिति की षुरूआत हरियाणा तथा उड़ीसा में प्रारंभ हो चुकी है, जहां षादी के लिए देषभर से लड़कियाँ खरीदकर लायी जा रही हैं।
- घरेलू **हिंसा** : भारतीय समाज में स्त्रियों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की जड़ें बहुत गहरी हैं। अनेक परिवारों में छोटी–छोटी बातों पर स्त्रियों पर हाथ उठा देना, उसे गाली देना, सुविधाओं से वंचित रखना आम बात है। समाजिक व्यवस्था द्वारा स्वीकृत होने के कारण स्त्रियाँ इसका विरोध करने का साहस नहीं कर पाती हैं। प्रायः अपने साथ हुए हिंसा के विषय में जैसे ही वह मुंह खोलती है रिश्तेदार तथा समाज उन्हें बदचलन घोषित कर देता है।

चित्र : 11.4.9 घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा क्या है : देश में वर्ष 2005 में घरेलू हिसां अधिनियम लागू हुआ। इसे विस्तृत अर्थ में परिभाषित करते हुए इसमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की प्रताड़नाओं का उल्लेख किया गया है।

कारण : पारिवारिक व्यवस्था में सहज रूप से लड़की को कमजोर तथा लड़के को साहसी बहादुर आदि मान लिया जाता है। इस व्यवस्था में शादी होते ही पुरुष को पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार मिल जाता है। कुछ परिवारों में तो स्त्रियां परम्परागत रूप से पशुवत समझीं जाती हैं। इस लिए परिवार के सभी सदस्यों में उन्हें हीन समझने की प्रवृत्ति होती है।

परंतु घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामलों में दहेज, पुत्र न होना, पति का शराबी तथा जुआरी होना, विवाहेत्तर संबंध अथवा शक प्रमुख कारण होते हैं।

कानून के प्रति समाज का रवैया : स्त्रियों के साथ घर में होने वाली हिंसा पर अंकुश लगा पाना देश की कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी कानून का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब उसमें समाज की सक्रिय भागीदारी होती है। घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए बने कानून के प्रति समाज प्रारंभ से ही उदासीन रहा है क्योंकि यह उन्हें विरासत में स्त्री को मारने–पीटने के विशेषाधिकार से वंचित करता है। समाज की बनावट एवं बुनावट इस प्रकार की है कि स्त्रियाँ कानून का सहारा लेने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं।

स्त्रियाँ कानून का सहारा लेने से क्यों कतराती हैं : इस समस्या के पीछे कई कारण हैं जिनकी विवेचना निम्नांकित रूप से की जा सकती है–

- **परम्परा** : अनेक परिवारों मे बच्च बचपन से ही माता को पिता से प्रताड़ित होते हुए तथा माता को चुपचाप सहते हुए देखते हैं। मातायें पुत्रियों को सिखाती हैं कि स्त्री को सहनशील होना चाहिए। ऐसे वातावरण में पलने वाला पुत्र माता की दयनीय स्थिति को देखकर क्रोधित अवश्य होता है परंतु स्वयं पति बनने के बाद वैसा ही बर्ताव अपनी पत्नी के साथ करता है। बचपन में देखा हुआ व्यवहार युवावस्था तक आते–आते सीख बन जाता है। दूसरी तरफ लड़कियां जब पत्नी बनती हैं तो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को सामान्य समझकर स्वीकार कर लेती हैं।

- **अशिक्षा** : अशिक्षित स्त्रियाँ स्वाभिमान तथा अपने अधिकारों के प्रति न सचेत होती हैं न उनमें प्रतिरोध की क्षमता विकसित हो पाती है।

- **आर्थिक रूप से आश्रित होना** : प्रायः स्त्रियाँ इसलिए भी प्रतिरोध नहीं कर पाती हैं क्योंकि विरोध करते ही उन्हें घर से निकाल दिए जाने का भय होता है। ऐसे में अपनी तथा अपने बच्चे के भविष्य की चिंता उन्हें सब कुछ चुपचाप सहने पर मजबूर कर देती है।

- **सामाजिक प्रताड़ना** : भारतीय सामाजिक व्यवस्था जुझारू तथा हिम्मती स्त्री को प्रोत्साहित नहीं करती। स्त्री ने पति को छोड़ा अथवा पति ने स्त्री को छोड़ा दोनों ही स्थिति में वह परित्यक्ता ही कही जाती है। ऐसी स्त्री को बदचलन करार देना आम बात है। यदि इसके बाद भी कोई स्त्री ऐसी हिम्मत करती है तो समाज का पुरुष वर्ग उसे सहज उपलब्ध मान लेता है।

- **कानूनी समझ का अभाव** : हमारे समाज में आज भी अनेक सुशिक्षित स्त्रियों को भी अपने कानूनी अधिकार का ज्ञान नहीं है। जब अधिकार का ही ज्ञान नहीं तो उसे प्राप्त करने का सवाल कहां उठता है।

- **जटिल कानूनी प्रक्रिया** : घरेलू हिंसा का विरोध कर रही स्त्रियाँ प्रायः लम्बी कानूनी लड़ाई से तंग आकर समझौता कर लेती हैं।

- **भावुकता** : घरेलू हिंसा के खिलाफ भले ही सभी स्त्रियाँ कानून का सहारा नहीं लेती हों लेकिन कई उदाहरणों में वह घर छोड़कर चली जाती हैं तथा अपनी शिक्षा अथवा हुनर के अनुसार आजीविका चलाने लगती हैं। ऐसे मामलों में देखा गया कि पति तथा ससुराल वाले पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं, घर तथा बच्चों के भविष्य की दुहाई देते हैं, यदि तब भी स्त्री नहीं पिघलती तो पुरुष उसके प्रति अपने प्रेम का वास्ता देता है। इस बिंदु पर आकर मजबूत से मजबूत स्त्री मोम की तरह पिघल जाती है। बिना किसी ठोस आश्वासन के घर लौट जाती है। जहां कुछ ही दिन बाद पुराना किस्सा दोहराया जाने लगता है। कई बार ऐसे मामलों में स्त्रियों की हत्या भी कर दी जाती है।

- **यौन हिंसा** : आज के समय में हम यौन हिंसा के तहत सिर्फ बलात्कार को ही नहीं रखा सकता। भारतीय कानून में बलात्कार के अतिरिक्त घूरना, गलत नियत से छूने का प्रयास करना, गंदे इशारे तथा टिप्पणी करना आदि भी इस हिंसा में शामिल हैं।

चित्र : 11.4.10 यौन हिंसा	**चित्र :11.4.11 कार्यस्थल पर यौन हिंसा**

बलात्कार की समस्या : आए दिन समाचार पत्रों में बलात्कार की खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। बलात्कारियों में सिर्फ सड़क पर चलने वाले असामाजिक तत्व नहीं वरन् पिता, भाई, शिक्षक, चिकित्सक जैसे सम्मानित नामों का आना इस बात की गवाही देता है कि व्यक्ति आज भी स्त्रियों को मात्र उपभोग की वस्तु समझता है। भले ही वह बेटी ही क्यों न हो।

16 दिसम्बर, 2014 को दिल्ली में एक युवती अपने पुरुष मित्र के साथ सिनेमा देखने गई। लौटते वक्त उसे देर हो जाती है। वह एक चाटर्ड बस में लिफ्ट लेती है। उस बस में सवार ड्राइवर और उसके अन्य तीन साथी जिसमें एक नाबालिग भी होता है उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। वह युवती अंत तक संघर्ष करती है और उसे मृत मानते हुये सड़क के किनारे फेंक देते हैं। इस घटना ने देश भर को झकझोर दिया। प्रतिरोध का ऐसा स्वर इससे पहले कभी नहीं सुना गया। लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद कानून में बलात्कार के रेयरेस्ट ऑफ रेयर अर्थात दुर्लभ मामलों को फॉस्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान बना। इस घटना को हम **निर्भया काण्ड** या **दामिनी काण्ड** के नाम से जानते हैं।

इस घटना के बाद देश भर में बहस छिड़ गई। कुछ सम्मानित पुरुषवादियों द्वारा उस लड़की को दोषी ठहराते हुए जो तर्क दिये गए उस पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है–

- लड़कियाँ भड़काउ कपड़े पहनी हैं इसलिए बलात्कार होता है।
- जब जब लड़कियाँ मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लाघेंगी तब–तब बलात्कार होगा ही।
- एक नेता ने बलात्कारियों का पक्ष लेते हुए कहा– लड़कों से गलती हो ही जाती है।
- वह इतनी रात को निकली ही क्यों?

इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समाज स्त्रियों को आज भी सात पर्दे के भीतर देखना चाहता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बलात्कार एक मनोविकार है जिसका कपड़ों से कोई लेना–देना नहीं है, क्योंकि बलात्कार की शिकार, दो महीने की बच्ची अथवा 75 साल की वृद्धा भी होती है। लक्ष्मण रेखा तथा मर्यादा ऐसे बलात्कार के बाद की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। स्त्रियों के साथ 'इज्जत' शब्द जुड़ा होने के कारण वह सामाजिक उपहास तथा निंदा का कारण बन जाती है। कई बार पीड़िता को बदचलन मान लिया जाता है। यहां तक कि कोई उससे विवाह करने को भी तैयार नहीं होता। शारीरिक और मानसिक रूप से वह टूट जाती है। ऐसी अवस्था में कई लड़कियाँ मौत को गले लगा लेती हैं तो कई विक्षिप्त हो जाती हैं।

आइये! स्थिति की गम्भीरता को आँकड़ों के आईने में देखते हैं–

- राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड के ताजा आँकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन लगभग 50 बलात्कार के मामले थानों में पंजीकृत होते हैं। इस प्रकार देशभर में प्रत्येक घंटे दो महिलाएँ बलात्कारियों का शिकार होती हैं, जबकि अनेक मामले दर्ज ही नहीं होते।

- भारत के विभिन्न राज्यों में बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश भी अग्रणी हैं, जहाँ 1,262 मामले दर्ज हुए, जबकि दूसरे और तीसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश 1,088 तथा महाराष्ट्र 818 रहे। इन तीनों प्रदेशों के आंकड़े मिला दिए जाएँ तो देश में दर्ज बलात्कार के कुल मामलों का 44.5 प्रतिशत इन्हीं तीनो राज्यों में दर्ज किया गया। यह आंकड़ा स्त्रोत राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का है।

- राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली बलात्कार के मामले में सबसे आगे है। पिछले कुछ दिनो में ही दिल्ली में कार में बलात्कार के कई सनसनी खेज मामले दर्ज हुए। दूसरी ओर राजस्थान की राजधानी जयपुर भी बलात्कार के मामलों में देशभर में पांचवें नम्बर पर है। दिल्ली, मुम्बई, भोपाल और पुणे के बाद जयपुर का नम्बर इस मामले में आता है। 2007 से 2011 की अवधि के दौरान इस मामले में दिल्ली नम्बर वन रही। **विश्व स्वास्थ संगठन** के एक अध्ययन के अनुसार, 'भारत में प्रत्येक 54वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है।' वहीं महिलाओं के विकास के लिए केन्द्र (Centre for development of women) के अनुसार, 'भारत में प्रतिदिन 42 महिलायें बलात्कार का शिकार बनती हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 35वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है।'

- **सम्मान के लिए हत्या (आनर किलिंग)** : जैसा कि नाम से ही जाहिर है इस प्रकार की हत्याएं सम्मान के लिए की जाती हैं। भारतीय समाज में स्त्रियाँ घर की इज्जत मानी जाती हैं। जाति से बाहर जाकर विवाह करना अथवा एक ही गोत्र में शादी कर लेना समाज में अप्रतिष्ठा का कारण बन जाता है। इस प्रतिष्ठा के कारण भारत में प्रति वर्ष एक हजार युवक–युवतियों की हत्या कर दी जाती है। वास्तविक आंकड़ा कभी भी सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि कई मामले आत्महत्या या दुर्घटना करार देकर दबा दिए जाते हैं। इस मामले में युवक तथा युवती दोनों ही प्रायः जाति पंचायत के खूनी फैसलों के शिकार होते हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना होता है कि ये अपनी पसन्द से जीवन साथी चुन लेते हैं।

ऐसा नहीं है कि इस समस्या के चंगुल में सिर्फ भारतीय जोड़े घुटन महसूस कर रहे हों। न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1991 में इराकी कुर्दिस्तान में 12,000 से भी अधिक स्त्रियों की सम्मान के नाम पर हत्या की गई। ब्रिटेन में हर साल 17 हजार से भी अधिक स्त्रियाँ इस तथाकथित सम्मान के लिए हिंसा का शिकार बनती हैं, जिसमें कई बार हत्या भी शामिल होती है। बी.बी.सी. की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में चार हजार से भी अधिक स्त्रियां **''ऑनर किलिंग''** का शिकार हुईं, वहां इस प्रथा को **'कारो–कारी'** के नाम से जाना जाता है। कभी–कभी पंचायती फैसले न हों तो भी सम्मान का विषय मानकर माता–पिता रिश्तेदार आदि अपने ही बच्चों की हत्या कर बैठते हैं। वर्तमान युग में सम्मानपूर्वक जीने के लिए उनका शिक्षित होना तथा आर्थिक रूप से सबल होना आवश्यक है। शिक्षिता, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान से भरी हुई एक स्त्री अनेक पीड़ितों के लिए एक मिसाल बन सकती है।

निराकरण : मनुष्य ने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। समाज में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। जो नियम अथवा अनुशासन आज प्रासंगिक हैं वह कल अनुपयोगी भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए कानून में भी संशोधन का प्रावधान किया जाता है। कोई भी सामाजिक नियम मनुष्य से ऊपर नहीं हो सकता। यह भी स्वीकार करना होगा कि एक झटके में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है इसके लिए सरकार, स्वयंसेवी संगठन तथा पीड़ित स्त्री समुदाय सभी को एक साथ मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। यदि आपको हमारी बात में विश्वास न हो तो इन सच्ची घटनाओं से प्रेरणा लें आपके विचार बदल जायेगें।

सारांश (Summary)

- महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों या हिंसा को दो श्रेणियों में बाँटकर देखा जा सकता है। एक ओर तो ऐसे अत्याचार हैं जो कुप्रथाओं के नाम पर समाज में लम्बे समय से प्रचलित हैं। दूसरी ओर ऐसे अत्याचार हैं जो स्त्री होने के कारण उन्हें हिंसा के रूप में सहने पड़ते हैं।

- महिलओं के विरूद्ध कुप्रथाओं में प्रमुख रूप से बाल विवाह, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, डायन अथवा टोनही प्रथा, तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ आती हैं।

- स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा के रूप में लिंग आधारित भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा या सम्मान के लिये हत्या (ऑनर किलिंग) प्रमुख हैं।

- इन कुप्रथाओं और हिंसा के परिणाम स्वरूप देश के विकास में आधी आवादी का योगदान नहीं हो पा रहा है। समाज में शोषण और अत्याचार है। साथ ही स्त्री–पुरुष अनुपात में गिरावट आने से अनेक सामाजिक बुराईयाँ पनप रही हैं।
- महिलाओं की स्थिति में पलक झपकते ही परिवर्तन कर देना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। स्थितियों को संवेदनशीलतापूर्वक देखने से तथा सरकार, समाज, स्वयं सेवी संगठनों की साझा प्रयासों से परिवर्तन की राह खोजी जा सकती है।
- महिलाओं को हिंसा से बचाने तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देने के लिये अनेक संगठन, संस्थाएँ कार्यरत हैं। कई विधिक प्रावधान भी हैं पर वास्तविक बदलाव तभी संभव है। जब हम पुरुषवादी और दमनकारी सोच से ऊपर उठकर शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के लिए प्रयत्नशील हों। लैंगिक भेदभाव की समाप्ति हो और सभी को उसकी प्रतिभा और क्षमता के आधार पर राष्ट्र के विकास में योगदान करने का पूर्ण और पर्याप्त अवसर मिल सके।

अवधारणात्मक शब्दों के अर्थ (Meaning of Conceptual Terms)

- **टोनही** : सामाजिक कुप्रथा जिसमें किसी स्त्री को अपषगुनी मानकर उससे हिंसक अमानवीय व्यवहार करना।
- **देवदासी** : ऐसी स्त्रियाँ होती हैं जो आजीवन अविवाहित रहकर मंदिर में सेवा कार्य
- **ऑनर किलिंग** : बेटे या बेटी के अपने से नीची या ऊँची जाति में बिना अनुमति के विवाह करने पर या प्रेम सम्बन्ध रखने पर उनकी हत्या कर देना।
- **सती प्रथा** : ऐसी सामाजिक कुप्रथा जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नि भी अपना जीवन समाप्त कर लेती है।

स्व–मूल्यांकन (Self-assesment)

1. महिलाओं को अपने जीवन में किस–किस प्रकार की हिंसाओं का सामना करना पड़ता है? संक्षिप्त विवरण दें।
2. भारत में लिंगानुपात की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करें।
3. समाज में स्त्रियों की संख्या कम होने के दुष्प्रभावों की चर्चा करें।
4. सम्मान के लिए हत्या (आनर किलिंग) से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं?

5. क्या आप सहमत हैं कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से उनके विरूद्ध होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दें।
6. 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का मनोवैज्ञानिक आधार पुरुष अहंकारवादी सोच है।' विश्लेषण कीजिए।

प्रदत्त कार्य (Assignments)

- अपने आस–पास हिंसा की षिकार महिलाओं पर एक रिपोर्ट तैयार करें।

संदर्भ (References)

महिलाओं के सषक्तिकरण के लिये केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय का गठन किया गया है। इसकी अनेक शाखाएँ हैं। वैष्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक अनेक संस्थायें एवं संगठन, महिलाओं के मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रकाषित, प्रसारित सामग्री से अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। स्त्री–विमर्ष के रूप में यह बौद्धिक वर्ग में विचार–विनिमय का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इससे सम्बन्धित अनेक पुस्तकें, लेख इत्यादि प्रकाषित होते रहते हैं। रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रम भी महिला सषक्तिकरण विषयक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन सभी से महिलाओं के सषक्तिकरण के सम्बन्ध में सूचना, समाचार, संचार और प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है।

■■■

ईकाई 5 : महिला सुरक्षा तथा अधिनियम

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- वर्तमान संदर्भों में महिला सुरक्षा की आवश्यकता और महत्व को समझ सकेंगे।
- महिलाओं की सुरक्षा और उनके विकास के लिए कौन–कौन संस्थाएं कार्यरत हैं और उनके दायित्व और कार्य क्या हैं?
- महिलाओं की सुरक्षा के लिये कौन–कौन से कानून बनाये गये हैं उनके प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
- अपनी सुरक्षा के लिये महिलाएं कानून की सहायता किस प्रकार ले सकती हैं?

11.5.1 : महिला सुरक्षा हेतु विविध निकाय

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्त्रियों के हित में अनेक संस्थागत तथा वैधानिक प्रयास किए गए। स्त्रियों को विकास का समान अवसर प्रदान करने हेतु अनेक शासकीय संगठनों व कानूनों का निर्माण किया गया। इस अध्याय में हम स्त्रियों के सर्वांगीण विकास तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुप्रथायें समाप्त करने हेतु निर्मित प्रमुख संस्थाओं तथा कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना था। 30 जनवरी 2006 से इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है।

महिला तथा बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में यह मंत्रालय योजना, नीतियां तथा कार्यक्रमों का निर्माण करता है। कानून को लागू करता है। कानूनों में आवश्यकतानुसार सुधार लाता है। महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों को दिशा–निर्देश देता है व उनके बीच तालमेल स्थापित करता है। इसके अलावा अपनी नोडल भूमिका निभाकर यह मंत्रालय महिला तथा बच्चों के लिए कुछ अनोखे कार्यक्रम चलाता है। ये कार्यक्रम कल्याण व सहायक सेवाओं, रोजगार के लिए प्रशिक्षण व आय सृजन एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा व ग्रामीण विकास इत्यादि के अन्य क्षेत्रों में भी सहयोगी कार्यक्रमों की भूमिका निभाते हैं।

ये सभी प्रयास इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं कि महिला को आर्थिक व सामाजिक दोनों रूप से सशक्त बनाया जाए और इस प्रकार उन्हें पुरुषों के साथ राष्ट्र विकास में बराबर का भागीदार बनाया जाये।

संगठन

इस मंत्रालय के क्रिया–कलाप निम्नांकित संगठनों के माध्यम से सम्पन्न किये जाते हैं–

- राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान (NIPCCD)
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
- राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (NCPCR)
- केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (CSWB)

राष्ट्रीय महिला आयोग : भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है।

- **अधिकार तथा कर्तव्य** : महिला आयोग संविधान तथा कानून में संदर्भित सुरक्षा उपायों की जांच और परीक्षा करती है। साथ ही उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार से सिफारिश करती है। साथ ही महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करती है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना तथा उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना इनके प्रमुख कार्यो में शामिल है।

  महिला आयोग के दायित्वों में कारागार, रिमाण्ड गृहों (जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है) आदि का निरीक्षण करना तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की मांग करना शामिल है। आयोग को संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं की रक्षा से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग गठन का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व कर उनके मुद्दों के लिए आवाज प्रदान करना है। अब तक आयोग ने बड़ी मजबूती से महिलाओं के शोषण के विरूद्ध आवाज उठायी है। आयोग ने महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली–गलौज के प्रति भी गंभीरता से संज्ञान लिया है। बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत

और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

राष्ट्रीय महिला कोष : महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फण्ड या राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च, 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबों और बैंकिंग क्षेत्र के बीच के अन्तराल को कम करना है। स्वयं–सहायता समूहों के माध्यम से सहायता प्रदान कर महिलाओं की आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में इस कोष की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

उद्देश्य : इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए
2. संपत्ति निर्माण के लिए लघु–ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना।

11.5.2 : भारतीय प्रशासन में महिला पुलिस तथा महिला थाना

भारतीय पुलिस में महिलाओं को भी नियुक्त होने तथा पदोन्नत होने का समान अवसर प्राप्त है। तथापि अनेक सामाजिक विषमताओं के कारण महिला पुलिस की संख्या में आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाई है।

- **महिला पुलिस** : भारत की पुलिस में राज्य स्तर पर पहली महिला की नियुक्ति वर्ष 1933 में और आईपीएस स्तर पर 1972 में हुई थी। परन्तु अनेक कारणों से आज भी महिलाएं पुलिस सेवा में आने से कतराती हैं। देश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या काफी कम है। 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 17,22,786 पुलिस कर्मियों में से महिला पुलिस कर्मियों की संख्या मात्र 1,05,325 यानि केवल 6.11 फीसदी है।

- **महिला थाना** : केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 में सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में महिला थाना खोलने की सिफारिश की गई। वर्तमान में देश में लगभग 550 महिला थाने कार्यरत हैं।

  उद्देश्य : महिला थाना की परिकल्पना एक ऐसे सुरक्षित स्थल के रूप में की जाती है जहाँ स्त्रियाँ अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में खुलकर बता सकें। साधारणतया पुरुष अधिकारियों के समक्ष संकोचवश पीड़ित महिला अपनी बात नहीं कह पाती है। थाने में नियुक्त महिला अधिकारी तथा पुलिसकर्मियों से भी यह उम्मीद की जाती है कि वह पीड़ित

महिलाओं की बात संवेदनशीलता के साथ सुनेंगी और तत्परता से उसके निराकरण की दिशा में प्रयास करेंगी।

11.5.3 : महिलाओं के हित में निर्मित प्रमुख विधिक प्रावधान

हम इकाई के इस भाग में बाल विवाह, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या आदि से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे –

- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006** : भारतीय कूनन में इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान निर्मित हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति का विवाह निर्धारित आयु से पहले हो जाता है, तो उसे कानूनन शून्य घोषित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उपहारों की वापसी, पुनर्विवाह तक भरण–पोषण, ऐसे विवाह से जन्मे बच्चों की अभिरक्षा का निर्धारण, तथा अनैतिक प्रयोजनों के लिये दुर्भावनापूर्वक किये गये विवाह हेतु प्रावधान हैं। जिसमें अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने पर दण्ड स्वरूप 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

कौन दंडित होगा

1. 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है।
2. कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है।
3. कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मलित होता है।

दण्ड : उपरोक्त स्थितियों में शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। किसी महिला को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

बाल विवाह प्रतिषेध (रोकने वाला) अधिकारी

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी को बाल विवाह रोकने वाला अधिकारी घोषित किया गया है। बाल विवाह

की सूचना अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुलिस थाने में, महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, कोटवार आदि को दी जा सकती है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 : दहेज प्रथा के सामाजिक दुष्परिणामों को नियमित नियंत्रित और समाप्त करने के उद्देश्य से 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में दहेज के अंतर्गत लेन–देन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

- यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना प्रेरित करेगा वह 5 वर्ष तक के कारावास अथवा 15 हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। यदि दहेज की रकम 15 हजार रुपये से अधिक है तो जुर्माने की राशि दहेज की रकम के बराबर हो सकेगी।
- कोई व्यक्ति यथास्थिति वधु या वर के माता पिता या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह छः माह से 2 वर्ष तक के कारावास और 10 हजार रू. तक के जुर्माने से दंण्डित किया जा सकेगा।
- दहेज देने या लेने के लिए किया गया करार गैर कानूनी और शून्य होगा।

दहेज प्रतिषेध (रोकने वाला) अधिकारी : दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारियों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सलाह देने एवं प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए दहेज प्रतिषेध सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

कहाँ शिकायत करें

पीड़ित पक्ष स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा सकता है। कानूनी जानकारी तथा प्रक्रिया के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है।

दहेज हत्या तथा अन्य विधिक प्रावधान :

- जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु जलने से या शारीरिक चोटों से अथवा विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थतियों में होती है और यह पाया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व उसके पति ने या पति के किसी नातेदार ने दहेज संबंधी मांग के लिए या उसके संबंध में महिला के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु

को 'दहेज मृत्यु' कहा जायेगा और पति या नातेदार को उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जायेगा।

- दहेज मृत्यु के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा से दंडित किया जा सकता है।

अन्य विधिक प्रावधान

- यदि किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार उस स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, तो वह तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा। यहां क्रूरता का मतलब है–
    - o जानबूझ कर किया गया ऐसा अपराध जो स्त्री को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे या जिससे उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर क्षति या खतरा होने की सभांवना हो, या
    - o किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना जिससे उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सपंत्ति या मूल्यावान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इसलिए तंग करना क्योकि उसका कोई नातेदार ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहा है।

लिंग चयन का निषेध अधिनियम, 1994 व PC and PNDT Act : Pre-Natal Diagnostic Technige 2003 : इसका पूरा नाम 'पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' 1994 (पीसीपीएनडीटी एक्ट) है। यह भारत में लिंग आधारित भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस एक्ट से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले पति–पत्नी, डॉक्टर व लैबकर्मी को **तीन से पांच वर्षो की सजा और दस से बीस हजार जुर्माने** का प्रावधान है।

प्रमुख विशेषताएं–

1. इस अधिनियम ने सभी परीक्षण प्रयोगशालाओं के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया है तथा अल्ट्रासाउंड के उपकरणों के निर्माता को अपने उपकरणों को पंजीकृत प्रयोगशालाओं को बेचने के निर्देश दिए हैं।

2. इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी मशीनों और उपकरणों के पंजीकृत निर्माताओं को संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के उपयुक्त प्राधिकारियों को तीन महीने में एक बार अपने उपकरणों के क्रेताओं की सूची देनी होगी और ऐसे व्यक्ति या संगठनो से हलफनामा लेना होगा कि वह इन उपकरणों का इस्तेमाल भ्रूण के लिंग चयन के लिए नहीं करेंगे।

इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कृत्य –

- लिंग चयन या लिंग का पूर्व–निर्धारण की सेवा देने वाले विज्ञापनों का प्रकाशन।
- **गर्भाधान**–पूर्व या जन्म–पूर्व परीक्षण तकनीकों वाले क्लीनिकों का पंजीकृत नहीं होना या क्लिनिक या संस्थान के भीतर सबको दिखाई देने वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रदर्शित नहीं करना।
- अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण करना।
- गर्भवती को लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए मजबूर करना।
- लिंग चयन की प्रक्रिया में सहयोग या सुविधा प्रदान करना।
- चिकित्सक द्वारा गर्भवती या अन्य व्यक्ति को अजन्मे बच्चे के लिंग के बारे में किसी भी तरह सूचित करना।
- पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत क्लीनिकों द्वारा अभिलेखों को भली–भांति सहेज कर नहीं रखना।

दण्ड –

- यदि किसी विज्ञापन में लिंग चयन के लिए किसी प्रकार की सूचना प्रकाशित की जाती है।
- यदि कोई चिकित्साकर्मी अजन्मे बच्चे के लिंग की जानकारी देता है।
- यदि कोई व्यक्ति अपने अजन्मे बच्चे के लिंग का चयन कराता है या किसी महिला को लिंग चयन करवाने के लिए मजबूर करता है।

तो उसे 3 साल तक की सजा और 10000/– रू. का जुर्माना हो सकता है।

शिकायत कहां की जा सकती है :–

- शिकायत और सहायता के लिए 1090 हेल्पलाईन पर फोन किया जा सकता है।

- राज्य, जिला, उप जिला शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उपयुक्त प्राधिकारी से लिखित में शिकायत की जा सकती है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 :

घरेलू हिंसा निरोधक कानून 2005 को 2006 में लागू किया गया। इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा, दोषी के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़िता को राहत देने का विवरण है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा : अधिनियम की धारा 2 (छ) एवं 3 के अनुसार शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना, ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं। महिला बाल विकास विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस मामले में संरक्षक अधिकारी का दर्जा दिया गया हैं

कब दर्ज हो सकती है शिकायत –

- यदि महिला के साथ मार–पीट हो। (इस दायरे में सभी रिश्तेदार आते है।)
- उसे घर में नहीं रहने दिया जाए, खर्च के लिए पैसे न दिए जाएँ।
- उसके जेवर और पैसे छीन लिये जाएँ।
- चिकित्सकीय सुविधा से वंचित हो, सम्पत्ति पर अधिकार से वंचित कर दिया जाए।
- उसे या उसके मायके वालों को ताना या धमकी दी जाए।
- उसे संतान या पुत्र न होने पर ताना दिया जाता हो।

यह सिविल एक्ट है यानि यह दिवानी कानून है, इसके अंतर्गत दोषी के लिए सजा का प्रावधान नहीं है लेकिन पीड़िता को राहत अवश्य मुहैया कराया गया है।

राहतः इस अधिनियम के तहत पीड़िता यदि अलग रहना चाहे तो उसके आवास की व्यवस्था पति करेगा, इसके अतिरिक्त पीड़िता और उसके साथ रह रहे बच्चों के गुजारे का इंतजाम भी पति की जिम्मेदारी होगी।

यौन हिंसा : बलात्कार छेड़छाड़

भारतीय कानून में यौन हिंसा के तहत बलात्कार, छेड़छाड़ आदि के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस अपराध के लिए निम्नलिखत दंड की व्यवस्था की गई है–

- धारा 376– कम से कम सात साल की जेल, या फिर उम्र कैद भी हो सकती है और जुर्माना।
- सरंक्षण में बलात्कार होने पर धारा 376(2)– अगर कोई महिला किसी संस्थान, संस्था, पुलिस या अस्पताल आदि के संरक्षण में है और यदि यहां उसके साथ बलात्कार किया जाता है तो यह संरक्षण में बलात्कार कहलाएगा। इस अपराध मे कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माना किया जायेगा।
- बलात्कार के कारण मौत या अक्षम होनाः धारा 376–क–के अनुसार कम से कम 20 साल से लेकर उम्र कैद की सजा।
- अलगाव की स्थिति में पति द्वारा बलात्कारः धारा 376–ख– यदि पत्नी अपने पति से अलग रहती हो और उस स्थिति में उसकी बिना सहमति के पति अगर ऐसा कोई भी कार्य करता है जो धारा 375 में बताया गया है तब उसे 2–7 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है।
- प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वाराः धारा 376–घ– यदि किसी महिला के साथ एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किये जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का आरोपी माना जायेगा और कम से कम 20 साल की सजा या उम्र कैद और जुर्माना किया जायेगा।
- अपराध को दोहराने की सजाः धारा 376–ड– धारा 376, धारा–376–क या धारा 376घ, के तहत इन्हीं अपराधों के दोहराए जाने पर उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है।

शील भंग : दण्ड संहिता की धारा 354 के अनुसार किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग व गरिमा को ठेस पहुँचाना है। इस अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष या 5 वर्ष तक की सजा व जुर्माना भी या दोनों हो सकता है। दंड संहिता धारा 354 के पश्चात् अन्य धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

1997 में अधिनियम विशाखा केस में दिये गये लगभग सभी दिशा–निर्देशों को धारण करता है। शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपये से अधिक अर्थदंड भरना पड़ेगा, ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर–संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक या घरों में काम करने वाली नौकरानियाँ/कामवाली आदि को भी शामिल करता है। इस प्रकार, यह अधिनियम कार्यशील महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करने के लिये युक्ति है।

सारांश (Summary)

- स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में महिलाओं के सर्वांगींण विकास हेतु अनेक संस्थागत एवं वैधानिक प्रयास किये गये हैं।
- इन प्रयासों की श्रृंखला में केन्द्र और राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। बाद में इसे मंत्रालय का भी दर्जा प्रदान किया गया।
- महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रमुख उद्देश्य महिला और बच्चों के समग्र विकास को बढावा देना है।
- महिलाओं के संवैधानिक हितों की रक्षा और कानूनी सुरक्षा के उपाय लागू करने के लिये सन् 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। महिलाओं से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिये इसे सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।
- महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गयी है। यह महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के अलावा अन्य कई प्रकार से उनके आर्थिक हितों का संरक्षण करता है।
- महिलाओं की समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता से सुना जा सके और उसका निराकरण किया जा सके। इस उद्देश्य से महिला पुलिस और महिला थानो की स्थापना की गयी है। अनेक कारणों से इनकी संख्या आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है।

- बाल विवाह, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा इत्यादि से बचाव के लिए अनेक कानूनी प्रावधान बनाये गये हैं। जिनको तोड़ने पर आर्थिक जुर्माना, कारावास की सजा या दोनों दिये जा सकते हैं।
- भ्रूण हत्या रोकने के लिये पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम में बनाया गया है। इसके प्रावधानो का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कारावास दोनो दिये जा सकते हैं।

अवधारणात्मक शब्दों के अर्थ (Meaning of Conceptual Terms)

- **दहेज** – स्त्री को पिता पक्ष से विवाह के समय दिये जाने वाला धन और वस्तुएँ।
- **बाल विवाह** – स्त्री पुरूष का निर्धारित आयु से पूर्व कम आयु में ही विवाह।
- **लिंग चयन** – भ्रूण अवस्था में माता के गर्भ में लिंग का पता लगाना।
- **घरेलू हिंसा** – घर के अन्दर महिलाओं से अमानवीय व्यवहार करना।

स्व–मूल्यांकन (Self-assesment)

1. राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय महिला कोष का संक्षिप्त विवरण दें।
2. आपकी दृष्टि में महिला पुलिस तथा महिला थानों की संख्या में कमी के प्रमुख क्या कारण हैं?
3. बाल विवाह क्या है? यदि किसी व्यक्ति की बचपन में शादी हो जाए तो क्या वह इस शादी से मुक्त हो सकता है?
4. पीसीपीएनडीटी एक्ट किस अपराध से संबंधित कानून है? इसके विविध प्रावधान क्या हैं?
5. विभिन्न परिस्थितियों में किए गए बलात्कारों के हेतु दण्ड विधान की चर्चा करें।
6. घरेलू हिंसा की स्थितियों को समाप्त करने की दृष्टि से अपने सुझाव दीजिये।
7. दहेज लेना और देना दोनों अपराध की कोटि में आते हैं। इसे हतोत्साहित करने के लिये आप क्या सुझाव देंगे।

आओ करके देखं

- समाचार पत्रों से स्त्री उत्पीड़न के विरूद्ध न्यायालयों के दस फैसलों का विवरण एकत्र करें तथा उस पर अपनी टिप्पणी लिखें।

अधिक जानकारी के लिए संदर्भ सूत्र

महिलाओं के सषक्तिकरण के लिये केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय का गठन किया गया है। इसकी अनेक शाखाएँ हैं। वैष्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक अनेक संस्थायें एवं संगठन, महिलाओं के मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। इनके द्वारा प्रकाषित, प्रसारित सामग्री से अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। स्त्री–विमर्ष के रूप में यह बौद्धिक वर्ग में विचार–विनिमय का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इससे सम्बन्धित अनेक पुस्तकें, लेख इत्यादि प्रकाषित होते रहते हैं। रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रम भी महिला सषक्तिकरण विषयक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन सभी से महिलाओं के सषक्तिकरण के सम्बन्ध में सूचना, समाचार, संचार और प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है।

■■■

परिशिष्ट–एक

महिला सशक्तिकरण हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

महिलाओं को सशक्त करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इस परिशिष्ट में भारत सरकार और मप्र राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। हम सब जानते ही हैं कि सरकार ने महिलाओं को सक्षम बनाने तथा मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न क्षेत्रो में अवसरों के साथ–साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा व्यवसाय से संबंधित अनेक योजनाएं बनाई गई है। जो कि संचालित हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

1. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**–: महिलाओं के लिए मोदी सरकार की सबसे सफल उज्ज्वला योजना है। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना की शुरुआत हुई थी, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गृहणियों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाती है। अब तक देश के 8.3 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार तेल कंपनियों को हर एक कनेक्शन पर 1600 रुपये की सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी सिलेंडर को सिक्योरिटी और फिटिंग शुल्क के लिए होती है। जिन परिवारों के नाम बीपीएल कार्ड हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उदेश्य महिलाओं को लकड़ी या कोयले के धुएं से मुक्त कराना है।

2. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना** –: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी। इस योजना का उद्देश्य बालिका लिंग अनुपात में गिरावट रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। यह योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। अगर कोई महिला ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है तो उसे पुलिस, कानूनी, चिकित्सा जैसी सेवाएं दी जाती है। पीड़ित महिला टोल फ्री नंबर 181 पर काल करके मदद ले सकती हैं।

3. **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना** –: इस योजना के तहत 100 फीसदी तक अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में महिलाओं के प्रसव को किया जाता है ताकि प्रसव के दौरान मां और उसके बच्चे के स्वास्थ्य की उचित देखभाल की जा सके। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को गई थी। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य माता और नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोकना है।

4. **फ्री सिलाई मशीन योजना** –: जो महिलाएं सिलाई–कढ़ाई में रुचि रखती हैं, उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से फ्री सिलाई मशीन योजना चलाई जाती है. इस योजना का लाभ देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं उठा सकती हैं। भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को को निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

5. **महिला शक्ति केंद्र योजना** –: यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से साल 2017 को लॉन्च की गई थी। यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत गांव–गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करती है।

6. **सुकन्या समृद्धि योजना**–: मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी।यह स्कीम 10 साल से कम उम्र की लड़कियों/बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है, अर्थात लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यह बचत योजना है। किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए अकांउट खुलवा सकते हैं। स्कीम पूरी हो जाने के बाद सारा पैसा उसे मिलेगा,जिसके नाम पर आपने इस अकांउट को खुलवाया होगा।

7. **कौशल्या योजना** –: कौशल्या योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोषित योजना है जिसके अंतर्गत रोजगार उन्मुखी राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना है। रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदाय करना योजना का उद्देश्य है। जिससे गैर–परम्परागत क्षेत्रों में कौशल प्रदान कर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और महिलाओं के रोजगारो

में वृद्धि हो सके। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली को छोडी हुए हों, अथवा महिलाऐं अपना कौशल विकसित कर रोजगार अथवा स्वरोजगार चाहती हैं, या अपने कौशल को बढाना चाहती हैं।इस योजना में भाग लेने की उम्र 15 वर्ष से अधिक तय की गई है। एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। साथ ही उन पर पात्रता हेतु आवश्यक दस्तावेज हों आधार नंबर हो, आवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो,शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (केवल दिव्यांग युवाओं हेतु) हो। इसमें पंजीकरण को सरल बनाया गया है इस हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मैरिट के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के ऑन–लाईन चयन की कार्यवाही की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण किया जायेगा। आधार संख्या का उपयोग केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि एक उम्मीदवार इस योजना के दौरान एक से अधिक बार पंजीकरण नहीं करें। प्रशिक्षण प्रदाता उम्मीदवार के आधार पंजीकरण के लिए सहायता प्रदान करेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क है। सम्पूर्ण वित्तीय भार शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः 15 दिवस से लेकर 9 महीने (लगभग 100 से 1200 घंटे) तक होगी।

8. **जननी एक्सप्रेस योजना** –: जननी एक्सप्रेस योजना गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु चिकित्सालय ले जाने के लिये वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कॉल सेन्टर आधारित जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है। जिले के कॉल सेन्टर पर कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिये वाहन उपलब्ध कराने के लिये सूचित कर सकता है। काल सेन्टर पर सूचना मिलने पर संबंधित गर्भवती महिला के निवास की जानकारी ली जाती है। तत्काल वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। **उद्देश्य**– तत्काल **परिवहन** सुविधा मिलने से आकस्मिकता की स्थिति में महिला की जान बचाई जा सकती है। **क्रियान्वयन**– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग कार्यकर्ता। **पात्रता**– समस्त गर्भवती महिलाए। **सम्पर्क**– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं टोल फ्री नम्बर **108** है।

9. **जननी सुरक्षा योजना** –: जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव कराने पर आर्थिक सहयोग किया जाता है। शासकीय एवं प्राइवेट अस्पताल(सरकार

से मान्यता प्राप्त) में प्रसव कराने पर ग्रामीण गर्भवती महिला को रू 1400 तथा शहरी गर्भवती महिला को रू 1000 दिये जाते हैं.महिला के साथ आने वाले प्रेरक को ग्रामीण क्षेत्र में रू 350 तथा शहरी क्षेत्र में रू 200 दिये जाते हैं । परिवहन की व्यवस्था प्रेरक अथवा परिवार द्वारा कराने पर रू 250 दिये जाते हैं। **उद्देश्य** : सुरक्षित प्रसव सुनिष्चित करना। **क्रियान्वयन**– स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग। **पात्रता**– समस्त गर्भवती महिलाऐं प्रसव पश्चात् इस योजना के अंतर्गत लाभ की पात्रता रखती है। **सम्पर्क**– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ कार्यकर्ता।

10. **जननी शिशु सुरक्षा योजना** –: समस्त गर्भवती महिलाओं एवं नवजात षिषुओं को (जन्म से 30 दिवस तक) आवष्यक पैथालॉजी जांचें, रक्त व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, भोजन इत्यादि निषुल्क उपलब्ध कराया जाता है। **उद्देश्यः** निषुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। **क्रियान्वयन** : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। **पात्रता** : समस्त गर्भवती महिलायें एवं नवजात षिषु। **सम्पर्कः** स्थानीय चिकित्सालय के अधिकारी/कर्मचारी।

11. **लाडली लक्ष्मी योजना** –: बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच , लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारषिला रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में 01 अप्रैल, 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई। **आवेदन की प्रक्रियाः** जिनके माता–पिता म.प्र. के मूल निवासी हों। आयकरदाता न हों। द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवदेन करने से पूर्व माता–पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हों। आवष्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय में आवेदन किया जा सकेगा। **लाभ** : बालिका के नाम से शासन की ओर से रुपये 1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। योजनान्तर्गत बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षो तक रूपये 6–6 हजार म.प्र. लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जायेंगे। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेष लेने पर रू. 2000/– कक्षा 9 वीं में प्रवेष लेने पर रू. 4000/– कक्षा 11 वीं में प्रवेष लेने पर रू. 6000/– तथा 12 वीं में प्रवेष लेने पर रू. 6000/– ई–पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा। अंतिम भुगतान रू. 100000/– बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर कक्षा 12 वी परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान किया जावेगा, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

12. **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना** –: अनुसूचित जाति की ऐसी कन्यायें जो कक्षा– 6, 9, एवं 11 में प्रवेश लेती है उनको प्रवेश लेने पर क्रमशः रूपये 500/–, 1000/–एवं

2000/– प्रतिवर्ष की दर से राशि दी जाती है। यह राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है। **उद्देश्यः** अनुसूचित जाति की कन्याओं को निरंतर शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक रूप से प्रोत्साहन करना। **पात्रताः** शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शासकीय सस्था में कक्षा 6, 9, एवं 11 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति की ऐसी छात्राएं जो नियमित रूप से अध्ययन करती है। कक्षा 9 में अध्ययनरत् ऐसी छात्रायें जिन्हें निशुल्क साइकिल प्रदाय का लाभ की पात्रता है उन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त नही होती है। **स्वीकृति की प्रकियाः** शाला में अध्ययन करने वाली छात्राओं को अपने आवेदन पत्र सस्था प्रमुख को देना होता है। आवेदन पत्र के साथ अंकसूची, टी.सी. एवं निर्धारित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। आयकरदाता अभिभावक की पुत्री को इस योजना की पात्रता नहीं है। **स्वीकृति के अधिकारः** संबंधित जिला संयोजक/सहायक आयुक्त को स्वीकृति के अधिकार प्राप्त हैं। **सम्पर्कः** सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, मण्डल संयोजक एवं संबंधित शाला के प्राचार्य/प्रधान पाठक।

13. **निःशुल्क गणवेश (अध्ययन सामग्री) प्रदाय योजना** –: मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रति वर्ष सर्वशिक्षा अभियान एन. पी.ईजी.ई.एल. योजना के अंतर्गत राजीव गांधी मिशन द्वारा गणवेश प्रदाय योजना में विकासखण्डों मे शासकीय शालाओं में दर्ज कक्षा 1 से 8 तक अध्यनरत् अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा की जाती है। **पात्रताः** सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत ए.पी.ई.जी.ई.एल. योजनान्तर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा गणवेश प्रदाय योजना से शेष रहे विकासखण्डों की अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश दी जाती है, जिसमें समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं शिक्षा गारंटी शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक दर्ज समस्त अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकायें सम्मिलित हैं। **गणवेश क्रय एवं वितरण के अधिकारः** पालक शिक्षक संघ को होगा। पालक शिक्षक संघ को इस हेतु दी जाने वाली राशि के उपयोग के संबंध में संबधित शाला के सचिव जिम्मेदार होंगे **सामग्री क्रय की प्रक्रिया** : पालक शिक्षक संघ 90 रूपये प्रति गणवेश के मान से प्रदाय की गई राशि में स्थानीय स्तर पर अपने संसाधनों से और अधिक राशि मिलाना चाहे तो 90 रूपये के अतिरिक्त राशि मिलाकर गणवेश क्रय कर सकेंगे। **संपर्क**– संस्था प्रमुख सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी/

14. **निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना** —: इस योजना में अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन के उद्देश्य से कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत् पात्र बालिकाओं की निःशुल्क सायकिल प्रदान की जाती है। **पात्रताः** कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण करने बाद कक्षा 9 वीं में प्रवेश करने वाली पात्र अनुसूचित जाति वर्ग की ऐसी बालिकाओं को, जो स्वयं के ग्राम में शासकीय शाला न होने की स्थिति में अन्य ग्राम की शासकीय शाला में प्रवेश लेंगी, निःशुल्क सायकिल प्राप्त की पात्र समझी जातीं हैं। एक बालिका को एक ही बार सायकिल की पात्रता होगीं। **योजना का क्रियान्वयनः** पात्र अनुसूचित जाति बालिकाओं के लिये जाति प्रमाण पत्र आधार माना जायेगा, संबधित शाला के प्राचार्यो द्वारा प्रवेश लेने वाले समस्त अनुसूचित जाति बालिकाओं के नाम एवं संख्या जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण/सहायक कल्याण/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को प्रेषित की जायेगी, सायकिल का क्रय जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। सायकिल का वितरण विकासखण्ड मुख्यालय पर पालक शिक्षक संघ के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा। सायकिल देने के बाद यदि कोई बालिका शाला बीच में छोड़ देती है तो प्रदाय की गई सायकिल वापस ले ली जायेगी। **संपर्क**— सहायक आयुक्त/जिला संयोजक , आदिम जाति कल्याण संबंधित शाला के प्राचार्य।

15. **गांव की बेटी योजना** —: इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना में छात्रा को प्रतिमाह 500 रू.की दर से शैक्षणिक सत्र के लिये 5000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। **पात्रता**— मध्यप्रदेश के प्रत्येक गाँव से प्रतिवर्ष 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जायेगा। चयनित बालिकाओं में से जिसने उच्च शिक्षाग्रहण करने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षाया चिकित्सा शिक्षाविभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो। यह योजना समस्त शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के लिये लागू होगी। नवोदय विद्याालय से 12 वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। **संपर्क**— संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।

16. **प्रतिभा किरण योजना** —: इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को शिक्षाका स्तर बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। **योजना का स्वरूप**— इस योजना में चयनित छात्रा को परम्परगत उपाधि पाठ्यक्रम हेतु 500 रू प्रतिमाह (10 माह तक) तथा तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा

पाठ्यक्रम हेतु 750 रू प्रतिमाह (10 माह तक) दिये जाते हैं। **पात्रता**– गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने शहर की पाठषाला से 12 वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो। छात्रा ने जिस सत्र में कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसी सत्र में उच्च शिक्षाके लिए प्रवेश लेना जरूरी है। **संपर्क**– संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।

17. **सबला योजना** –: किशोरी बालिकाओं को स्वस्थ एवं स्वावलंबी बनाना। **योजना का स्वरूप**: समस्त 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार का वितरण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा स्वावलंबी बनााने हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाता है। **पात्रता**– 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं। **संपर्क**: एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता /पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी।

18. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना** –: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2022 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बेटी के विवाह के समय माता पिता को 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का लाभ गरीबी रेखा से संबंध रखने वाली परिवार की बेटियों को ही लाभ प्रदान कराया जाएगा। Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana 2022 का लाभ राज्य की विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं की बेटियों को भी शादी के लिए राज्य सरकार 51 हजार रूपये देगी। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि आवेदिका के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। MP Kanya Vivah Scheme के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। नवदंपति के खुशहाल जीवन तथा गृहस्थी की स्थापना करने के लिए सरकार की तरफ से 43000 रुपया दिए जायेंगे। बेटी के विवाह सामग्री की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा 5000 रुपए दिए जाते है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होता है तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए कन्या को 3000 का खर्च राज्य सरकार की और से दिया जाता है इस प्रकार कन्या विवाह योजना के तहत कन्या के विवाह पर 51000 हजार रुपए दिए जाते है। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश राज्य स्थायी निवासी ही ले सकते है। योजना के अंतर्गत विवाह के समय लड़की की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य में जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे माता पिता भी अपनी बेटियों के लिए

योजना का लाभ ले सकते है। MP Kanya Vivah Yojana के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अभिभावक योजना के लिए पात्र होंगे। अगर आप MP Kanya Vivah yojana 2022 में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो, तो ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर application form को download कर सकते है। इस योजना में लाभ लेने के लिये आधार कार्ड नंबर, आय प्रमाण पत्र की कॉपी, बेटी का आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, परिवारों बीपीएल कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, वर वधु की फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज होना अनिवार्य हैं। उक्त जानकारी फार्म में भरकर तथा दस्तावेज संलग्न करके ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करवाने होंगे। **सम्पर्कः** विस्तृत जानकारी हेतु जिले के संयुक्त संचालक/उपसंचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय म.प्र. से सम्पर्क किया जा सकता है।

19. **सौभाग्यवती योजना** —: अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन—यापन करने वाले परिवार की कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। **योजना का स्वरूप**— इस योजना में अनुसूचित जाति के ऐसे माता—पिता/अभिभावकों की विवाहयोग्य कन्या की शादी हेतु रूपये 5000/—की राषि उपलब्ध कराई जाती है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है। **पात्रता**—कन्या के माता—पिता को मध्यप्रदेष का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति का होना आवष्यक है। कन्या की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये। एक ही परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं के विवाह हेतु राषि स्वीकृत करने का प्रावधान होगा। अनुसूचित जाति की परित्यक्ता एवं विधवा महिला भी योजना का लाभ ले सकती हैं। **आवेदन की प्रक्रिया**— पात्र कन्या के विवाह हेतु इच्छुक माता—पिता/अभिभावक को लिखित आवेदन पत्र कलेक्टर अथवा विभाग के जिला संयोजक/सहायक आयुक्त/मंडल संयोजक को प्रस्तुत करना होगा, साथ ही जाति प्रमाण —पत्र, गरीबी रेखा के नीचे सूची में सरपंच द्वारा दिया गया प्रमाण—पत्र, आवेदन पत्र मे कन्या विवाह की निष्चित तिथि, वर का नाम, पूर्ण पता एवं व्यवसाय का उल्लेख करना आवष्यक है। कन्या विवाह के लिये स्वीकृत राशि कन्या की शादी की तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कन्या के अभिभावकों को बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी। राषि के **सदुपयोग का दायित्व**— शासन की ओर से इस स्वीकृत राषि के पूर्ण सदुपयोग का दायित्व हितग्राही पर रहेगा। उससे शासन की अपेक्षा है कि स्वीकृत राषि का उपयोग

कन्या विवाह के लिये ही होगा। स्वीकृत राषि का उपयोग अन्य उद्देश्यों में करने पर पूर्ण राषि की वसूली की जावेगी । **संपर्क**– जिला कलेक्टर, जिला संयोजक, सहायक आयुक्त, मंडल संयोजक।

20. **विवाह सहायता योजना** –: योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों तक अथवा स्वयं महिला पंजीकृत श्रमिक के विवाह हेतु सहायता प्रदान करना। **योजना का स्वरूप**–योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों तक अथवा स्वयं महिला पंजीकृत श्रमिक के विवाह हेतु 10,000 रू प्रति विवाह सहायता एवं सामुहिक विवाह के आयोजन की दषा में हितग्राही को 9,000 रू तथा सामुहिक विवाह के आयोजक को 1,000 रू प्रति विवाह राशि दी जाती है। **पात्रता**–पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों तक अथवा स्वयं महिला पंजीकृत श्रमिक होना। **आवेदन की प्रक्रिया**: आवेदक विवाह की प्रस्तावित तिथि से एक दिन पूर्व तक आवेदन कर सकता है। आवदेन–पत्र में हस्ताक्षर एवं फोटो आवेदिका महिला श्रमिक के स्वयं अथवा निर्माण श्रमिक की पुत्री का भी होना चाहिए। निर्माण श्रमिक (पिता/माता) के मात्र हस्ताक्षर/अंगूठा निषानी होंगे । ग्रामीण क्षेत्रों अंतर्गत, जनपद पंचायत को तथा षहरी क्षेत्र में श्रम कार्यालय/नगर पालिका नगर निगम कार्यालय में समयावधि के अंदर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। **संपर्क**: पात्रता की जाँच उपरांत, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रकरण को स्वीकृत कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों के लिये स्वीकृति के अधिकार सहायक श्रमायुक्त तथा श्रम पदाधिकारी को है। अन्य नगरीय क्षेत्रों में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त,नगर निगम स्वीकृति हेतु सक्षम होंगे।

21. **विधवा सहायता योजन** –: इस योजना मं पुरूष श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। **पात्रता**: इस योजना के अंतर्गत लाभ हेतु आवश्यक है कि मृत्यु से पूर्व श्रमिक का एक वर्ष से निरन्तर सस्ंथान/स्थापना में कार्यरत् रहा होना चाहिए तथा उसकी विधवा को अन्य कहीं से पेंषन प्राप्त नहीं हो तथा विधवा ने पुनः विवाह न किया हो। आवेदिका को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवित होने का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। **आवेदन**: आवेदन मृत्यु दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य होगा।

22. **बिटिया शिक्षा प्रोत्साहन योजना** –: इस योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों की कक्षा 1 से 8 तक शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को स्वेटर प्रदान किये जाते है।

23. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** —: इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका का मध्य प्रदेश की मूल निवासी, आयु 40—49 वर्ष होने के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिये। इस योजना में 200 रूपये की पेंशन राषि प्रतिमाह दी जाती है। राशि का भुगतान हितग्राहियों द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस में खोले गये खातों के माध्यम से किया जाता है। **संपर्क**— ग्राम पचांयत, जनपद पंचायत, स्थानीय नगरीय निकाय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिले के संयुक्त संचालक/उपसचांलक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय म.प्र. से संपर्क किया जा सकता है।

24. **शहरी महिला स्व—सहायता कार्यक्रम योजना (यूडब्ल्यूएसपी) (ऋण व अनुदान)** —: इस कार्यक्रम में प्रत्येक समूह में कम से कम पांच महिलाओं के एक समूह को अधिकतम 3 लाख रूपये का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। परियोजना लागत का 35 प्रतिषत अनुदान और 60 प्रतिषत ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है तथा 5 प्रतिषत सीमान्त राषि (मार्जिन मनी) हितग्राही द्वारा स्वयं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

25. **शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम योजना (यूडब्ल्यूएसपी) (आवर्ती निधि)** —: इस कार्यक्रम में छोटी—छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने और षहरी गरीब महिलाओं में बचत की आदत डालने के लिये बचत एवं साख समूहों का गठन करने का प्रावधान है। समूह द्वारा एक वर्ष तक नियमित बचत करने पर उन्हें सरकार की ओर से उस समूह को 2000 रूपये प्रति सदस्य के मान से अधिकतम 25000 रू. आवर्ती निधि उपलब्ध कराई जाती है।

26. **शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना** —: इस योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध कामकाजी महिलाओं को कौशल उन्नयन हेतु स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत प्रषिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। **योजना का स्वरूप**— इस योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं को प्रदेष में आई.टीआई. के माध्यम से प्रषिक्षण के दौरान 2000 रुपये एकमुष्त राषि प्रदान की जाती हैं इसके अतिरिक्त पंजीबद्ध साईकिल रिक्षा/हाथ ठेला चालक के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर 2000 रूपये अंतिम संस्कार हेतु तथा प्रसूती सहायता के अन्तर्गत निर्धारित कलेक्टर दर पर 6 सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राषि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। **पात्रता**: शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन—यापन करने वाले परिवार जिनके नाम शहरी गरीबी की सर्वे सूची में शामिल किये

गये है। **सम्पर्क**– जिला शहरी विकास अभिकरण अथवा जिले की नगर निगम/नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत।

27. **उषा किरण योजना** –: यह योजना घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं जिसमें शारीरिक, मानसिक, लैंगिक आर्थिक, मौखिक और भावनात्मक आदि प्रकार की हिंसा शामिल है को संरक्षण एवं सहायता का अधिकार उपलब्ध कराती है। इस अधिनियम एवं नियम में किये गये प्रावधानों के अंतर्गत पीड़िता को सेवायें उपलब्ध कराने के लिये विभाग द्वारा उषा किरण योजना संचालित है। **योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली सहायताएं**– योजना अंतर्गत पीड़ित को निम्नलिखित सहायता प्राप्त होगी– (1) अस्थयी आश्रय, (2) कानूनी सहायता, (3) चिकित्सा सुविधा, (4) पुलिस सहायता, (5) 24 घंटे हेल्प लाइन, (6) आर्थिक सहायता, विपणन व्यवस्था, अर्थिक समृद्धि, पुनर्वास, (7) आवष्यक प्रषिक्षण, (8) सूचना बैंक। **सरंक्षण अधिकारियों की नियुक्ति**– किसी महिला के उसके परिवार में घरेलू हिंसा से पीड़ित होने पर उसे इस कानून के तहत सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तथा पीड़ित को संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उसके क्षेत्र के लिए संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिन क्षेत्रों में बाल विकास परियोजना स्वीकृत नहीं है उन क्षेत्रों में जिला कार्यक्रम अधिकारी संरक्षण अधिकारी होंगे। **महिला हेल्प लाइन**– महिला हेल्प लाइन अंतर्गत टोल फ्री नम्बर **1090** समस्त जिलास्तरीय (पुलिस) परिवार परामर्ष केन्द्रों में स्थापित की गई है।

28. **महिला वसति गृह योजना** –: कामकाजी महिलाओं के लिए महिला वसति गृह अपने घरों से दूर रहने वाली, कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्यसे केन्द्र शासन द्वारा संचालित है, जिसके निर्माण के लिये कुल लागत का 75 प्रतिषत के मान से सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

29. **अल्पकालीन आवास गृह संचालन की योजना** –: अल्पकालीन आवास गृह योजना में मूलतः अनैतिक सम्बन्धों से उत्पन्न तनावों अथवा भावनात्मक अषांति से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण तथा पुनर्वास के साथ–साथ प्रषिक्षण की व्यवस्था की जाती है। केन्द्र शासन की इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत आर्थिक रूप से सक्षम, साधन संपन्न तथा अनुभवी संस्थाओं को आवर्ती एवं अनावर्ती मद में सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

30. **स्वाधार योजना** –: इसके तहत कठिन परिस्थितियों में जीवन–यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, कपड़े और अन्य आवष्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए

उनके पुनर्वास का प्रयत्न किया जाता है। इस योजना में निराश्रित विधवाये, जेल से छूटी हुई महिला कैदी, प्राकृतिक विपदाओं से निराश्रित हुई महिलाएं, हिंसा से पीड़ित महिलाएं तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त आदि कठिन परिस्थितियों में जीवन–यापन करने वाली महिलाएं आश्रय पाती है। इस योजना में जमीन के लिए, भवन निर्माण के लिए, केन्द्र की व्यवस्था के लिए, परामर्ष सेवाओं के लिए पुनर्वास हेतु आर्थिक गतिविधियों के प्रषिक्षण के लिए और हेल्पलाइन सुविधा के लिए राषि दिये जाने का प्रावधान है।

31. **मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरणयोजना** –: इस योजना के तहत विपत्तिग्रस्त, पीड़ित, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक उन्ययन हेतु स्थाई प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि रोजगार प्राप्त किया जा सके। इस योजना से निम्नलिखित महिलाएं लाभान्वित हो सकतीं हैं– बलात्कार से पीड़ित महिला बालिका। दुर्रव्यापार से बचाई गई महिलाऐं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो। ऐसिड हमले की पीड़िता। जेल से रिहा महिलाएं। दहेज प्रताड़ित अग्नि पीड़ित महिलाऐ। **पात्रता**– आवेदिका व उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त न हों। सामान्य महिला की उम्र 45 वर्ष से कम हो। विधवा, परित्यक्यता, तलाकशुदा, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष प्रशिक्षण के **विषय**– **1.**फार्मेसी, 2.नर्सिंग, 3.ब्यूटीशियन, 4.आई.टी.आई. पॉलीटेक्निक पाठयक्रम, 5. प्रयोगशाला सहायक आदि चयन प्रक्रिया –महिला द्वारा आवेदन जिला महिला सशक्तिरण अधिकारी के कार्यालय में डाक या स्वय ं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार गठित चयन समिति 15 दिवस के अंदर चयन की कार्यवाही करेगी–कलेक्टर या नामित अधिकारी अध्यक्ष पलिस अधीक्षक सदस्य, प्राचार्य, पॉलीटेक्निक आई.टी.आई.– सदस्य, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार –सदस्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन –सदस्य जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी –सचिव सदस्य।

32. **शौर्या दल** –: शौर्या दल का गठन प्रत्येक ग्राम/वार्ड में किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दल में 10 सदस्य होंगे। जिसमें महिला समूहों से पांच जागरूक महिलाएं होगी। ग्राम के ही पांच जागरूक, संवेदनशील तथा जनसमुदाय में स्वीकार्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे। शौर्या दल का गठन किसी अधिनियम अंतर्गत न होने के कारण इसकी भूमिका विभाग के लिए अनुशंसात्मक तथा स्थानीय समाज के लिए प्रेरक के रूप में होती है।**उद्देश्यः** महिला/बालिका संबंधी मुद्दों को परिभाषित कर जनसामान्य को जनजागरूक

बनाने के तरीकों को बताना। महिला/बालिका हिंसा संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता से जनसमुदायिक सहभागिता से निराकृत करना। जन–सामान्य को महिलाओ/बालिकाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी देना एवं पात्रता अनुसार लाभ दिलाना। महिलाओ/बालिकाओं से संबंधित अधिकारों को चिन्हांकित करना। शिशु लिंगानुपात के अंतर को कम करना। महिलाओ/बालिकाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा को पहचनना व गांव को हिंसामुक्त बनाना। महिलाओ/बालिकाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण करना। महिला हिंसा मुक्त ग्राम बनाना। विभिन्न कानूनों, महिला अधिकारों, शासकीय योजनाओं को ग्रामीणों के विकास में उपयोग करना। ग्रामवासियो ंमे ंविश्वास स्थापित करना। शौर्या दल सरलता व सहानुभुति से समस्या सुनेगा व निर्णय लेगा। विभिन्न लोगों से पारस्परिक संबंध स्थापित कर प्रभावी वार्तालाप समस्या निराकरण करना। बाल विवाह, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, लड़के–लड़कियों में भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों से जन–सामान्य को जागरूक करना व रणनीति तैयार करना। स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता, आंगनवाडी केंद्रों पर पोषण आहार का वितरण, मिड–डे मील, लाड़ली लक्ष्मी योजना, शासकीय भवनों का निर्माण का अवलोकन, टीकाकरण आदि पर निगरानी करना। शासन के प्रभावी एवं सूचना प्रणाली तंत्र को विकसित करना।**महत्व** : सामुदायिक विकास के लिए स्वयंसेवा के भाव से इस दल का गठन किया गया है। आज की स्थिति में कई मुद्दे समुदाय द्वारा आपसी बातचीत व शौर्या दलों की समझाइश द्वारा सुलझाये जा रहे हैं। शौर्या दल क्षेत्र में शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। समुदाय के विकास व हिंसा मुक्त ग्राम के स्वप्न को पूरा करने के लिये शौर्या दल प्रशासन व समुदाय के मध्य मजबूत कड़ी है।

निष्कर्षत–: *विभिन्न अधिनियमों तथा सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओ के उत्थान के लिए अत्यधिक प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि कोई भी योजना अथवा कानून तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक समाज की प्रत्यक्ष भागीदारी न हो। इसके लिए सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर समाज के उन प्रबुद्ध सम्मानित तथा प्रभावशाली लोगों के साथ संवाद करना होगा जिनकी बात समाज में मानी जाती है। सरल भाषा में जिनका कहा टाला नहीं जाता। जिस मानसिकता का निर्माण कई सदी में हुआ हो उसे बदलने के लिए जादू की छड़ी नहीं बनायी जा सकती। परंतु यह भी सत्य है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में एक गीत के माध्यम से स्त्री की मनोदशा को समझने का प्रयास करेंगे।*

–गीत–

कितना औरत सहती है? फिर भी चुप क्यूं रहती है।

पांव में छाले उसके हैं, कुछ बचे निवाले उसके हैं।

है कोई अधिकार नहीं, पर काम से इनकार नहीं।

अपनी ही बगिया में वो कटे पेड़ सी रहती है।
कितना औरत सहती है.....

सबकी सुनती सबकी करती चेहरे पर मलाल नहीं।

भरी धूप हो या सर्द हवायें अपने तन का ख्याल नहीं।

सहती दुःख पहाड़ो सा तिनका–तिनका सुख लेती।

वो तो घर की रौनक होकर बेजान दीवारों सी ढहती है।
कितना औरत सहती है.....

कहीं ने जनम,मरण कहीं पे, जीवन कितना विषम रण है।

नयन भरे हों सदा से उसके लेकिन जीवन बना किरण है।

खुशी मिली तो सबको बांटी, गम को पीकर रह जाती है।

मानों पागल नदी हो कोई शिव बिन पनघट के बहती है।
कितना औरत सहती है.....

बस अब इतना यार करो, मत यूं अब अत्याचार करो।

जीवन जिससे मिलता हैं उसका न यूं संघार करो।

वो माता है निर्माता है हम सबकी भाग्य विधाता है।

याद रखो उस जननी में शिव नौ दुर्गा भी रहती है।

कितना और सहती है.....

■■■

परिशिष्ट–दो

स्वयंसिद्धा

इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक काल खण्ड में भारतीय नारियों ने अपने ज्ञान, विवेक, परिश्रम, और समर्पण से अपनी छाप छोड़ी है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो नारियों ने उस पर अपनी सफलता की मोहर लगायी है। इस विषेष परिषिष्ट में हम कुछ विषेष नारियों का परिचयात्मक आलेख दे रहे हैं। यह सूची अन्तिम नहीं है ऐसी अनेक विभूतियाँ है जिनके योगदान को भारत वर्ष भुला नहीं सकेगा किन्तु सीमाओं में सभी को स्थान देना और उनके योगदान के अनुरूप महत्व सम्भव नहीं है। विद्यार्थी से नारी गौरव की चयनित गाथाओं के रूप में लेंगे और अपने अध्ययन से इस जानकारी को और समृद्ध करेंगे ऐसा विष्वास है।

1. **मीरा बाई** –: पंद्रहवीं शताब्दी की यह महान संत कवियित्री मध्ययुगीन भारत के स्त्री प्रतिरोध की प्रतीक भी मानी जाती हैं। इनकी जन्म तिथि को लेकर मतैक्य नहीं है परंतु 15वीं शताब्दी पर सहमति अवश्य है। यह शास्त्र से लेकर शस्त्र तक सभी विद्याओं निपुण थीं। विवाहोपरांत कृष्ण प्रेम में पति गृह त्याग दिया। मुगलकालीन भारत की रूढ़ परम्पराओं के कारण उन पर कई अत्याचार किए गए। हत्या की चेष्टा की गई। परंतु वह अपने पथ से विचलित नहीं हुई। आगे चलकर उन्होंने संत रैदास को अपना गुरू बनाया। उनके जीवन की अनेक घटनाएं तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से क्रांतिकारी मानी जाती हैं। इनकी रचनाओं में स्त्री जीवन की पीड़ा तथा विद्रोह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।

2. **रानी दुर्गावती** –: (1524–1564) यह कालिंजर के राजा कीर्तिसिंह चंदेल की एक मात्र संतान थीं। वह संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह की पत्नी थीं। विवाह के सिफ चार वर्ष बाद दलपत शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र वीर नारायण सिंह को सिंहासन पर बैठाकर वह संरक्षक के रूप में शासन करने लगीं। उन्होंने अपने शासन काल में अनेक मंदिर, पाठशाला , धर्मशाला आदि का निर्माण करवाया। उनके राज्य पर मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया तथा हर बार वह पराजित हुआ। 1564 में इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान के साथ युद्ध के दौरान वह चारो तरफ से दुश्मनों से घिर गईं। उन्होंने अपने वजीर आधार सिंह से कहा कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दे। परंतु आधारसिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सीने में स्वयं कटार भोंक ली। जीते जी दुश्मन उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंच सका।

3. **महारानी अहिल्या बाई होलकर** –: (**1725–1795**) यह प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थीं। इनका कार्यक्षेत्र सीमित था। इन्हें अपने जीवन में सामान्य स्त्री की भांति उन सभी दुखों का सामना करना पड़ा जो तात्कालीन समाज में आम बात समझी जाती थी। धर्म अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत–भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर, घाट, कुआं, बावड़ी आदि का निर्माण करवाया। अनेक मार्गों पर सुधार कार्य के साथ–साथ नए मार्ग बनवाए गए। गरीबों के लिए अन्नसत्र (अन्यक्षेत्र) तथा प्याऊ खोले गए। वह जीवनपर्यंत जनता के अत्यंत लोकप्रिय एवं स्नेह की पात्र बनीं रहीं।

4. **रानी चेनम्मा** –: **(1778–1829)**: यह कर्नाटक में स्थित कित्तूर की रानी थीं। अपनी साहस और वीरता के कारण यह प्रसिद्ध हुईं। इन्होंने 1824 में अंग्रेजों की हड़प नीति **ड्राक्ट्रिन आफ लैप्स** के विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष किया तथा वीरगति को प्राप्त हुईं।

5. **उदा देवी पासी** –: इनके जन्म तिथि का विवरण उपलब्ध नहीं है। यह दलित पासी समुदाय से सम्बंधित महिला नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्या थीं। 1867 के विद्रोह के समय 200 सैनिकों अंग्रेजों द्वार सिकंदर बाग में घेरकर संहार कर दिया गया। इस लड़ाई में उदा देवी पेड़ पर चढ़ कर दुश्मन के हमले का जवाब देने लगी तथा तब तक अंग्रेजों को सिकंदर बाग में प्रवेश नहीं करने दिया जब तक उनका गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया।

6. **लक्ष्मीबाई** –: (1835–1858) मराठा शासित झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई ने मात्र 23 वर्ष की आयु में अंग्रजों की सेना से युद्ध किया तथा रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुईं तथा अपने जीते–जी झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने दिया। इनके दल में अनेक प्रक्षिक्षित स्त्री योद्धा थीं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिये। आज उप्र झांसी का रेलवे स्टेशन इस वीरांगना के नाम से जाना जाता है।

7. **झलकारी बाई** –: **(1830–1857)** यह लक्ष्मी बाई की नियमित सेना महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल मानी जाती थीं। इसलिए शत्रुओं को धोखा देने के लिए लक्ष्मीबाई के वेष में युद्ध करतीं थीं। अंतिम समय में अंग्रेजों ने उन्हें रानी समझकर पकड़ लिया गया जबकि महारानी लक्ष्मी बाई को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया।

8. **अवंतीबाई** –: (1831–1858) अवन्तिबाई का विवाह रामगढ़ रियासत के राजकुमार विक्रम जीत सिंह के साथ हुआ। सन् 1850 में राजकुमार विक्रमजीत सिंह गद्दी पर बैठे। परंतु

कुछ समय बाद ही वे अर्धविक्षिप्त हो गए, उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी छोटे थे, अतः राज्य का सारा भार रानी अवन्तिबाई के कन्धों पर आ गया। परंतु अंग्रेजों ने 13 सितम्बर 1851 ई० में 'कोर्ट ऑफ वार्डस' के तहत उनकी रियासत पर कब्जा कर लिया। सन 57 के विद्रोह में अवन्ती बाई ने ना केवल विद्रोहियों का साथ दिया बल्कि अपने क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व भी किया। अपनी रियासत रामगढ़ को अंग्रेजों से मुक्त करने के पश्चात उन्होने मंडला पर भी विजय हासिल किया। रानी अवन्तिबाई ने दिसम्बर 1857 से फरवरी 1858 तक गढ़ मण्डला पर शासन किया। बौखलाए अंग्रेजों ने मौका पाते ही 1858 के अन्त में रामगढ़ पर दुबारा हमला कर दिया। रानी किला छोड़ देवगढ़ के जंगल में जा छुपी और अपने साथियों के सहयोग से छापामार युद्ध का संचालन करने लगी। अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई। उन्होने भारी संख्या में जंगल को घेर लिया। शत्रुओं से घिर जाने के बाद उन्होने अपनी पूर्वजा रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने से श्रेयष्कर अपना आत्म बलिदान समझा और स्वयं अपनी तलवार अपने पेट में घोप कर शहीद हो गई।

9. **अजीजन बाई** —: यह एक तवायफ थीं जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ गुप्तचरी का काम करती थीं। उन्होंने 400 महिलाओं की एक टोली बनायी जो मर्दाना वेष में रहती थीं तथा अंग्रेजो विरूद्ध कार्य करतीं थीं। ऐतिहासिक विवरणों से ज्ञात होता है कि कानपुर में नाना साहब, अजुमुल्ला खां, बाला साहब, सूबेदार टीका सिंह आदि के साथ अजीजन बाई भी बैठक भी शामिल थीं। बैठूर पराजय के बाद नाना साहब तथा तात्या टोपे पलायन कर गए परंतु अजीजन पकड़ी गईं और उन्हें गोली से उड़ा दिया गया।

10. **सावित्री बाई फूले** —: (1831—1897) यह भारत की महान समाज सुधारिका तथा मराठी कवियित्री थीं। यह देश के प्रथम कन्या विद्यालय तथा किसान विद्यालय की प्रधानाध्यापिका थीं। वह जीवनपर्यंत सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध लड़तीं रहीं। वह स्कूल जाती थीं तो लोग उन पर पत्थर, कूड़ा तथा गंदगी फेंकते थे। वह अपने झोले में साड़ी लेकर चलती थीं तथा विद्यालय पहुंचकर वस्त्र बदल लेतीं थीं।

11. **रानी कमलापति** —: भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भोपाल से 55 किलोमीटर दूर चकला गिन्नौर में 750 ग्राम सम्मिलित थे। उस समय यहां गोंड़ राजा निजाम शाह का राज्य था, जिनकी सात रानियां थीं, जिनमें कृपाराम गौड़ की पुत्री कमलापति भी थी, जो अति सुन्दर थीं, रानी जितनी सुन्दर थी उतनी ही वीर और बुध्दिमान भी। निजाम

शाह के परिवार का भतीजा चौनशाह का बाड़ी पर राज्य था, उसे अपने चाचा से ईष्या थी। उसने अपने चाचा की हत्या करने के लिए कई प्रयास किये थे। चौनशाह ने धोखे से निजाम शाह को विष दे दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चौनशाह के षड़यंत्रों से बचने के लिये विधवा कमलापति और उसका एकमात्र पुत्र नवलशाह गिन्नौरगढ़ के किले में छुपे हुए थे, यह किला गौड़ राजाओं के समय में ही बना था जो चारों ओर से घने वनों से ढंका हुआ था। पति की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने दोस्त मुहम्मदखान को राखी भेजकर भाई बनाया तथा उसके सहयोग से अपने पति की हत्या का बदला चौनाशाह से लिया। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं रानी कमलापति के नाम से किया गया है।

12. **सरोजनी नायडू** –: **(1879–1849)** इनका जन्म हैदराबाद में हुआ। सरोजनी नायडू बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थीं। वह 12 वर्ष की अल्पायु में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गयीं। यह कवियित्री भी थीं। तीन पुस्तकों के प्रकाशन के उपरांत सुप्रसिद्ध कवियित्री बन गईं। गांधीजी के विचारों से प्रभावित सरोजनी नायडू गांव–गांव घूमकर देश प्रेम का अलख जगाती थीं। 1964 में उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया।

13. **दुर्गा भाभी** –: **(1902–1999)** क्रांतिकारियों को समय–समय पर सहयोग उपलब्ध करवाने वाली दुर्गा भाभी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी थीं। 1930 में पति के शहीद होने के उपरांत भी दुर्गा भाभी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहीं। 1930 में इन्होंने गवर्नर हैली पर गोली चला दी जिसमें गवर्नर बच गया और उसका सहयोगी घायल हो गया। इस घटना के बाद वह प्रमुख क्रांतिकारियों की जमात में षामिल हो गयीं। दिसम्बर 1928 में भगत सिंह ने दुर्गा भाभी के साथ ही वेष बदलकर यात्रा किया। चंद्रषेखर आजाद ने जिस पिस्तौल से गोली मारी थी वह पिस्तौल दुर्गा भाभी द्वारा ही उपलब्ध करवायी गई थी।

14. **किरण मजूमदार शॉ** –: किरण मजूमदार–शॉ भारतीय महिला व्यवसायी, टेक्नोक्रेट, अन्वेषक और बायोकॉन की संस्थापक है, जो भारत के बंगलौर में एक अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है। वे बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा सिनजीन इंटरनेशनल लिमिटेड और क्लिनिजीन इंटरनेशनल लिमिटेड की अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1978 में बायोकॉन को शुरू कर किया और उत्पादों के अच्छी तरह से संतुलित व्यापार पोर्टफोलियो तथा मधुमेह, कैंसर–विज्ञान और आत्म–प्रतिरोध बीमारियों पर केंद्रित

शोध के साथ इसे एक औद्योगिक एंजाइमों की निर्माण कंपनी से विकासित कर पूरी तरह से एकीकृत जैविक दवा कंपनी बनाया।

15. **कर्णम मल्लेश्वरी** –: कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून,1975 को श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होने अपने करियर की शुरुआत जूनियर वेटलिफ्टिंग चौंपियनशिप से की, जहां उन्होंने नंबर एक पायदान पर कब्जा किया। 1992 के एशियन चौंपियनशिप में मल्लेश्वरी ने 3 रजत पदक जीते। वैसे तो उन्होंने विश्व चैंम्पियनशिप में 3 कांस्य पदक पर कब्जा किया है, किन्तु उनकी को सबसे बड़ी कामयाबी 2000 के सिडनी ओलंपिक में मिली, जहां उन्होने कांस्य पर कब्जा किया और इसी पदक के साथ वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी।

16. **सुनीता नारायण** –: पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता सुनीता नारायण समाज की हरित विकास की समर्थक हैं। दशकों से वे पर्यावरण और समाज की मूलभूत समस्याओं के लिये जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। वर्ष 2001 में उन्हें इसी संस्थान का निदेशन बना दिया गया था। उन्होंने समाज के उत्थान के लिये पानी से जुडी समस्याओं, प्रकृति और वातावरण से जुड़े मुद्दों आदि पर काम किया है।

17. **गुलाबो सपेरा** –: कालबेलिया नृत्य राजस्थान के आदिवासी समाज कालबेलिया का पारंपरिक नृत्य है। जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालबेलिया नर्तकी गुलाबो सपेरा ने पहचान दिलाई है। कम लोगों को पता होगा कि इस कलाकार को पैदा होते ही समाज की महिलाओं ने जमीन में गाड़ दिया था। अपनी मौसी की बदौलत उन्हें नया जीवन मिला। जिस समाज की रीति–रिवाजों के कारण उन्हें पैदा होने के एक घंटे बाद जमीन में गाड़ दिया गया था उसी समाज को उन्होंने दुनिया में पहचान दिलाई है।

18. **शिवालिका** –: भारत में पुरुषों की तरह अब महिलाओं में भी बॉडी बिल्डिंग का क्रेज बढ़ रहा है। कई लड़कियां अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम में घंटों एक्सरसाइज करने लगी हैं। ऐसी ही एक बॉडी बिल्डर कोलकाता की रहने वाली सिबालिका साहा हैं, जिन्हें भारत की पहली महिला बॉडी बिल्डर कहा जाता है। 35 साल की सिबालिका ने वर्ल्ड चौम्पियनशिप–2012 में हिस्सा लिया था जिसमें वह पांचवे स्थान पर रहीं। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली वुमन बॉडी बिल्डर हैं। उन्हें इंडियन सुपरवुमन भी कहा जाताहै।

19. **टेसी थामस** –: वैज्ञानिक टेसी थॉमस को 1988 से अग्नि प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम से जुड़ने के बाद से ही अग्निपुत्री टेसी थॉमस के नाम से भी जाना जाता है। उनकी अनेक

उपलब्धियों में अग्नि–2, अग्नि–3 और अग्नि–4 प्रक्षेपास्त्र की मुख्य टीम का हिस्सा बनना और सफल प्रशीक्षण है।

20. **भूरी बाई** –: आज से कई साल पहले जब अपने पति के साथ मजदूरी की तलाश में भील आदिवासी महिला भूरी बाई भोपाल पहुंची उस वक्त शायद वह भी नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में वह पिथोड़ चित्रकला के लिए दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगी। आज पिरोरा चित्रकला के लिए दुनिया भर में इनके नाम की धूम है। झाबुआ जिले के गांव पिटोल मोरी बावड़ी में जन्मी भूरी बाई ने अपनी कला के जरिए विशिष्ट पहचान बनाते हुए यह साबित कर दिखाया है कि कुछ कर दिखाने की तमन्ना हो, तो असंभव कुछ भी नहीं है। कड़ी मेहनत और लगन तथा धैर्य से सब कुछ पाया जा सकता है।

इस सूची में कुछ विशिष्ट नाम उल्लेखनीय है –: जैसे, **पीटी उषा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, कमला भसीन, मीरा शिवा, वंदना शिवा आदि। इन विश्वप्रसिद्ध हस्तियों के संबंध में हम सभी जानते हैं। इस कड़ी में और भी नाम जुड़ने का सिलसिला जारी है। भारतीय स्त्रियां कल्पना चावला, सुनीता विलियम विपरीत परिस्थिति में अपनी अस्मिता स्वयं सिद्ध करने वाली स्वय ंसिद्धाएं हैं।**

- भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिलाः श्रीमती इंदिरा गांधी
- प्रथम महिला राष्ट्रपतिः प्रतिभा पाटील
- प्रथम महिला प्रधान मंत्रीः इंदिरा गांधी
- प्रथम महिला राज्यपालः सरोजनी नायडू
- प्रथम महिला मुख्यमंत्रीः श्रीमती सुचेता कृपलानी
- प्रथम महिला केंद्रीय मंत्रीः श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षः श्रीमती ऐनी बेसेंट
- प्रथम महिला चुनाव आयुक्तः श्रीमती रमा देवी
- उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम मुख्य न्यायाधीश : न्यायधीश लीला सेठ
- सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली प्रथम महिलाः न्यायाधीश एम फातिमा बीबी
- प्रथम महिला लोक सभा अध्यक्षः श्रीमती मीरा कुमार

- संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्षः श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित
- भारत की पहली महिला सांसदः राधाबाई सुबरायण
- भारत की सबसे पहली पहिला चिकित्सक–पुणे की आनंदी बाई जोषी
- इंग्लिष चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिलाः आरती साहा
- ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिलाः कर्णम मल्लेष्वरी
- एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिलाः बैछेंद्री पाल
- भारतीय सेना में शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिलाः मेजर मिताली मधुमिता
- मिस युनीवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिलाः सुष्मिता सेन
- विस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम महिलाः ऐष्वर्या राय
- भारत की प्रथम बुकर प्राइज विजेताः अरूंधती राय।
- प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त महिलाः आषापूर्णा देवी
- उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिलाः प्रीती सेनगुप्ता
- प्रथम महिला आई.ए.एस अधिकारीः अन्ना जार्ज
- प्रथम महिला आई.पी.एस अधिकारीः किरण बेदी
- नोबल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिलाः मदर टेरेसा

■■■

परिशिष्ट–तीन

तकदीर है इनकी मुट्ठी में

बी एस डब्ल्यू ने दिखाई जीवन की राह : नेहा मालवीय

सीहोर। सीहोर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर और राजधानी से 90 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक विकासखंड आता है नसरूल्लागंज। सामान्य से दिखने वाले इसी विकासखंड में निवास करती हैं नेहा मालवीय। अपने दादा गोकुल प्रसाद और दादी शांता बाई की प्रिय नातिन में शुमार नेहा मालवीय का जीवन अन्य हम उम्र की बेटियों के लिये प्रेरणास्त्रोत है। इस समाज में जहां बेटियों को शिक्षा देने में कई परिवार आगे नहीं आते वहीं नेहा के परिवार ने बेटे के साथ–साथ दोनों बेटियों को भी बराबर शिक्षित किया। स्कूल के समय से ही नेहा के मन में समाजसेवा करने की ललक थी। जिसके चलते वे अपने स्कूल में कभी जागरूकता रैली, कभी स्वच्छता कार्यक्रम बढ़ चढ़ भाग लेती थीं। पिता जी की बैल्डिंग की दुकान थी जिसे चाचा जी के सहयोग से संचालित करते थे। लेकिन दोनो ने कभी बच्चों की पढ़ाई के साथ समझौते नहीं किया। इसी कारण नेहा ने जब पीजी की डिग्री ली तो रोजगार की चिंता सर चढ़ बोलने लगी।

वर्ष 2016 की बात है, इसी दौरान उनके साथ पढ़ने वाली सहेली प्रियंका ने कहा कि जन अभियान परिषद के माध्यम से बीएसडब्ल्यू की डिग्री कराई जा रही है। उस डिग्री को करने के बाद समाजसेवा के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा, और नेहा तुम्हारी रूचि का विषय भी है। नेहा के मन में यह बात बैठ गई और वे अगले ही दिन जन अभियान परिषद के तत्कालीन विकासखंड समन्वयक श्री राममोहन रघुवंशी के पास बीएसडब्ल्यू में एडमीशन लेने के लिये मिलने गईं। चूंकि उस समय तक एडमीशन की प्रक्रिया हो चुकी थी, इसलिये उन्होंने कहा कि बीएसडब्ल्यू तो नहीं हो सकता। लेकिन नेहा की योग्यता को देखते हुये उन्होंने मेंटर बनने का सुझाव दिया, पूरी प्रक्रिया समझ लेने के बाद नेहा ने दस्तावेजी प्रक्रिया को पूर्ण करने में देरी नहीं की।बकौल नेहा यह उनके जीवन का टर्निंग पांइट साबित हुआ। बीएसडब्ल्यू की कक्षाओं का अध्ययन कराते हुये समाजेवा की पूरी अवधारणा समझ में आ गई इतना ही नहीं जीवन को एक लक्ष्य मिल गया हो ऐसा प्रतीत हुआ। मैने गांव की समस्याओं को करीब से समझा। मुझे लगा कि गरीबी, बेरोजगारी की एक वजह शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव भी है। इस दौरान मैंने प्रशिक्षण के दौरान जिला

समन्वयक शिवप्रताप सिंह भदौरिया का नंबर ले लिया था, मैने जब इस विषय को उनके साथ साझा किया तो उन्होंने मुझे जन अभियान परिषद और बीएसडब्ल्यू कोर्स का उद्देश्य समझाते हुये समाज में रहते हुये समाज का बेहतर करने की प्रेरणा दी। मुझे बीएसडब्ल्यू की टीम और जन अभियान का साथ मिल चुका था। बस उन ग्रामों में जा जाकर लोगों को यथा संभव जागरूक करना था यह कार्य भी किया। अपने मौहल्ले से कपड़े ले जाती और वितरित करती। देखते ही देखते इस कार्य को अभियान बना लिया। एक हजार से अधिक जोड़ी कपडों का वितरण किया। दीवाली पर गोबर से बने दीपक, गणेश की मूर्ति का वितरण किया। इस सारी प्रेरणा के पीछे जन अभियान परिषद ही है। मेरे पिता प्रेमनारायण मालवीय और माता सुरेखा मालवीय गौरव के साथ कहते हैं कि मेरी बेटियां आज बोझ नहीं हैं। मैंने अपनी दूसरी बहन को भी समाजकार्य में साथ कर लिया, अब हम दो बहने ग्राम की कई बेटियों को बुलाकर उनको ज्वैलरी आदि का प्रशिक्षण देतीं और समाज में महिला सशक्तिकरण के लिये प्रेरित करती। अभी सबसे बड़ा कार्य जो कि जन अभियान परिषद के सहयोग से ही मिला वह है डिजीटल साक्षरता। एकता फांउडेशन ने टाटा और गूगल के साझा सहयोग से इंटरनेट साथी नाम का प्रोजेक्ट चलाया। इस अभियान के अंतर्गत मैंने 4 ग्राम बीजला, जोगला, छिदगांव, भीमगांव में 600 महिलाओं को डिजीटल साक्षर किया। आज मैं समाजशास्त्र विषय में सागर के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूं। सही मायने में जन अभियान परिषद के कोर्स बीएसडब्ल्यू ने मुझे जीवन की राह दिखाई है। समाजसेवा का यह कोर्स बेटियों के लिये वरदान है इसलिये इससे अधिक से अधिक बेटियों को जुड़ना चाहिये।

जन अभियान ने तपाकर कुंदन बना दिया : सुमन भदौरिया

भिण्ड। 29 अप्रेल 1992 को जब शादी होकर उप्र के फतेहपुर जिला से भिण्ड के ग्राम सिंहुड़ा में आईं तो सपने भी न सोचा था कि कभी घर की देहरी पार कर पायेंगे। सुमन को जहां पढ़ने का शौक था वहीं उनके पति को पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार न था। चूंकि सुमन जब ससुराल आईं तो दसवीं पास थीं। उनको आगे पढ़ना था। देवर के विरोध के बाद भी जैसे तैसे पति और सासु को मनाने में सफल हुई और 12 तक पढ़ाई कर ली। लेकिन सुमन के जीवन में मुश्किलों से नाता सा जोड़ लिया हो उनके कहानी कुछ ऐसी ही है।

संकटों का दौर तब शुरू हुआ जब पति का आकस्मिक देहांत हो गया। उसके बाद तो पूरा घर सुमन के विरोध में होने लगा। दो बच्चे जिन्हें सुमन पढ़ाना चाहती थी लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे मन मसोस के रह जाती। अंततः सुमन ने ग्राम छोड़कर अपने बच्चों को शहर में पढ़ाने का निर्णय लिया, घर वालों ने एक तरह से सुमन को निकाल दिया। ऐसे में उनकी संबल बनी उनकी सहेली रामा देवी। जिन्होंने शहर के स्कूल में न केवल बच्चों का एडमीशन करा दिया बल्कि सुमन को पढ़ने के लिये भी प्रेरित किया। चूंकि आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से सुमन दो पालियों में स्कूल में पढ़ाने लगीं और अपने बच्चों का लालन पालन करने लगीं।

सुमन के जीवन में अहम बदलाव तब आया जब 2014 में मीना तोमर ने जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक सोहन सिंह भदौरिया से मिलवाया। उनसे मिलने के श्री भदौरिया ने एक ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति का निर्माण किया। उसके बाद मुझे सही मायने में समाज सेवा का ककहरा समझ में आया। 2016 में जन अभियान परिषद द्वारा संचालित बीएसडब्ल्यू कोर्स में एडमीशन मिला। उनके मन की मुराद पूरी हो गई हो जैसे। उन्होंने तत्कालीन विकासखंड समन्वयक सोहन सिंह भदौरिया के माध्यम से एडमीशन लिया और पढ़ाई आरंभ की। उनको फील्ड वर्क उसी ग्राम में मिला जहां उनकी ससुराल थी। घर वालों ने काफी विरोध किया, लेकिन उसके बाद ग्राम में स्वच्छता, आंगनबाड़ी का समय पर खुलना और व्यवस्थित ढंग से संचालन, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। लोग प्रभावित हुये और विश्वास कायम हुआ। इसी कोर्स को करते हुये मुझमें आत्मविश्वास आया।

जब परिणाम आया तो मैंने बीएसडब्ल्यू प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मेरा चयन विधिक प्राधिकरण के अंतर्गत चलने वाले पैरा लीगल वॉलियंटर के रूप में भी हुआ और जबलपुर प्रशिक्षण करने का अवसर मिला। इसी के अंतर्गत दो साल तक लीगल एंड क्लीनिक का संचालन किया जिसमें कानूनी सलाह देने का काम करती थी। एक वर्ष बाल कल्याण समिति में सेवायें देने का अवसर मिला। जन अभियान परिषद में परिपक्वता के चलते मुझे जिला सहकारी बैंक (प्रायवेट) में नौकरी मिली और आज पांच साल हो गये नौकरी करते करते अब मैं उस बैंक में मैनेजर के पद पर हूं। इतना ही नही मेरे बच्चे आज बीएससी कर रहे हैं। मैं अंत में इतना कह सकती हूं कि जन अभियान परिषद का यदि बीएसडब्ल्यू कोर्स नहीं करती तो निश्चित ही जीवन के संघर्षों को नहीं झेल पाती।

जन अभियान परिषद ने न केवल साहस और बात रखने की हिम्मत दी बल्कि मेरे अंदर आत्मविश्वास का वह प्रस्फुटन किया कि मेरी दुनियां ही बदल गई। मुझे परिषद ने

प्रशिक्षण की अग्नि में तपाकर कुंदन बना दिया। अभी मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान में भी जन अभियान के साथ जुड़कर सक्रिय भागीदारी कर चुकी हूं।

अब न कोई गिला है,न शिकवा किसी से और न मन में हताशा है।
मै जीवट प्रतिभा की धनी हूं मुझे जन अभियान परिषद ने तराशा है।

प्रधानमंत्री से सम्मानित होने वाली रेखा त्यागी

कुछ वर्ष पूर्व तक पांचवी कक्षा तक पढ़ी रेखा एक आम घरेलू महिलाओं की तरह घर में रहकर अपने तीन बच्चों का पालन–पोषण कर रही थीं। उनके पति किसान हैं। वे कई सालों से नुकसान झेल रहे थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें नष्ट हो जाती थीं। इस नुकसान से बचने के लिए रेखा स्वयं कमर कसकर खड़ी हो गईं। उन्होंने नई किस्म की फसल लगाने का विचार किया। इसके लिए वह अनुभवी किसानों तथा जिला कृषि अधिकारी से मिलीं। उनसे सलाह मशविरा करने के बाद उन्होंने बाजरे की फसल लगाने का निर्णय किया। साथ ही, खेती की परंपरागत पद्धति छोड़कर नवीन वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। बीज, मिट्टी के परीक्षण के बाद खाद पानी पर भी उन्होंने यथासंभव जानकारी हासिल करने का प्रयत्न किया। प्रयोग के तौर पर खेत में सीधे बाजरा बोने की जगह छोटे पौधों को तैयार किया गया। पौधा तैयार होने के बाद उसे उखाड़कर पुनः खेतों में लगाया गया।

परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बाजरे की फसल तैयार हुई। आम तौर पर परंपरागत तकनीक से प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल बाजरे की पैदावार होती है। परंतु रेखा के खेत में 40 क्विंटल बाजरे की पैदावार हुई। रेखा की इस सफलता की कहानी केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से होते हुए प्रधानमंत्री तक पहुंची। श्रीमती रेखा त्यागी को इसी वर्ष 19 मार्च को दिल्ली में आयोजित कृषि कर्मण पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। कहते हैं हौसले के आगे किस्मत भी हार मान लेती है। यह कहानी है मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के जलालपुर गांव में रहने वाली रेखा त्यागी की। वह प्रदेश में बाजरे की खेती में बंपर पैदावार करने वाली प्रदेश की पहली महिला किसान हैं। रेखा की इस सफलता पर उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

खुले में शौचमुक्त गांव का निर्माण करने वाली महिला सरपंच रितु पांचाल

भिड़ावद, भिड़ावद क्र 3 तथा लोहरा ग्राम को मिलाकर बने ग्राम पंचायत की सरपंच बनते ही रितु ने गांव का कायाकल्प कर दिया। पहले जहां चारों तरफ कीचड़ नजर आता था वहां ग्रामीणों के सहयोग से सीमेंट कंक्रीट की सड़की बना डाली। अब इस गांव में नल जल योजना के तहत सबको पेय जल की सुविधा उपलब्ध है। मल–जल निकासी के लिए मुख्य मार्गों पर नालियां बनी हैं। आज यह गांव प्रदेश का पहला खुले में शौच मुक्त गांव है। रितु अब अपने गांव में वाई–फाई की सुविधा, ई–पंचायत भवन के निर्माण, सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाईट व्यवस्था तथा ई–समाधान केन्द्र खुलवाने जैसी योजना पर काम कर रही हैं। उज्जैन जिले में जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर भिड़ावद नामक एक गांव है। इसी गांव में रहती हैं 21 वर्षीया महिला सरपंच रितु पांचाल। रितु विक्रम विश्वविद्यालय से एमबीए कर रही हैं तथा सरपंच पद से जुड़े दायित्वों को भी कुशलता से निभा रहीं हैं।

एक दादी जो आंगनबाड़ी केन्द्र की प्रेरणा है –:

ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनतीं सरपंच रितु पांचाल।

होशंगाबाद के पांचराकलां आँगनवाड़ी केन्द्र–चार में बच्चों की पर्याप्त उपस्थिति में कृष्णा की दादी बसंती बाई की अहम भूमिका है। दादी स्वयं निरक्षर हैं, लेकिन वह अपने प्यारे पोते कृष्णा को हर–हाल में पढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए उसने आँगनवाड़ी के नर्सरी शिक्षा केन्द्र में पोते को भेजना शुरू किया। पोते ने अकेले शिक्षा केन्द्र जाने में आना–कानी की, तो दादी रोज उसके साथ केन्द्र जाने लगी। अब कृष्णा रोज दादी के साथ आँगनवाड़ी केन्द्र जाता है।दादी और कृष्णा की देखा–देखी गाँव के अनेक अभिभावक भी अपने बच्चों को दादी के साथ आँगनवाड़ी केन्द्र भेजने लगे हैं। दादी का कहना है बच्चों के बीच उनका समय आसानी से गुजर जाता है।

मजे की बात यह है कि वे भी अक्षरों को जानने लगी। इस तरह से आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए कृष्णा की दादी एक प्रेरक का कार्य कर रही हैं।

अंजलि भदौरिया जिसने फिल्म और मॉडलिंग की दुनिया में धूम मचा दी–:

भिण्ड जिले के छोटे से गाँव किशुपुरा में जन्मी अंजू उर्फ अंजलि भदौरिया का गाँव से फिल्मी दुनिया का सफर काफी उतार–चढ़ाव भरा रहा है। लड़कियों के प्रति संकुचित सोच रखने वाले गाँव से फिल्मी दुनिया का सफर अंजू के लिए आसान नहीं था, किन्तु उसकी महत्वाकांक्षा तथा दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते यह संभव हुआ। अंजू ने बारहवीं तक की पढ़ाई अपने गाँव से पूर्ण कर उच्च शिक्षा भिण्ड के चौधरी दिलीप सिंह कॉलेज से पूर्ण की। परिवार पर आर्थिक बोझ न बनने की सोच रखते हुए, अंजू ने एक स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्य किया और स्वयं के खर्च से पढ़ाई पूरी की।

लोगों के तानों की परवाह न करते हुए अंजू निरंतर आगे बढ़ती गईं। फौजी पिता की सोच ''अगर बेटियों को अवसर दिया जाए तो वे भी लड़कों से कम नहीं '' ने भी अंजू का मनोबल बढ़ाया। बी.एससी. के बाद अंजू ने एयर होस्टेस बनने के लिए इंदौर में प्रशिक्षण लिया। इस दौरान जेट एयरवेज में नौकरी भी की। एक दिन विमान यात्रा के दौरान ही टी.वी. एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री फूल सिंह की सलाह पर उसने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। दूरदर्शन में 'नैंसी' धारावाहिक के एसीपी आकांक्षा शर्मा के किरदार ने अंजू की दुनिया ही बदल दी। फिल्मी दुनिया में निरंतर आगे बढ़ते हुए अंजू ने कई टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया। इनमें ''महादेव'', ''ये कैसी है जिन्दगी'' आदि शामिल है। 'अफसर बिटिया' धारावाहिक में अंजू महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं। आज छोटे से गाँव की बेटी अंजू किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बेटी को बोझ समझने वाले समाज के लिए अंजू ने एक मिसाल कायम की है।

मुस्कान समूह का हैप्पी डेज

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिये अनूपपुर जिले के बरबसपुर संकुल के मुस्कान स्व–सहायता समूह की 25 ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये सेनेटरी नेपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

यह प्रशिक्षण जिला प्रशासन द्वारा हेल्दी लिविंग डेव्हलपमेंट सोसायटी, इंदौर के माध्यम से दिया गया। गरीब ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में किये गये इस

नवाचार को व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। सेनेटरी नेपकिन बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद अब 12 प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा रोजाना 550 पैड सेनेटरी नेपकिन तैयार की जा रही हैं।

समूह के बनाये जा रहे सेनेटरी नेपकिन का ब्रांड नेम हेप्पी डेज रखा गया है। मुस्कान समूह को स्वास्थ्य विभाग, अनूपपुर से करीब 50 हजार रुपये के सेनेटरी नेपकिन प्रदाय का पहला आर्डर मिल चुका है। इस सफलता से समूह की महिला सदस्यों के चेहरों पर आयी मुस्कान को साफ देखा जा सकता है। समूह द्वारा तैयार सेनेटरी नेपकिन की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा गया है। अनूपपुर जिला मुख्यालय स्थित आजीविका फ्रेश की दुकानों पर इनका विक्रय भी शुरू हो गया है। नेपकिन विक्रय की संभावनाओं के आधार पर इसे बड़े पैमाने पर तैयार किये जाने की योजना है।

महक उठा जीवन अगरबत्ती से

सीधी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है बैगा जनजाति बहुल गाँव–गाँधीग्राम। मात्र ढ़ाई–तीन साल में लोगों के जीवन–स्तर में सुखद बदलाव देखना है तो गाँधीग्राम जाइये। इस ग्राम और आसपास के गाँव– कोल्हू बीह, हसवा, बहेरटा, तेजवा, दरिया, कुडिन, गुरियरा, नेबुहा, अधियारी खोह, सतपहरी, पदखुरी, बिसमीटोला आदि की 2500 महिलाएँ पिछले तीन साल से अगरबत्ती उद्योग से जुड़कर घर की मुख्य कमाऊ सदस्य बन चुकी हैं।

इनकी अगरबत्ती सीधी, रीवा, मैहर, सतना, जबलपुर, सिंगरौली और ब्यौहारी के बाजार में अपनी पैठ बनाने के साथ ही राष्ट्रीय बाजार में जगह बनाने के प्रयास कर रही हैं। कोलकाता के लिये अनुबंध मिल चुका है तो शिलांग तक इनकी अगरबत्ती पहुँच चुकी है। माँ चामुण्डा नाम से यह अगरबत्ती उत्तरी–पूर्वी भारत में अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रही है। अगरबत्ती से एक महिला को 150 से 200 रुपये रोजाना की आमदनी हो रही है। अभी सब कुछ जितना सुनहरा दिख रहा है, गाँधीग्राम क्षेत्र में, तीन साल पहले हालात बिलकुल उलटे थे। बैगा, कोल, गोंड, साकेत आदि आदिवासी मात्र लकड़ी काटने–बेचने तक ही थे। महिला–पुरुष जंगल जाते, पेड़ों को काटते, सूखी लकड़ी बीनते–बेचते और पेट भरने लायक आमदनी से ही संतुष्ट हो जाते। न ठीक से तन ढँकता, साफ–सफाई, बच्चों की शिक्षा की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं, जंगलों को नुकसान पहुँचाते सो अलग। ऐसे में वन विभाग ने इनकी आमदनी बढ़ाने का बीड़ा उठाया। वर्ष 2012 में गाँधीग्राम में अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया।

शुरू में इक्का–दुक्का को छोड़ ग्रामीणों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। वन विभाग ने घरों में ही कच्चा मसाला पहुँचाया, बनाना सिखाया, बिक्री कर आमदनी हाथ पर रखी, तो

ग्रामीण महिलाओं का हौसला बढ़ा। शुरू में स्व–सहायता समूह द्वारा 450 महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 20 महिलाओं को मास्टर–ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इन मास्टर–ट्रेनर ने गाँधीग्राम और आसपास के गाँव के 60 स्व–सहायता समूहों की 600 महिलाओं को प्रशिक्षित किया। गाँधीग्राम प्रशिक्षण केन्द्र में केवल 50 महिला ही काम कर रही हैं। बाकी अपने–अपने घरों में ही अपनी सुविधा से अगरबत्ती बनाती हैं।

एक माह में लगभग 12–15 क्विंटल अगरबत्ती बन रही हैं। वन विभाग द्वारा जंगल से आदिवासियों का ध्यान हटाने और जीवन–स्तर में सुधार की कुछ और गतिविधियाँ भी यहाँ संचालित हैं। इनमें बेम्बू ज्वेलरी, फटे कपड़ों से रस्सी, बाँस से कोयले के ब्रिकेट और आइस्क्रीम स्टिक, सीसल रेशे से हस्तशिल्प, महुआ के व्यंजन तथा अचार बनाना और मधुमक्खी पालकर शहद निकालना आदि हैं। पिछले साल भोपाल के प्र–संस्करण केन्द्र में करीब 10 क्विंटल शहद भेजा गया। अगरबत्ती काड़ी बनाने के लिये विभाग ने बाँस खरीदी केन्द्र बनाया है, जिसमें स्थानीय किसान खुद ही बाँस बेच जाते हैं।

अगरबत्ती निर्माण में लगने वाली मशीनें भी उपलब्ध करवा रखी हैं। इन मशीनों द्वारा बाँसों की कटाई, साइजिंग से प्राप्त वेस्ट मेटेरियल भी अगरबत्ती बनाने में काम आ जाता है। गाँधीग्राम में अगरबत्ती बनाती हुई महिलाओं की खिलखिलाहट, बातचीत में झलकता आत्म–विश्वास बताता है कि वे आत्म–तुष्टि से भरपूर जीवन जी रही हैं। वे न केवल अच्छा खा और पहन रही हैं, बल्कि बच्चे को भी स्कूल भेज रही हैं।

■■■